खण्ड-330, अंक-3
सोमवार, 29 फाल्गुन, शक संवत् 1899
(20 मार्च, 1978 ई0)

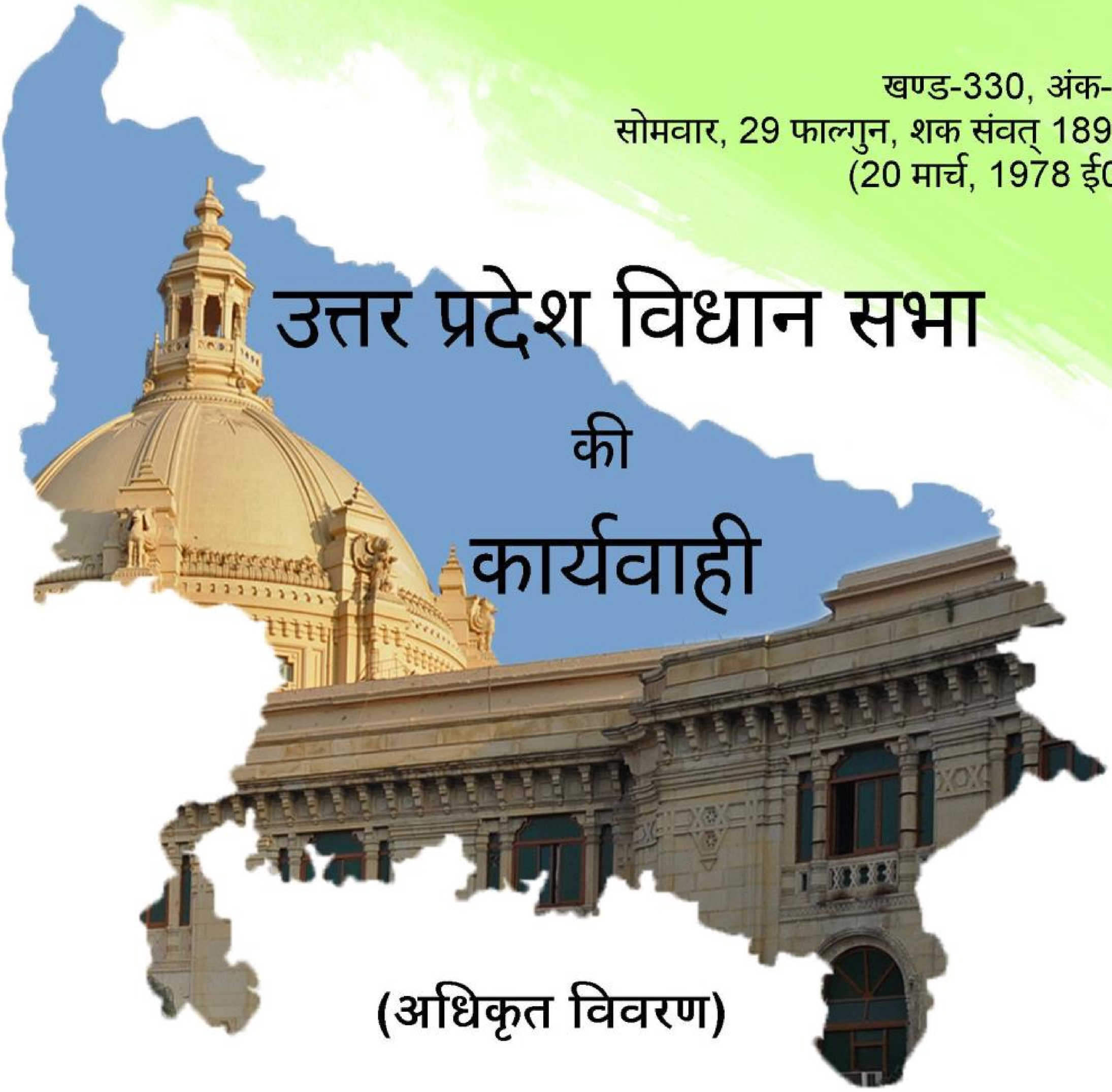

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 330 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	149–152
प्रश्नोत्तर	153–202
चीनी मिल मालिकों द्वारा गन्ने का उचित मूल्य न देने व मूल्य का समय से भुगतान न करने से किसानों में संकट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	203
प्रदेश की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों की तनावपूर्ण स्थिति तथा शिक्षा संस्थाओं के बन्द होने से विद्यार्थियों में असंतोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	203
फैजाबाद जनपद के जिला परिषद् द्वारा संचालित पशु चिकित्सालयों में दवाओं का अभाव तथा सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के विषय को नियम 301 के अतर्गत सदन के संज्ञान में लाना	203–204
प्रदेश में ओला वृष्टि से क्षति तथा कृषि देयों की जबरदस्ती वसूली के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	204
पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय को अनिश्चितकाल के बन्द होने से विद्यार्थियों में असंतोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	204–205
जनपद बस्ती के ग्राम के बटली, थाना कप्तानगंज को पुलिस द्वारा श्री महाबीर कुर्मी की पिटाई से कथित मृत्यु तथा उसकी लाश गायब कर देने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	205–206
पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री जुल्फिकार अली भुट्टो को मृत्यु दंड देने से उनकी जान बचाये जाने के संबंध में प्रस्ताव लाने का सुझाव ..	206–208
सदस्यों की रिहाई की सूचना	
उप निदेशक, बेसिक शिक्षा परिषद् के लिपिक, श्री मन मोहन द्विवेदी व बाजपेयी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	208–209
बहराइच के हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय के प्रधान लिपिक, श्री खलीलुर्रहमान के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	209
डाक्टर माया राम, उपसचिव, शिक्षा विभाग के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	209–210
श्री शतरुद्ध प्रकाश तथा श्री मैनेजर सिंह के विरुद्ध 15 अक्तूबर, 1977 को उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों का समाप्त किया जाना ..	210–211
श्री नारायणदत्त तिवारी, सदस्य विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	211–215
मुख्य मंत्री, महा निरीक्षक पुलिस और जिलाधिकारी, लखनऊ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	215–216
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की अन्य सूचनाएं ..	216
विधान सभा की समितियां, स्थायी समितियां एवं विभिन्न निकाओं के लिये निर्वाचन सदस्यों के नामों की घोषणा	216–218

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधियों का (संशोधन) विधेयक, 1978 (पुरः स्थापित किया गया) 218-219

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 (पुरः स्थापित किया गया) 219

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं 219-220

1977-78 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद .. 220-254

1977-78 के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—

अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मंडल (स्वीकृत) .. 254
अनुदान संख्या 3—मन्त्रि-परिषद् (स्वीकृत) 254-255
अनुदान संख्या 5—निर्वाचन (स्वीकृत) 255
अनुदान संख्या 8—स्टाम्प एवं पंजीकरण (स्वीकृत) 255
अनुदान संख्या 18—सचिवालय (स्वीकृत) 255
अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन (स्वीकृत) 255-256
अनुदान संख्या 20—कोषागार तथा लेखा प्रशासन (स्वीकृत) .. 256
अनुदान संख्या 21—पुलिस (स्वीकृत) 256
अनुदान संख्या 22—कारागार (स्वीकृत) 256
अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य (स्वीकृत) 256
अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवाएं (स्वीकृत) 257
अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें (स्वीकृत) 257
अनुदान संख्या 28—शिक्षा (स्वीकृत) 257
अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति (स्वीकृत) 257
अनुदान संख्या 31—चिकित्सा (स्वीकृत) 257-258
अनुदान संख्या 32—परिवार कल्याण (स्वीकृत) 258
अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत) 258
अनुदान संख्या 35—नगर विकास (स्वीकृत) 258
अनुदान संख्या 36—सूचना तथा प्रचार (स्वीकृत) 258-259
अनुदान संख्या 37—श्रम एवं सेवायोजन (स्वीकृत) 259
अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (स्वीकृत) .. 259
अनुदान संख्या 39—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनाएं (स्वीकृत) 259
अनुदान संख्या 40—दैवी आपदाओं के कारण सहायता (स्वीकृत) .. 259-260
अनुदान संख्या 41—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं (स्वीकृत) .. 260
अनुदान संख्या 42—सहकारिता (स्वीकृत) 260
अनुदान संख्या 43—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र (स्वीकृत) .. 260
अनुदान संख्या 44—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (स्वीकृत) .. 260-261
अनुदान संख्या 45—कृषि (स्वीकृत) 261
अनुदान संख्या 46—औद्यानिक विकास (स्वीकृत) 261
अनुदान संख्या 47—गन्ना विकास (स्वीकृत) 261
अनुदान संख्या 48—सामुदायिक विकास (स्वीकृत) 261-262
अनुदान संख्या 49—भूमि तथा जल संरक्षण (स्वीकृत) 262
अनुदान संख्या 50—क्षेत्र विकास (स्वीकृत) 262
अनुदान संख्या 51—खाद्य (स्वीकृत) 262
अनुदान संख्या 52—पशुपालन (स्वीकृत) 262

अनुदान संख्या 53—दुग्धशाला (डेरी) विकास (स्वीकृत) .. 263
अनुदान संख्या 54—मत्स्य उद्योग (स्वीकृत) 263
अनुदान संख्या 55—वन (स्वीकृत) 263
अनुदान संख्या 56—उद्योग (स्वीकृत) 263
अनुदान संख्या 57—ग्राम एवं लघु उद्योग (स्वीकृत) 263–264
अनुदान संख्या 60—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्वीकृत) 264
अनुदान संख्या 61—सिंचाई अधिष्ठान (स्वीकृत) 264
अनुदान संख्या 62—सिविल विमानन (स्वीकृत) 264
अनुदान संख्या 63—संचार साधन (स्वीकृत) 264–265
अनुदान संख्या 64—कार्यात्मक भवन (स्वीकृत) 265
अनुदान संख्या 65—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान (स्वीकृत) .. 265
अनुदान संख्या 66—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान (स्वीकृत) 265
अनुदान संख्या 68—पर्यटन (स्वीकृत) 265–266
अनुदान संख्या 69—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण (स्वीकृत) 266
अनुदान संख्या 70—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) 266
अनुदान संख्या 71—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) .. 266
अनुदान संख्या 72—चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) 267
अनुदान संख्या 73—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) .. 267
अनुदान संख्या 75—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) 267
अनुदान संख्या 76—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) 267-268
अनुदान संख्या 77—विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) .. 268
अनुदान संख्या 82—पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) 268
सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) 268
1977–78 के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 83—वनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) 268–269
अनुदान संख्या 84—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) 269
अनुदान संख्या 86—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) .. 269
अनुदान संख्या 87—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) 269
अनुदान संख्या 88—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) .. 270
अनुदान संख्या 90—ऋण और अग्रिम-शिक्षा (स्वीकृत) .. 270
अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन (स्वीकृत) .. 270
अनुदान संख्या 93—ऋण और अग्रिम—उद्योग (स्वीकृत) .. 270–271
अनुदान संख्या 94—ऋण और अग्रिम—सहकारिता (स्वीकृत) .. 271
अनुदान संख्या 95—ऋण और अग्रिम—कृषि (स्वीकृत) .. 271
अनुदान संख्या 97—ऋण और अग्रिम—वित्त (स्वीकृत) 271

उत्तर प्रदेश विनियोग (1977–78 का अनुपूरक) विधेयक, 1978 (विचारोपरान्त पारित) 271–278
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 278–279
नत्थियां 280–285

अदम्य फदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 20 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—326

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णकान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री

चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल निर्भय, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभुदयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुआंठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही, श्री

भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मूलचन्द, ठाकुर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
रघुबर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज नरायन, श्री
राज नाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम गोबिन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
रामदयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सजीवन, श्री

राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उफ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्यामदत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम वर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्री चन्द, श्री
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्री राम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सखावत हुसेन, श्री
सत्य देव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
स्वरूप कुमारी बक्शी, श्रीमती
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिचरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरीराम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेमराज श्री

नोट— विद्युत् मंत्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही तथा गन्ना विकास मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं ।

उत्तर प्रदेश संसदीय संस्थान

सोमवार, 20 मार्च, 1978

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सरकारी नियंत्रण में संचालित चीनी मिलें और हानि का विवरण

**1—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर), श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव) तथा श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या चीनी उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की कितनी चीनी मिलों को सरकार द्वारा नियंत्रण में लेकर चलाया जा रहा है और उसमें से किन-किन मिलों में वर्ष 1976–77 के सीजन में कुल कितना लाभ हुआ और किस-किस मिल में कितनी-कितनी हानि हुई और इस हानि का कारण क्या है ?

गन्ना विकास मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

वर्ष 1976–77 में सरकारी नियंत्रण में 18 चीनी मिलें चल रही थीं। उक्त सभी चीनी मिलों को वर्ष 1976–77 में हानि हुई जिसका विवरण संलग्न है।

घाटे में चलने के कारण यह हैं कि लगभग सभी चीनी मिलें बीमार चीनी मिलें हैं। पुराने मालिकों ने इन चीनी मिलों की मरम्मत आदि पर कोई ध्यान नहीं दिया था जिसके फलस्वरूप इन मिलों की मशीनों की दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई है। इसलिये इन मिलों की मरम्मत आदि पर अत्यधिक खर्च करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उक्त बीमार चीनी मिलों की पेराई क्षमता बहुत कम है जिसके कारण चीनी उत्पादन की लागत बहुत अधिक आती है। विगत वर्षों में गन्ना मूल्य एवं कमीशन की दरों में वृद्धि, उपयोग में लाये जाने वाले सामानों के मूल्यों में वृद्धि, व्याज की दर में वृद्धि के कारण भी उत्पादन लागत अधिक हो गई है। दूसरी ओर भारत सरकार द्वारा लेवी चीनी का कम मूल्य निर्धारित करने तथा फ्री चीनी का बाजार भाव और मांग में गिरावट भी इस हानि के कारण है। प्राकृतिक प्रकोप, विद्युत् शक्ति का निरन्तर उपलब्ध न होना तथा पुराने व्यापार होने के कारण ईंधन पर अधिक व्यय तथा श्रमिकों की संख्या, आवश्यकता से अधिक हेल्प भी इस हानि के कारण हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 280 पर)

श्री कल्पनाथ सिंह—

अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि संलग्नक में दिये हुये किच्छा शुगर फैक्टरी, जो बीमार शुगर मिल की वजह से सरकार के नियंत्रण में नहीं है बल्कि यह नई शुगर फैक्टरी लगी हुई है और इसमें भी 87.37 लाख रुपये का नुकसान है। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस फैक्टरी में नुकसान का क्या कारण है, अन्य फैक्टरियों के मुकाबले जो पुरानी थीं ?

श्रीमती चन्द्रावती—

यह शुगर कारपोरेशन में लगायी गयी है, तो इसमें कुछ साल के लिए तो नफे की स्थिति में होने का कोई कारण ही नहीं होता।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मैंने यह नहीं पूछा कि नफा कितना है। मैंने तो यह पूछा कि कुछ फैक्टरियां तो पुरानी होने के कारण घाटे में हैं, लेकिन यह फैक्टरी तो नयी होने के कारण कैसे घाटे में आ गयी ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी आपका उत्तर यह है कि अधिकांश मिलें बीमार थीं। इनके ब्वायलर खराब थे। माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि किच्छा की मिल तो नयी है, इसमें 87 लाख रुपये के नुकसान का कारण क्या है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, जैसा मैंने बताया है ये शुगर कारपोरेशन के अन्तर्गत है। पांच, छः साल के बाद ही इनमें लाभ का पता चल सकता है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि सन् 1976–77 में करीब 8 करोड़ का घाटा हुआ, लेकिन 77–78 में क्या स्थिति हुई, क्या इसकी तरक्की हुई, क्या मशीनें नयी लगायीं, इसमें घाटा कम हुआ, मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

इससे यह प्रश्न नहीं उठता। यह नया प्रश्न है। सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, चीनी मिलों के घाटे के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न 1976–77 का है। आप पूछ रहे हैं 77–78 के बारे में। इसलिए अनुमति नहीं देता।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब ये चीनी मिलें घाटे में हैं और खराब हालत में हैं तो सरकार ने उन्हें सुधारने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, कारण जो हैं वह सामने हैं। इन पर विचार सरकार ने किया है। यह ऐसी स्थिति है, जिस पर एकदम काम नहीं होगा। जो इस समय चीनी मिलें हैं, उनमें कुछ ऐसी हैं जिन के मामले हाई कोर्ट में हैं, उन पर रुपया नहीं लगाया जा सकता। तो इस तरह से काफी कारण हैं, जिन पर सरकार विचार कर रही है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या 1976–77 के पूर्व के वर्ष में कितना घाटा सरकार को इन चीनी मिलों से उठाना पड़ा था ? इसके कोई आंकड़े क्या सरकार सदन के पटल पर रखेगी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

अवश्य रख दिये जायेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय मंत्री जी ने जानकारी की है कि सभी चीनी मिलों में स्पष्ट रूप से घाटा था। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस घाटे के जो कारण बताये गये हैं, वे क्या इन चीनी मिलों के प्रबन्धकों के आधार पर हैं, अथवा शुगर कारपोरेशन से भिन्न, किसी विशेष जांच के आधार पर दी गई रिपोर्ट के आधार पर यह घाटा बताया गया है ? अगर यह घाटा मिलों के प्रबन्धकों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर है तो क्या मंत्री जी किसी विशेष व्यक्ति द्वारा इस घाटे की जांच करायेंगी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

इस पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, आपका प्रश्न यह है कि यह जो सूचना आपने दी है वह क्या प्रबन्धकों की रिपोर्ट के आधार पर है या कोई विशेष जांच के आधार पर है। दूसरा अंश उनके प्रश्न का यह है कि यदि यह प्रबन्धकों की रिपोर्ट के आधार पर है, तो क्या आप किसी व्यक्ति से इसकी जांच करायेंगी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरे प्रश्न के दो अंश थे। किससे जांच करवाई ?

श्री अध्यक्ष—

किसकी रिपोर्ट के आधार पर आपने सूचना दी है, पहले आप यह बता दें ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो रिपोर्ट इस वक्त मेरे पास है, माननीय सदस्य का सुझाव उसके अलावा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

वह रिपोर्ट किसकी है ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न सीधा है कि क्या यह रिपोर्ट चीनी मिलों के मैनेजर्स की है ? इसका उत्तर आप दे दें।

श्रीमती चन्द्रावती—

यह बैलेन्स शीट की रिपोर्ट है और शुगर कारपोरेशन की रिपोर्ट है। मैंने आश्वासन दिया है कि हम इसके लिये अवश्य प्रयत्न करेंगे।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि यह फैक्टरी बीमार फैक्टरी नहीं है और इसका नया प्लान्ट बहुत अच्छा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रिकवरी यहां से आ रही है। तो फिर घाटे का क्या कारण है ? क्या घाटे का कारण यह तो नहीं है कि इसमें अधिकारियों का भ्रष्टाचार निहित है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसे भी मैं मानती हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

इस बात को देखते हुये कि ये चीनी मिलें बीमार चलती आ रही हैं, इनका रख-रखाव ठीक से नहीं हो पा रहा हैं, क्या सरकार इन चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण पर विचार कर रही है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

यह नीति का प्रश्न है इसलिये इस वक्त मैं.....

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, आप कृपया इसका उत्तर दीजिये कि आया यह नीति से संबंधित सही प्रश्न है और क्या इसके ऊपर सरकार विचार कर रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

राष्ट्रीयकरण से संबंधित कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगी कि जो बीमार चीनी मिलें हैं और जो सरकारी नियंत्रण में चल रही हैं जिस समय उन्हें सरकारी नियंत्रण में लिया गया था, आज जो ऋण हैं वह उस समय के ऋण से ज्यादा है जिस समय ऋण की वृद्धि में कोई कमी हुई हो ?

श्रीमती चन्द्रावती—

श्रीमन्, यह जो प्रश्न है इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर से संबंधित । श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी को याद होगा इसी सदन में उन्होंने भूतपूर्व सरकार के एक पत्र का उल्लेख किया था और उससे सहमति व्यक्त की और कहा था कि प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीयकरण के संबंध में केन्द्र को पत्र लिखा है क्या उसके उत्तर की अभी प्रतीक्षा है ?

श्री राम नरेश यादव—

इस समय उस पत्र की जानकारी नहीं है ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, अभी माननीय गन्ना विकास मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार हैं तो उसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष—

नहीं । यह नहीं कहा ।

श्री नेम सिंह चौहान—

मान्यवर, जोशी जी के उत्तर में उन्होंने कहा कि वहां पर जो घाटा है, उसका कारण अधिकारियों का भ्रष्टाचार है । जब वह सरकार की नोलेज में हैं, तो उसके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, इसमें कुछ अधिकारी जो हैं, उनको वहां से उनके पदों से हटाने की कार्यवाही की गई है।

श्री नेम सिंह चौहान—

कितने अधिकारी हटाये गये हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती—

इसके आंकड़े रख दिये जायेंगे । इस समय सूचना नहीं है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

जैसा कि अभी बताया गया कि किच्छा मिल में रिकवरी अच्छी होने के बावजूद घाटे में चल रही है और आपने स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार है. . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप ज्यादा भाषण न दें, प्रश्न पूछें ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या इसके लिए वह कोई कमीशन नियुक्त करेंगी वहां पर भ्रष्टाचार की जो जांच करे ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, मैंने कहा कि इसके लिए शासन की तरफ से अवश्य कार्यवाही होगी, जांच करने के लिए ।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा टरबाइन की कथित खरीद

*2—श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने माह जुलाई, 1977 से फरवरी, 1978 की अवधि के बीच कितनी धनराशि की कितनी मात्रा में टरबाइन खरीदा ? एवं टरबाइन की खरीद हेतु किन-किन कम्पनियों को आर्डर दिया ?

विद्युत् मंत्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)—

जुलाई, 1977 से फरवरी, 1978 की अवधि के बीच उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा कोई टरबाइन नहीं खरीदी गई और न ही इस अवधि में टरबाइन के खरीदने हेतु कोई आर्डर दिया गया ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है । करीब दो सौ करोड़ रुपये का मामला है । क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि टांडा, पैंरा और परीक्षा केन्द्रों के लिये प्लानिंग कमीशन ने करीब दो सौ करोड़ रुपये टरबाईन खरीदने के लिए दिया है । अभी तक टरबाईन खरीदने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है और किस कम्पनी से ? उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बिजली संकट है, तो फिर अभी तक टरबाईन न खरीदने के क्या कारण हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, विद्युत् परिषद् जब कोई परियोजना बनाती है, तो उसकी क्लीयरेंस, केन्द्र में दो जगह से होती है । एक सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथारिटी और दूसरा प्लानिंग कमीशन । जब हम एक परियोजना बनाते हैं, तो उसको सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथारटी एक्जामिन करती है जब उसकी 'यस' हो जाती है तब वह प्लानिंग कमीशन के सामने जाता है । जब प्लानिंग कमीशन भी स्वीकृति दे देता है, तब हम उसके लिए आर्डर्स करते हैं । माननीय सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि परीक्षा का जो प्रोजेक्ट है वह पूरे तौर पर क्लीयर हो गया है उसके टरबाईन के लिये मार्च के महीने में मेसर्स बी0एच0ई0एल0 का खरीदा गया है । जो भी हम टरबाइन खरीदते हैं उन्हीं के भेल के माध्यम से ही खरीदते हैं । वही हमारा माध्यम हैं, जो भी डिजाइन या आर्डर हम प्लेस करेंगे, उसे वही सप्लाई करेंगे । यदि किसी मामले में उर्जा मंत्रालय इस बात पर राजी हो जाए कि हम बाहर से मंगायें, तो उसमें भी अन्तिम निर्णय उसी का होगा और वह उसी के माध्यम से यहां आयगा । इसलिए अन्य किसी फर्म के माध्यम से खरीदने का प्रश्न नहीं है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मंत्री जी ने जैसा बताया कि परीक्षा के लिये टरबाइन खरीदने हेतु भेल को आर्डर प्लेस कर दिया गया है, तो मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 17 मार्च, 1978 को रवीन्द्रालय में अवर अभियन्ताओं की एक बैठक हुई थी, जिसको चेयरमैंन भार्गव जी ने भी सम्बोधित किया था, उसमें साफ बताया गया कि भेल में जो टरबाइन बनती है, वह उत्तर प्रदेश की योजनाओं के लिए खरीदने लायक नहीं है और उनका उत्पादन ठीक नहीं है इसलिए वहां से नहीं खरीदना चाहिए, तो यह जानते हुए भी कि उससे उत्पादन नहीं हो पाता है, उससे क्यों खरीदा जा रहा है और परीक्षा के लिये कितने रुपये की धनराशि के टरबाइन खरीदने की बात है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, मैंने पहले ही इस प्रक्रिया का निवेदन किया जिसके अन्दर खरीदारी करते हैं । भेल भारत सरकर के नियन्त्रण में चलता है, वह अपने देश की एक परियोजना हैं और हमें इस

बात का जरूर गौरव प्राप्त है कि अपने देश में एक ऐसी संस्था पहली बार टरबाइन निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां कर रही है। लेकिन जो डिजाइन बन रहा है, उसमें डिफेक्ट है, तो उसकी ओर संकेत चेयरमैन ने किया है। यह बात प्रखर रूप में प्रकट हुई है कि भेल की 110 मेगावाट की जो डिजाइन है, उसमें दो लीकेज की डिफेक्ट है और भेल ने इस चीज को स्वीकार भी कर लिया है कि डिजाइन में डिफेक्ट है और उसके परिणाम स्वरूप उसको यह इम्प्रूव कर रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि 2 सौ मेगावाट का एक संयंत्र पहली बार उन्होंने बनाया, जिसे ओबरा में लगाया गया है। जैसे-जैसे विज्ञान उन्नति करे, 5–5 सौ मेगावाट के संयन्त्र वहां बनें और अपने यहां लगें, इसकी कोशिश हो रही है। यहां मैं आपको बता दूं कि 500 मेगावाट के टरबाइन के लिये, जो मिर्जापुर में सेन्ट्रल थर्मल स्टेशन, जो सिंगरोली के नजदीक है, वहां लगाने हेतु, कोशिश हो रही है। हमें आशा है कि स्वीकृति मिल जायगी और हम 500 मेगावाट का संयन्त्र भी लगायेंगे।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, दिसम्बर में हरदुवागंज का करीब 10 करोड़ की लागत वाला जो टरबाइन जला दिया गया था, उसको रिप्लेस करने के लिये नये टरबाइन के लिये अभी तक आर्डर क्यों नहीं प्लेस किया गया है?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, यह तो अलग प्रश्न है, लेकिन....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न तो यह किया कि कितने के टरबाइन वर्ष 77–78 में खरीदे गये।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया, उसके संबंध में निवेदन कर दूं कि जो टरबाइन खरीदा गया, जो संयन्त्र टूटा हरदुआगंज में, उसकी मेसर्स हैवी इलेक्ट्रिकल ने सप्लाई किया था। भेल वाले जो मशीन लगाते हैं, उसको कुछ समय तक एक्सपेरीमेंट अपने खर्चे पर करते हैं, उसके बाद हमें हैंड–ओवर करते हैं। उन्होंने उसको हमें हैन्ड–ओवर कर दिया था, और वह मशीन इसी साल लगी थी और शायद 26 अगस्त के करीब उसे हमें हैन्ड–ओवर किया था। आगे चलकर वह मशीन टूट गई, तो हमें इस बात की जांच बिठानी पड़ी कि जो टूटन हुई, वह नेग्लीजेंस में हुई या डिजाइन के डिफेक्ट के कारण हुई।

इसलिये मान्यवर, जब तक वह जांच कमेटी पूरी रिपोर्ट न दे दे तब तक यह हम नया आर्डर प्लेस करें, क्योंकि इसमें सम्भावना है भेल फ्री आफ कास्ट, अगर फाइंडिंग हो जाय, तो रिप्लेस कर दें।

(श्री नेम सिंह चौहान का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गुलाब सेहरा —

पूरी बात नहीं बतायी।

श्री अध्यक्ष—

एक प्रश्न की अनुमति दी है। माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा जो प्रश्न करना है (व्यवधान) मैं इजाजत नहीं दूंगा। आप एक प्रश्न कर चुके हैं।

श्री गुलाब सेहरा —

[× × ×]

नोट—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--
मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं आप विवाद करते हैं ।

श्री गुलाब सेहरा--
[× × ×]

श्री अध्यक्ष--
आप बैठिये ।

श्री गुलाब सेहरा--
[× × ×]

श्री अध्यक्ष :--
आप विवाद करते है ।

श्री गुलाब सेहरा--
[× × ×]

श्री अध्यक्ष--
यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा ।

श्री नेम सिंह चौहान--
माननीय विद्युत मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि बी0 एच0 ई0 एल0 का माडल घटिया किस्म का है, फिर भी उनसे टरबाइन खरीदे जा रहे हैं । जब तक कोई जांच न हो जाय तब तक इसको पेंडिंग रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष--
मैं अनुमति नहीं देता हूं । इससे नहीं निकलता । यह तो मत दे रहे हैं कि घटिया है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--
माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि जांच समिति बैठाई गयी है जो जांच करेगी किसके दोष से विस्फोट हुआ, वह जांच समिति कब तक रिपोर्ट दे देगी और तब तक क्या टरबाइन को रिप्लेस करने की बात सरकार के विचाराधीन है ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--
मान्यवर, जांच समिति से शीघ्र ही रिपोर्ट अपेक्षित है । मेट्रालाजिकल टेस्ट कर रहे हैं कि जो मेटल है वह किस प्रकार का है । इसलिये जांच रिपोर्ट जल्द आ जायगी । ज्यों ही आ जायगी भेल दोनों तौर से तैयार है, उस संयत्र को रिप्लेस कर देगा फ्री आफ कास्ट या पैसे लेकर रिप्लेस कर देगा । दूसरे प्रदेश के आर्डर्स है उसमें से इतनी बात सिद्धान्ततः मान ली गयी है । ज्यों ही जांच कमेटी की रिपोर्ट आ जायगी काम करने की हमको इजाजत दे दें, वह टरबाइन दे दगे, फ्री आफ कास्ट देंगे या पैसे लेकर देंगे ।

श्री अध्यक्ष--
आप का जो प्रश्न है, जल्दी से क्या मतलब है ? कब तक ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--
तीन महीने की बात कही गयी है । तीन महीने के बाद रिपोर्ट दे देंगे, पहले एक महीने का समय दिया था । एक्स्पर्ट की बात है । मैं देख लूंगा कि जल्दी से जल्दी आ जाय ।

नोट--[×××]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष---

अब तो छः महीने हो गये हैं ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)---

जब आपका हादसा टरबाइन फटने का हुआ मंत्री जी हैलिकाप्टर से मुआयना करने पहुंचे ? तो क्या उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से जांच कराने की कोशिश की कि हादसा क्यों हुआ ? मैं सदन को एक बात बताना चाहता हूं कि जनरेटर का सिस्टम, पावर हाउस का सिस्टम यह होता है कि हर मिनट मीटर हर मशीन की रीडिंग देता है । यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर वहां कोई मीटर नहीं होता तो मीटर रीडिंग नहीं होती । यह हादसा किसी साजिश की वजह से हुआ था या अधिकारियों की लापरवाही से हुआ, लेकिन रिपोर्ट के अन्दर फिर दोबारा सवाल उठायेंगे कोई मशीनरी पावर हाउस के अन्दर नहीं होती जिसकी हर मिनट मीटर रीडिंग न हो, चाहे जनरेटर से सम्बन्धित हो या टरबाइन से सबम्बिन्त हो ।

श्री अध्यक्ष---

आप व्याख्यान दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री मुकीमुर्रहमान---

नालेज में डालने के लिये यह बातें बतानी थीं । हर चीज का मीटर था और रीडिंग हो रही थी तो यह क्यों हुआ । जब इस चीज को स्पष्ट तरीके से माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने प्रस्तुत किया गया था तो इन्क्वायरी किस चीज की हो रही है ?

श्री अध्यक्ष---

इसका तो उत्तर मंत्री जी दे चुके हैं कि जांच हो रही है । यह सारे प्रश्न जांच कमेटी के सामने आ जायेंगे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 5 हजार मेगावाट के 2 संयत्र सिंगरौली में लगवा रहे हैं

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

आमपारा में ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

कहां है । सिंगरौली के पास है ?

श्री अध्यक्ष ---

सिगरौली के पास है न ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही ---

जी हां ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मेरी सूचना है कि सिंगरौली के पावर स्टेशन को नेशनल थ्रर्मल पावर कारपोरेशन लगा रही है न कि उत्तर प्रदेश का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड । तो यह किस आधार पर कहते हैं कि 5 सौ मेगावाट का लगवा रहे हैं ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

मैं माननीय नेता विरोधी दल को...

(हंसी)

श्री नारायण दत्त तिवारी ---

नेता कांग्रेस दल (आई) ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही --

माननीय सदस्य काशीपुर को यह सूचना नहीं है कि सिंगरौली में जो वह कह रहे हैं कि नेशनल सुपर थर्मल पावर स्टेशन बना रहे हैं वह भारत सरकार का है । लेकिन उसी के दूसरी साइड ग्राम पारा में स्टेट ने वर्क आउट भेजा है, उसका काफी क्लियरेन्स हो गया है । 5 सौ मेगावाट का संयंत्र हमारा लग रहा है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

टिहरी गढ़वाल जिले के कोडार-गरवाण गांव मार्ग का निर्माण

*1--श्री गोविन्द सिंह नेगी --

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी-गढ़वाल में प्रताप नगर विकास खंड के अन्तर्गत कोडार से गरवाण गांव तक जो मोटर मार्ग त्वरित योजना के अन्तर्गत निर्मित किया गया था वह विभाग ने अपने हाथ में ले लिया है ? यदि हां, तो कब तक उसके सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रारम्भ होगा ? क्या सरकार इस मार्ग को प्रसिद्ध तीर्थस्थान से मुखेम तक निर्माण करने के प्रश्न पर भी विचार करने की कृपा करेगी ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)--

जी नहीं ।

कोडार से गरवाण गांव तक मार्ग का निर्माण लिंक मार्ग योजना के अन्तर्गत किया गया था न कि त्वरित योजना के अन्तर्गत । इसके सुदृढ़ीकरण का कार्य जिला परिषद द्वारा धन उपलब्ध होने पर किया जागया ।

जिला परिषद् टेहरी-गढ़वाल का इस मार्ग को तीर्थ स्थान मुखेम तक निर्मित करने का विचार है, परन्तु वर्तमान समय में धनाभाव के कारण ऐसा सम्भव नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कोडार से गरवाण गांव तक जो मार्ग बना है, उस पर कितनी धनराशि व्यय हुई और क्या उसमें यातायात नहीं चल रहा है ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, इसमें जो है, हर जिला परिषद् की जो योजना थी उसके लिये 14 लाख रुपया दिया गया था और उनका अपने जिले के अन्तर्गत जिन मार्गों को बनवाना था, बनवाया, इसमें कितना व्यय हुआ उसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मार्ग को जो वहां के प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान से मुखेम तक जाता है और जिस पर बहुत यात्री आते-जाते हैं, उसको बनवाने के लिए जिला परिषद् को धन उपलब्ध करने की कृपा करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद--

जब धन होगा तो जिला परिषद् बनायेगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या सरकार इस मार्ग को बनवाने के लिये विशेष अनुदान देने की कृपा करेगी ?

श्री जमुना प्रसाद--

जिला परिषद् जब रुपया मांगेगा, तो विचार किया जायगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है अपने उत्तर में कि जिला परिषद टेहरी गढ़वाल का इस मार्ग को तीर्थ स्थान मुखेम तक निर्मित करने का विचार है। तो विचार तो बन चुका है और आप मान चुके हैं, तो क्या इस मार्ग को बनवाने के लिये विशेष अनुदान देने की कृपा करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

शासन का यह उत्तरदायित्व है कि जो भी कार्य अधूरे पड़े हों, उनको पूरा किया जाय। इसलिये जिला परिषद् जब मांगेगी विचार किया जायगा। क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा जो कार्य अधूरे पड़े, हैं, उनको पूरा करने का सरकार का उत्तरदायित्व है और जैसे-जैसे पैसा उपलब्ध होगा और जहां-जहां से मांग आयेगी अवश्य ही विचार किया जायगा। जब पैसे की मांग ही नहीं आयी है, तो कैसे विचार किया जा सकता है ?

श्री देव बहादुर सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिला परिषद उस मार्ग को बनायेगी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं मार्ग बनाने के लिये माननीय मंत्री जी ने जिला परिषदों को कितनी धनराशि आवंटित की है।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे नहीं पैदा होता है। माननीय मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं कि अगर जिला परिषद् मांग करेगी, तो विचार किया जायगा।

बस्ती जिले के कप्तानगंज टिनिच तथा कप्तानगंज दुबौली मार्ग के निर्माण पर व्यय की गई धनराशि

*2—श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की टिनिच-दुबौलिया मार्ग पर 31 मार्च, 1975 तक कुल कितना पैसा ग्रामीण जन शक्ति योजना के अन्तर्गत खर्च किया जा चुका है तथा उपरोक्त मार्ग के कितने किलोमीटर का निर्माण अब तक हो चुका है और कितना बाकी है ?

श्री जमुना प्रसाद—

बस्ती जिले की ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत निर्मित कप्तानगंज–टिनिच तथा कप्तानगंज दुबौली मार्ग पर 31 मार्च, 1975 तक कुल 10,94,072 रुपया व्यय हुआ है। कप्तानगंज–टिनिच मार्ग का दो मील चार फर्लांग भाग पूर्ण हो चुका है तथा एक मील चार फर्लांग अपूर्ण है तथा कप्तानगंज-दुबौली मार्ग का तीन मील एक फर्लांग भाग पूर्ण हो चुका है, एक मील तीन फर्लांग अपूर्ण है।

श्री ओम प्रकाश—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 31 मार्च, 1975 तक 10,94,072 रुपया खर्च किया गया है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब कि न तो जमीन खरीदी गई है और न मिट्टी का काम हुआ है तो इस 8 किलोमीटर सड़क पर यह धनराशि किस-किस मद में खर्च की गयी है और कितनी सड़क पूरी हुई है ?

श्री जमुना प्रसाद—

जो सूचना माननीय सदस्य को चाहिए, वह मंगा कर उन्हें दे दी जायगी।

श्री ओम प्रकाश—

कितने किलोमीटर कुल सड़क है और उसमें से कितनी बनी है और जो बनी है क्या वह सड़क साइकिल पर चलने लायक है, या नहीं ?

श्री जमुना प्रसाद ---

मैंने अपने उत्तर में बताया है कि कप्तानगंज–टिनिच 2 मील 4 फर्लांग तक पूर्ण हो चुका है और एक मील 4 फर्लांग अपूर्ण है । कप्तानगंज–दुवौली मार्ग का 3 मील 1 फर्लांग हिस्सा पूर्ण हो चुका है और 1 मील 3 फर्लांग अपूर्ण है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्रेश प्रोग्राम में 1 मील पर कितना रुपया खर्च होता है जबकि न तो जमीन मोल लेनी हो और न मिट्टी डालनी हो और उस पर केवल और मैटीरियल का ही प्रयोग हो मेरी सूचना को सही मानकर क्या मनानीय मंत्री जी . . . .

श्री अध्यक्ष---

आप कोई सूचना न दीजिए आप प्रश्न पूछिए, अन्यथा मैं अनुमति नहीं दूंगा । आप यह प्रश्न पूछिए कि अगर मिट्टी डालने और जमीन की कीमत न देनी हो तो बाकी कार्य पर कितना खर्च होगा ?

श्री सुखपाल पाण्डेय---

माननीय पंचायत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिट्टी और सड़क पर न पड़ने से और जमीन खरीदने से कितना पैसा उस पर खर्च किया गया, पक्की कराने में, और क्या यह सही है कि वहां पर पैसा खर्च नहीं किया गया और उस पैसे को लोग खा गये ? वह सड़क चलने लायक नहीं है , फर्जी दिखाई गयी है, इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद---

हमारे पास अलग से इन्फार्मेशन नहीं है और जैसा माननीय सदस्य चाहते हैं, हम आइटम-वाइज इनफार्मेशन मंगाकर सूचित कर देंगे ।

श्री श्यामधर मिश्र---

मैं जानना चाहता हूं कि इस कार्य को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने किया या जिला परिषद् ने किया ? साथ ही साथ 10 लाख 94 हजार रुपया जो खर्च हुआ 5 मील पर, तो अभी भी वह सड़क पक्की है या कच्ची हो गयी है और अगर पक्की है तो रिपेयरिंग का कौन जिम्मेदार है ?

श्री जमुना प्रसाद---

निर्माण-कार्य हुआ और सड़क पक्की हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष---

इसको किसने बनाया, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने या किसने, इसका उत्तर दीजिए ।

श्री जमुना प्रसाद---

हमारे पास इस समय यह सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

ग्रामीण विकास मंत्री जी, यह तो सूचना अपूर्ण है । जब आप उत्तर दे रहे हैं, तो आपको विभाग से इतना मालूम करना चाहिए कि यह पी0 डब्लू0 डी0 ने बनाया या जिला परिषद् ने, नहीं तो यह सूचना क्या है ?

श्री जमुना प्रसाद---

जो सूचना मेरे सामने उपलब्ध है, वह मैंने आपके सामने उपलब्ध की है और जो चाहते हैं उसको मंगाकर के बता दूंगा ।

श्री ओम प्रकाश---

इसको स्थगित होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

यह पहले का स्थगित प्रश्न है ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा एवं लघु सिंचाई विभाग में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अभियन्ताओं के पदों पर अनुसूचित जाति का आरक्षण एवं रिक्त पद

*3--श्री मन्ना लाल (ज़िला खीरी)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एवं अल्प सिंचाई विभाग में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अभियन्ताओं के पदों में अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों के आरक्षण का प्रतिशत पूरा कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद--

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अभियन्ताओं के पदों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आरक्षण का प्रतिशत पूरा नहीं है । कारण यह है कि प्रथम श्रेणी के सभी पदों पर विभिन्न अभियन्त्रण विभागों के सहायक अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्ति पर लेकर नियुक्त किया गया है, जो तदर्थ रूप में है । द्वितीय श्रेणी के सहायक अभियन्ताओं पर भी विभिन्न विभागों के अवर अभियन्ताओं पर भी तथा सहायक विकास अधिकारी/ज्येष्ठ यांत्रिक निरीक्षक तथा सीधी भर्ती द्वारा भरा गया है । सीधी भर्ती द्वारा सहायक अभियन्ताओं के पदों को नियमित करने के लिये लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिये निर्धारित प्रतिशत आरक्षित कर दिया गया है ।

लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अभियन्ताओं के पदों में प्रतिशत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का आरक्षण का प्रतिशत पूरा नहीं है, क्योंकि आयोग द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी लघु सिंचाई विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

*4--श्री मन्ना लाल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा तथा अल्प सिंचाई में इस समय प्रथम श्रेणी के अभियन्ताओं के कितने पद रिक्त है और उनकी पूर्ति में कितने-कितने स्थान अनुसूचित जाति जन-जाति के अभ्यर्थियों के द्वारा पदोन्नति से भरे जाने हेतु विचाराधीन है ?

श्री जमुना प्रसाद--

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा लघु सिंचाई विभाग में उस समय प्रथम श्रेणी के अभियन्ताओं के कोई भी पद रिक्त नहीं है अतः प्रश्न के शेष भाग का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री मन्ना लाल--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया और कारण बताया कि उसकी नियुक्तियां तदर्थ रूप में की गयी हैं । जब शासन के आदेश है कि तदर्थ प्रति नियुक्तियों में आरक्षण रखा जाय तो फिर क्यों उनको नहीं लिया गया ?

श्री जमुना प्रसाद--

यह जो प्रथम श्रेणी का प्रश्न है यह अभियन्ताओं से संबंधित है और इस विभाग में दूसरे विभागों से प्रति-नियुक्तियों पर लोग आते हैं, इसलिये कोई आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मन्ना लाल--

मैं यह जानना चाहता हूं कि अगस्त सन् 1977 में कितने पद रिक्त थे ?

श्री जमुना प्रसाद--

कोई पद रिक्त नहीं है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

प्रथम और द्वितीय श्रेणी के आपके विभाग में कितने अभियन्ता है और उनमें कितने हरिजन है ?

श्री जमुना प्रसाद—

यह आंकड़े इस समय नहीं है, बाद में बता दूंगा ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

जो नियुक्तियां की गयी थी क्या इनके लिये विज्ञापन भी निकाला गया था और इन्टरव्यू हुआ था ।

श्री जमुना प्रसाद—

मैंने पहले ही बता दिया कि दूसरे विभागों से लोग इसमें डेपुटेशन पर आते हैं, इसलिये विज्ञापन का प्रश्न नहीं उठता हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी उन नियुक्तियों को, जो एडहाक है और जिनको चलते हुए 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, रेगुलर करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

यह तो सरकार विचार कर रही है ।

फ़ैजाबाद के बफर गोदाम कृषि विभाग के गबन से संबंधित लिखाई गयी रिपोर्ट

*5—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि सन् 1971–72 तथा 1972–73 में फैजाबाद में 40 लाख रुपये लागत की खाद का गबन किया गया था । क्या यह सत्य है कि इस घोटाले की जांच सी0 आई0 डी0 अथवा सतर्कता अधिष्ठान द्वारा करायी गयी थी ? यदि हां, तो उसमें फैजाबाद के कितने वी0 जी0 आई0 तथा कृषि अधिकारी और एकाउन्टेन्ट, अफसर सप्लाई दोषी पाये गये थे उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

कृषि मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

उप कृषि निदेशक फैजाबाद मंडल, फैजाबाद ने दिनांक 23–6–73 को थाना अयोध्या, जनपद फैजाबाद पर बफर गोदाम निरीक्षक, अयोध्या द्वारा मंडलीय बफर गोदाम, अयोध्या के कार्यकाल 1967 से लेकर 1970 की अवधि में रु0 32, 26, 883. 74 पै0 के दुर्विनियोग एवं क्षति आदि की सूचना अंकित करायी । इस मुकदमें की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि) द्वारा की गयी तथा वर्ष 1967–68 एवं 1968-69 की अवधि के मामले की विवेचना पूर्ण करके श्री एल0के0 सिंह भूतपूर्व बफर गोदाम निरीक्षक, जनपद फैजाबाद एवं सरदार मोहन सिंह पुत्र सरदार बुद्ध सिंह (ठेकेदार) के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 409/467/468/471/109/34/420/120 बी0 के अन्तर्गत आरोप पत्र लगाया जा चुका है ।

इसके अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी, फैजाबाद द्वारा दिनांक 6–10–77 को जनपदीय बफर गोदाम, फैजाबाद में हुए 6, 95, 390. 85 रु0 के गबन की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली, फैजाबाद में लिखायी गयी, जिस पर श्री एल0 के0 सिंह, बफर गोदाम निरीक्षक, के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 744 धारा 409 भारतीय दण्ड विधान कायम हुआ । इस मामले की विवेचना भी विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि) द्वारा की जा रही है ।

श्री एल० के० सिंह भूतपूर्व बफर गोदाम निरीक्षक ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तथा निम्नलिखित व्यक्ति गिरफ्तार किये गये :

सर्वश्री—

(1) सरदार मोहन सिंह, ठेकेदार ।
(2) फयादीन, ट्रक ड्राइवर ।
(3) महेन्द्र नाथ पाण्डे, सहायक कृषि निरीक्षक ।
(4) सालिग राम जायसवाल, ए० डी० ओ० ।

उपर्युक्त सभी व्यक्ति न्यायालय से जमानत पर हैं ।

श्री ऊदल—

मंडलीय बफर गोदाम, फैजाबाद में एल० के० सिंह के खिलाफ सन् 73 में रिपोर्ट दर्ज हुई, यह उसके इन्चार्ज थे, 32 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया, तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्हीं की नियुक्ति ऐसी सूरत में दोबारा जिले के बफर गोदाम पर क्यों की गयी ? क्या इसकी जांच की गयी या नहीं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

इसे पिन प्वाइंट करने के लिये जांच जारी है और उनसे मांगा जा रहा है कि किसने किया ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न के ऊपर भी विचार करेंगे कि 1973 के बाद और पहले भी जो आडिट सेल है, डायरेक्ट्रेट में, उसको भी चार्जशीट बनाने के लिये कहा था और इसके अलावा इसकी देख-रेख करने वाले डिप्टी डायरेक्टर, फैजाबाद के और यहां हेड आफिस में फर्टिलाइजर के, ज्वाइंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर ये सब लोग इसके जिम्मेदार होते हैं । क्या इन सब बातों के बारे में विशेष जांच बैठाई जायगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, यह सही है कि उस समय जो रिपोर्ट कराई गयी थी 32 लाख की थी, विशेष अनुसंधान शाखा ने आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल करा दिया है । इस संबंध में जो भी दोषी पाये जायंगे, बख्शे नहीं जायंगे ।

श्री श्याम धर मिश्र—

श्रीमन्, जैसाकि उत्तर से स्पष्ट है कि दो बार का कम से कम 40 लाख का गबन है । दोनों समय के मामले न्यायालय में हैं और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और पैनल कोड के अन्तर्गत ये केस है । मैं मान्यवर, जानना चाहता हूं कि केवल सजा के अलावा सिविल लायबिलिटी के लिये भी कोई जिम्मेदारी इन पर रखी जायगी । कोई सिविल लायबिलिटी का मुकदमा चलाने की बात सोची जा रही है कि जिससे इनकी जायदाद से, इनके प्रोवीडेन्ट फण्ड से वसूली की जा सके ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

दिनांक 4-5-76 को एक प्रपत्र यहां से चला गया था कि उसमें आदेश हो गया था कि अगर कोई विशेष अनुसंधान शाखा के विचाराधीन है, तो विभागीय कार्यवाही उस पर स्थगित करा दी जाय । उसके बाद पुनः कार्यवाही शुरू कर दी है और रिपोर्ट शीघ्र आ जायगी ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, हमने प्रश्न बड़ा सरल पूछा है, वह यह है कि जाप्ता फौजदारी ठीक है, चले, लेकिन सिविल लायबिलिटी के लिये भी मुकदमें की कार्यवाही की जाय ।

श्री राजेन्द्र सिंह--
विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा कार्यवाही हो रही है ।

श्री ऊदल--
मैं, श्रीमन्, यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी से कि उस वक्त एक डिप्टी डायरेक्टर साहब थे एस० एन० सिंह, जिनके वक्त में यह मामला सब हुआ है । उनको पेंशन भी बाट दी गयी । इसके बावजूद क्या आप इस प्रश्न पर भी विचार करेंगे कि पेंशन क्यों दे दी गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह--
अवश्य विचार करेंगे, श्रीमन् ।

[दिनांक 20 मार्च, 1978 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

गोंडा जिले की तुलसीपुर शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों से टोलटैक्स की कटौती

*1--श्री बिन्दू लाल (जिला गोंडा)--
क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तुलसीपुर, जनपद गोण्डा की शुगर मिल ने सीजन 1976-77 में बालापुर तथा हरैय्या क्रय केन्द्रों पर किये गये गन्ना से पुलों पर देय टोल टैक्स की कटौती काश्तकारों के मूल्य से की ? यदि हां, तो कुल कितनी कटौती की गई ? यदि नहीं, तो अन्य वाह्य क्रय केन्द्रों से उपरोक्त दो केन्द्रों पर 30 पैसे प्रति कुन्टल मूल्य क्यों कम दिया गया ?

श्रीमती चन्द्रावती--
जनपद गोण्डा की तुलसीपुर शुगर मिल ने गत पेराई सत्र 1976-77 में वाह्य केन्द्र बालापुर तथा हरैय्या पर क्रय किये गये गन्ने का मूल्य अन्य पर वाह्य केन्द्रों की अपेक्षा 25 पैसे प्रति कुन्टल की दर से कटौती करके भुगतान किया । उक्त दोनों क्रय केन्द्रों के कृषकों के गन्ने के मूल्य से मिल द्वारा इस प्रकार क्रमशः 35, 884.31 रुपये तथा 700.67 रुपये अर्थात् कुल 36,584.98 रुपये की कटौती की गई ।

श्री बिन्दू लाल--
माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रीजी से कि यह जो 25 पैसे की कटौती की इसका क्या आधार है ? क्या यह टोल-टैक्स के नाम पर काटा गया या अपनी मर्जी से काटा गया ?

श्रीमती चन्द्रावती--
टोल टैक्स के आधार से काटा गया ।

श्री बिन्दू लाल--
मान्यवर, टोल टैक्स जो पुल पर लगता है क्या वह किसानों से लिया जा सकता है, क्या ऐसा नियम है ? मेरी जहां तक जानकारी है कि किसानों से यह नहीं लिया जाता है बल्कि जो माल लेकर आता है, उसको देना चाहिए । जो पैसा काटा गया है क्या सरकार उसको किसानों को दिलाने की कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती चन्द्रावती--
इसके लिये प्रयास करेंगे । टोल टैक्स वापस दिये जाने की कार्यवाही की जायगी ।

श्री बिन्दू लाल--
मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि क्या टोल टैक्स काटने का अधिकार है वह तो, जो माल लेकर आता है, उसको देना चाहिए ।

श्रीमती चन्द्रावती—

मैंने बतलाया कि गलत काटा गया है, ऐसा नियम नहीं है, इसको वापस दिलाया जायगा।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोण्डा)—

क्या माननीय मंत्रीजी बतलाने की कृपा करेगी कि अनुचित तरीके से जो फैक्टरी ने यह पैसा काटा है, तो फैक्टरी के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, यह जो प्रश्न है यह विगत सरकार द्वारा चलाया गया था और क्रय केन्द्र और मिल गेट पर प्रति क्विंटल की कमी चली आ रही है। इसमें बातचीत की थी, तो क्रय केन्द्र और मिल गेट का डिफरेंस है। इसको वह कटौती के रूप में नहीं मानते।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो यह कहा है कि टोल टैक्स काटा गया है, तो क्या फैक्टरी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती चन्द्रावती—

इस पर विचार चल रहा है। इस पर भी कोशिश की थी।

श्री बिन्दू लाल—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया

श्री अध्यक्ष—

आप अब बैठ जाइये, मैंने दूसरे प्रश्न के लिये बुलाया है।

गन्ना मूल्य भुगतान हेतु चीनी मिलों को सरकार द्वारा दिया गया ऋण

*2—श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)—

क्या गन्ना विकास एवं उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गतवर्ष सरकार द्वारा चीनी मिलों की शकरनिधि अथवा शासन से कितना-कितना धन गन्ना मूल्य भुगतान करने के लिये दिया गया तथा कितनी चीनी मिलों ने उसका कितना-कितना धन गन्ना मूल्य भुगतान में उपयोग न करके अन्य मदों पर व्यय कर शासन के आदेशों की अवहेलना की ?

श्रीमती चन्द्रावती—

निर्दिष्ट वर्ष में चार करोड़ रुपये का ऋण राज्य आकस्मिकता निधि से लेकर उत्तर प्रदेश गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये ऋण सहायता निधि की स्थापना की गई थी। तदुपरान्त उत्तर प्रदेश शक्कर विशेष निधि समिति ने प्रदेश की 15 चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति पर विचारोपरान्त 1971–72 से 1975–76 तक के गन्ना मूल्य के अतिदेयों के भुगतान हेतु निम्नलिखित चीनी मिलों को उनके सम्मुख लिखी धनराशि का ऋण दिया था—

		लाख रु0
(1)	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 (सखोती टांडा यूनिट) जिला मेरठ	20.00
(2)	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम, लि0 (मोहिउद्दीनपुर यूनिट) जिला मेरठ	18.00
(3)	किच्छा शुगर कं0 लि0, किच्छा, जिला नैनीताल ..	15.00
(4)	लार्ड कृष्णा शुगर मिल्स, सहारनपुर	58.00
(5)	अमृतसर शुगर मिल्स, रोहाना कलां, मुजफ्फरनगर ..	17.00

		लाख रु0
(6)	जानकी शुगर मिल्स, दोईवाला, जिला देहरादून	20.00
(7)	एच0 आर0 शुगर फैक्ट्री, बरेली	43.00
(8)	पन्नी जी शुगर मिल्स, बुलन्दशहर	68.00
(9)	बुढ़वल शुगर कं0 लि0, जिला बाराबंकी	6.50
(10)	कुन्दन शुगर मिल्स, अमरोहा, जिला मुरादाबाद	30.00
(11)	आर0 बी0 लक्षमणदास शुगर एण्ड जनरल मल्स लि0 जरवल रोड, जिला बहराइच	26.00
(12)	एस0 बी0 शुगर मिल्स, बिजनौर	33.00
(13)	जसवन्त शुगर मिल्स, मेरठ	25.00
(14)	काशी सहकारी चीनी, मिल्स, लि0 औराई, जिला वाराणसी . .	5.00
(15)	किसन सहकारी चीनी मिल्स, लि0, सरसावां, जिला सहारनपुर . .	14.00
	योग . .	398.50

निम्नांकित चीनी मिलों द्वारा उनके समक्ष अंकित धनरशि को छोड़कर शेष का उपयोग गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु ही किया गया है :—

क्रम सं0	नाम चीनी मिल	गन्ना मूल्य की अतिरिक्त मद में उपयोग की गई धनराशि,
1	2	3
		(लाख रु0)
1	पन्नी जी शुगर मिल्स, बुलन्दशहर	7.59
2	लार्डकृष्णा शुगर मिल्स, सहारनपुर	4.00
3	एस0 बी0 शुगर मिल्स, बिजनौर	1.14
4	एच0 आर0 शुगर फैक्ट्री, बरेली	4.87
5	आर0 बी0 लक्ष्मणदास शुगर एण्ड जनरल मिल्स, जरवल रोड, जिला बहराइच	5.67
	योग . .	23.27–

जसवन्त शुगर मिल्स, मलियाना मेरठ तथा बुढ़वल शुगर मिल के पास क्रमश: 0.49 लाख रु0 तथा 0.03 लाख रु0 अवशेष प्रतिवेदित हैं ।

श्री रणजीत सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि बहुत बड़ी मात्रा में ऋण रिसीवर-शिप गन्ना मिलों को दिया गया ? यदि हां, तो क्या ऐसी मिलों से जमानत ली गयी ? यदि नहीं, तो रिसीवर हट जाने से मिलों से अब वसूली किस प्रकार होगी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

यह जो धनराशि ऋण की मिलों को दी गयी तो ऐसी स्थिति थी कि उनको चलाने के लिये जनहित की बात थी । मजदूरों को और गन्ना मूल्य दिलाने के लिये सरकार संबंधित थी ।

इसलिये ऋण मिलों को दिया गया । वसूली का तो इस समय हमारे सामने कोई प्रश्न ही नहीं आ रहा है ।

श्री रणजीत सिंह--

अध्यक्ष महोदय, यदि प्रतिभूति नहीं ली गयी, तो ऋण की वसूली किस प्रकार की जायेगी यह बता दें ?

श्रीमती चन्द्रावती--

नियम के अनुसार सरकार की तरफ से गारन्टी दी जाती है ।

श्री अध्यक्ष--

आप यह बतायें कि कोई जमानत ऋण देने से पहले ली गयी है कि नहीं ? यदि नहीं, तो ऋण कैसे वसूल होगा ?

श्रीमती चन्द्रावती--

अध्यक्ष महोदय, मैंने कह तो दिया कि नियम के अनुसार सरकार की तरफ से गारन्टी दी जाती है ।

श्री राम दत्त जोशी--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार इन बीमार मिलों को और कारपोरेशन तथा कोआपरेटिव फैक्टिरियों को कर्जा दिया गया है, उसी प्रकार क्या सरकार द्वारा प्राइवेट मिलों को भी सुविधा दी गयी हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, इस प्रकार नहीं दिया गया है ।

श्री रणजीत सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 5 चीनी मिलों में गन्ना हेतु ऋण उपयोग अन्य कार्यों में किया गया । तो क्या यह आज तक सरकार से लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी थी कि मजदूरों को वेतन देने का सवाल था, तो फाइनेंशियल कन्टेजेन्सी के अनुसार भुगतान करने की स्थिति में लिया गया । अब ऋण उनसे वापस होकर, देय राशि में दिया जायेगा ।

श्री रणजीत सिंह--

मान्यवर, ऋण को दूसरे कार्यों में उपयोग करने के लिये क्या आज्ञा ली गयी थी, कि नहीं ?

श्रीमती चन्द्रावती--

उन्होंने इस प्रकार के सुझाव भेजे थे ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगी कि क्या इस प्रकार की असाधारण परिस्थिति देवरिया जिले के छितौनी शुगर मिल में पैदा हो गयी है कि वहां के श्रमिकों का 37 लाख रुपया बकाया है और 3 महीने से किसानों को धन नहीं मिल रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे पैदा नहीं होता है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या मंत्री जी बातयेंगे कि लोक सभा के चुनाव के समय बिना बांड और बिना जमानत लिये चीनी मिलों को करोड़ों रुपये दिया गया है ? यदि हां, तो किस अधिकारी ने बिना जमानत के दिया ? क्या सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही करने की सोच रही है ?।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे पैदा नहीं होता है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मैं मंत्री जी के उत्तर के संबंध में जानना चाहता हूं कि लगभग 398.50 लाख रुपया का ऋण दिया गया है तो इसमें कितना रुपया वसूल हो गया है और कितान बाकी है तथा वह कब तक वसूल किया जायेगा ?

श्रीमती चन्द्रावती--

जो ऋण दिया गया है वह देने की तिथि से 7 वर्ष में वसूल होगा। पहले वर्ष में 5 लाख होगा। उससे जिसकी हजार टन से ज्यादा कैपेसिटी है, उसको 10 हजार तक देना पड़ेगा। अभी ऋण वापस नहीं आया है ।

श्री जानकी शुगर मिल्स एण्ड कम्पनी डोईवाला, देहरादून पर प्रशासक की नियुक्ति

*3--श्री रणजीत सिंह--

क्या सरकार बतालाने की कृपा करेगी कि श्री जानकी शुगर मिल्स एण्ड कम्पनी, डोईवाला (देहरादून) को सरकार द्वारा अधिग्रहण का प्रश्न विचाराधीन है ? क्या उक्त चीनी मिल का नवीनीकरण भी सरकार निकट भविष्य में करने जा रही है ।

श्रीमती चन्द्रावती--

जी नहीं, श्री जानकी शुगर मिल्स, डोईवाला, (देहरादून) पर इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम अथराइज्ड कन्ट्रोलर नियुक्त है। जिसकी अवधि 15-1-1980 तक है। जहां तक मिल के पुनर्वास / नवीकरण का प्रश्न है, मिल को पेराई क्षमता 900 टन से बढ़ा कर 1,500 टन प्रति दिन करने के लिये लाइसेंस भारत सरकार से मई, 1977 में प्राप्त हुआ था। परन्तु भारतीय औद्योगिक निगम से ऋण न मिलने के कारण अभी तक कोई प्रगति नहीं हो सकी है ।

गन्ना विकास विभाग के कर्मचारियों की सेवावधि में कथित वृद्धि

*4--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो कि 58 वर्ष की आयु सीमा पार कर लिये जाने के कारण सेवानिवृत्त हो चुके थे और अब भी विभाग में सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवा में रखने का कारण क्या है ?

श्री श्रीमती चन्द्रावती--

गन्ना विकास विभाग में ऐसे राजकीय कर्मचारियों की संख्या शून्य है ।

*5--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[3रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

सुपर मार्केटों की बैलेंस शीट एवं उनके सुधार की व्यवस्था

*6—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री गेंदालाल गुप्ता (जिला एटा)—

क्या सहकारिता मंत्री बातने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने सुपर मार्केट चल रहे हैं ? क्या गत 5 वर्षों में अलग-अलग उनकी बैलेंस शीट तैयार की गई है ? यदि हां, तो प्रत्येक सुपर मार्केट के आय और व्यय का ब्यौरा क्या है ? कौन-कौन से बाजार हानि से चल रहे हैं ? क्या शासन उनमें सुधार की व्यवस्था कर रही है। यदि हां, तो क्या ?

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

प्रदेश के पांच केन्द्रीय उपभोक्ता भंडारों द्वारा सुपर मार्केट चलाये जा रहे हैं। इनकी गत पांच वर्षों की अलग-अलग बैलेन्स शीट तैयार की गई है।

प्रत्येक सुपर मार्केट की बैलेन्सशीट का ब्योरा† संलग्न है।

वर्ष 1976–77 में देहरादून और इलाहाबाद के सुपर मार्केट हानि पर चल रहे हैं। इन सुपर मार्केटों के सुदृढ़ीकरण हेतु निम्न व्यवस्था की जा रही है।

1—खर्चों पर रोकथाम।

2—नवीन शाखायें खोलकर व्यवसाय में वृद्धि।

3—वस्तुओं के क्रय की सुनियोजत तथा नियंत्रित निति।

4—शिक्षा कर्मचारियों की व्यवस्था।

5—पर्याप्त कारोबार की पूंजी उपलब्ध कराने, साज-सज्जा में उपयुक्त नवीनीकरण करने एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों के उपलब्ध कराने हेतु सहायता।

फ़र्रुखाबाद जिले में कायमगंज सहकारिता चीनी मिल में गन्ना विकास समिति बनाये जाने की मांग

*7—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या गन्ना विकास तथा चीनी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या फर्रुखाबाद जनपद की जनता पार्टी के सभी विधायकों की ओर से कायमगंज सहकारिता चीनी मिल में गन्ना विकास समिति को पुन: जीवित करने का आवदेन-पत्र 14 सितम्बर, 1977 को दिये है; यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी हां, गन्ना कृषकों के हित में एवं सहकारिता कार्यों के सम्बन्ध में समन्वय बनाये रखने की दृष्टि से उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया।

श्री संजय गांधी के लखनऊ में कार्यक्रम के संबंध में श्री वीरेंद्र वर्मा, सहायक समादृष्टा प्रादेशिक विकास दल द्वारा जिलाधिकारियों को लिखा गया परिपत्र एवं व्यय की गयी धनराशि

*8—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या सरकार बतालाने की कृपा करेगी कि 28 मार्च, 1976 को श्री संजय गांधी के लखनऊ के कार्यक्रम के बारे में श्री वीरेन्द्र वर्मा, सहायक समादेष्टा, प्रादेशिक विकास दल उत्तर प्रदेश संख्या पांच–302/ प्र0 वि0 द0 1975–76 दिनांक 13 मार्च, 1976 प्रादेशिक विकास दल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष (श्री राम अधार तिवारी) ने पत्र सं0 25 संघ / 1976, दिनांक 18 मार्च, 1976 के अन्तर्गत पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों

---

†छापा नहीं गया।

को कोई निर्देश भेजे थे। यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त कार्य को सम्पन्न कराने हेतु 34 हजार रुपये पटियाला के ग्रामीण खेलकूद कार्य-क्रम की बचत से पूरा किया गया था और जब खेल कूद संस्थान पटियाला के संचालकों ने इस बड़ी धनराशि का समायोजन मांगा तो प्रादेशिक विकास दल के वर्ष 1976–77 के नियमति बजट से ग्रामीण खेलकूद की मद से 34 हजार रुपये की राशि अग्रिम निकालकर पटियाला संस्थान को वापिस की गई ?

श्री जमुना प्रसाद—

यह सही है कि 28 मार्च, 1976 को श्री संजय गांधी के लखनऊ में कार्यक्रम के बारे में श्री बीरेन्द्र वर्मा, तत्कालीन सहायक समादेष्टा, प्रादेशिक विकास दल मुख्यालय के हस्ताक्षर से एक परिपत्र केवल लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव सीतापुर तथा हरदोई जनपदों के जिलाधिकारियों को भेजा गया था। जिसमें अनुरोध किया गया था कि वह निर्धारित संख्या में प्रादेशिक विकास दल अथवा युवक मंगल दल के अवैतनिक सदस्यों को मुख्यालय पर भेजने तथा उनके लिये ट्रक अथवा बस की व्यवस्था करदें। ट्रक के लिये डीजल आदि का व्यय प्रा0 वि0 द0 मुख्यालय पर कर दिया जायगा। जिलाधिरियों से यह भी अनुरोध किया गया था कि कुछ ट्रक मालिकों से अनुरोध किया जाय कि युवकों को मुख्यालय तक बिना किसी व्यय के पहुंचा दें और उन्हें वापस भी ले जायं। प्रादेशिक विकास दल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री राम अधार तिवारी ने प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय संगठनकर्ता एवं व्यायाम प्रशिक्षकों तथा समस्त उपाध्यक्ष, जनपदीय एवं कार्य-कारिणी के सदस्य एवं पदाधिकारियों को निर्देश भेजे थे कि वे राष्ट्रीय युवक नेता संजय गांधी के लखनऊ के कार्यक्रम में भाग लें।

यह भी सही है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला से ग्रामीण खेल-कूद प्रतियोगिता हेतु प्राप्त धनराशि में से उक्त कार्य को सम्पन्न कराने के लिये रु0 34,000 नहीं अपितु रु0 30,104.54 को धनराशि व्यय की गई थी। बाद में उक्त संस्थान द्वारा समायोजन मांगे जाने पर प्रादेशिक विकास दल के वर्ष 1976–77 के नियमित बजट की ग्रामीण खेलकूद की मद से अग्रिम धनराशि निकालकर पटियाला संस्थान की वापस कर दी गई थी।

फ़ासफ़ैटिक एवं पोटैशियम उर्वरकों पर उपलब्ध सुविधा

*9—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि फासफैटिक एवं पोटेशियम उर्वरकों में 20 एवं 30 प्रतिशत की वित्तीय राहत वर्ष 1977–78 में केवल उन्हीं कृषकों को मिलेगी जो शीर्षस्थ संगठनों एवं राज्य निगमों से ही खरीद करेंगे निजी विक्रेताओं से नहीं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां, यह सही है। निजी विक्रेताओं के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध कराना व्यवहारिक नहीं है।

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक, वाराणसी की बन्दी एवं वाराणसी कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियन से ऋण की वसूली

*10—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 सहकारी बैंक की वाराणसी शाखा के बन्द होते समय किन-किन लोगों के ऊपर आठ हजार से ऊपर ऋण रहा जो स्थानान्तरित होकर यू0 पी0 ए0 बैंक, लखनऊ शाखा में आ गया और ऐसे लोगों में किन–किन व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा वसूली के आदेश प्राप्त किये गये थे ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव :—

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की वाराणसी शाखा के बन्द होते समय केवल वाराणसी मिल्क सप्लाई यूनियन पर आठ हजार से ऊपर लगा ऋण हस्तांरित होकर बैंक की लखनऊ शाखा में 1-7-76 को आ गया। हस्तांतरित ऋण की कुल धनराशि रु0 1,20,815-47 थी।

उक्त यूनियन पर लगे ब्याज सहित कुल धनराशि मु0 1,94,655.08 की वसूली हेतु दिनांक 18-6-60 को वसूली सालसो वाद प्रस्तुत किया गया। सोल आबीट्रेटर व दिनांक 28-6-61 को उक्त धनराशि के लिये यूनियन के विरुद्ध एवार्ड दे दिया। तत्पश्चात् यूनियन से निम्न विवरण के अनुसार रु0 73, 839.61 की वसूली हुई :—

यूनियन के आइसप्लांट की नीलामी से

	रु0
यूनियन की मियादी	71,836.00
अमानत के समायोजन से	1,035.00
यूनियम के करेंट एवं सेविंग बैंक एकाउन्ट के समायोजन से ..	488.61
यूनियन को देय डिवीडेंड के भुगतान से	480.00
योग	73,839.61

उपरोक्त वसूली के बाद 1,20,815.47 रु0 यूनियन से वसूल होने शेष रह गये जिसके लिये शीर्ष बैंक की वाराणसी शाखा द्वारा इजराय की कार्यवाही कराई गई परन्तु अतिरिक्त निबन्धक (मिल्क) के जिलाधिकारी, वाराणसी का संबोधित पत्र दिनांक 23-11-68 द्वारा इजरा कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके पश्चात् केवल डिवीडेन्ड के 1,320 की वसूली हुई है।

पूरे विवरण एकत्र करके एक माह में सदन के पटल पर रखा दिया जायगा।

*11—श्री पूरन चन्द्र—

[6ठें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

सुल्तानपुर तथा रायबरेली में युवक मंगल दल को दी गयी धनराशि का विवरण

*12—श्री राम शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि मार्च, 1976 में प्रादेशिक विकास दल की मार्फत अमेंठी लोकसभा क्षेत्र के 12 विकास खण्डों में एक साथ 6 लाख रुपये से अधिक धनराशि शासन द्वारा दी गयी ? यदि हां, तो उस राशि का किस कार्य में उपयोग किया गया ?

श्री जमुना प्रसाद —

शासन द्वारा सुल्तानपुर तथा रायबरेली जनपद के 13 विकास खण्डों में युवक मंगल दलों के कार्यक्रमों को सुसंगठित करने के लिये 6 लाख 50 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी। परन्तु बाद में केवल 12 विकास खंडों में 50 हजार प्रति विकास खण्ड के हिसाब से 6लाख रुपया व्यय करने के आदेश दिये गये थे।

उक्त धनराशि में से 88,341रु0 12पै0 का उपयोग युवक मंगल दलों के पदाधिकारियों तथा सदस्यों को प्रशिक्षण पर और 2,14,049 रुपय 94 पैसे का योग

सुल्तानपुर तथा रायबरेली जनपदों में युवक मंगल दलों के कार्यक्रमों को संसुगठिन करने के लिये किये गया है। शेष धनराशि जमा करा ली गयी है। 1,24,594 रु0 58 पै0 दिनांक 29-9-77 को जमा करा लिया गया था और 2,23,010 रु0 36 पै0 जनपदों में खर्चा करने से रोक दिया गया है।

कैसरबाग डिपो, लखनऊ पर परिवहन निगम टास्क फ़ोर्स के फ़ोरमैन द्वारा मारा गया कथित छापा तथा क्षेत्रीय कार्यशाला रिकंडीशंड सेक्शन (लखनऊ) की कथित तलाशी

*13—श्री राम आसरे शर्मा (जिला हरदोई)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतालायेंगे कि परिवहन निगम में फोरमैन टास्फ के फोर्स ने जून, 1977 में कैसरबाग डिपो (लखनऊ) पर छापा मारकर कुछ कर्मचारियों द्वारा फैंका हुआ समान कूड़ा में पकड़ा और उसकी रिपोर्ट मुख्य सुरक्षा अधिकारी को दी ? यदि हां, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री आबिद अली)—

जी नहीं।

टास्क फोर्स के फौरमैन द्वारा जून, 1977 को कैसरबाग डिपों पर छापा नहीं मारा गया।

*14—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या यह सही है कि दिनांक 10 जून, 1975 को लखनऊ क्षेत्रीय कार्यशाला (परिवहन) के रिकन्डीशन सेक्शनों में तलाशी लिये जाने पर हजारों रुपया का सामान बरामद हुआ जो तत्कालीन सेवा प्रबन्धक द्वारा बचा कर चोरी से रखा गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री आबिद अली—

जी नहीं।

दिनांक 10-6-75 को क्षेत्रीय कार्यशाला के रिकंडीशंड सेक्शन लखनऊ में कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुयी। अत: किसी कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

*15—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री हुकम चन्द्र तिवारी तथा श्री राज कुमार शर्मा—

[3 रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वाराणसी जिले के ग्राम सुरही में नाद नदी पर अर्ध-निर्मित पुल

*16—ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सुरही, ब्लाक, पिडरा, जिला वाराणसी में नाद नदी में ब्लाक पिंडरा के माध्यम से एक अधरा पक्का पुल बनाकर अर्सा 6-7 वर्ष से छोड़ दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक उक्त पुल तथा उसकी सड़कों को पूरा क्यों नहीं किया गया ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने दिनांक 11 अक्तूबर, 1977 को माननीय सामुदायिक विकास मंत्री को एक पत्र भी लिखा है कि उक्त पुल का निर्माण पूरा करा दिया जाय ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जमुना प्रसाद :—

ग्राम सुरही, विकास खण्ड पिंडरा, जिला वाराणसी में नाद नदी पर वर्ष 1968 में एक पक्का पुल का निर्माण किया गया जिसे धनाभाव के कारण ग्राम सभा द्वारा पूरा नहीं किया जा सका है। इस पुल की सड़क को भी धनाभाव के कारण ग्राम सभा सुरही द्वारा पूरा नहीं किया जा सका है। इस विषय में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 11-10-77, नहीं प्राप्त हुआ है।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी गोरखपुर द्वारा माफ किया गया मार्ग कर तथा यात्रीकर

*17——श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, गोरखपुर ने अगस्त, 1974 से अगस्त, 1977 तक कितना टैक्स (मार्ग-कर तथा यात्री-कर) माफ किया है और इसका आधार क्या है ? क्या यह सही है कि आर० टी० ओ०, गोरखपुर के विरुद्ध शासन को इस सम्बन्ध में हाल ही में शिकायत मिली है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री आबिदी अली——

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गोरखपुर द्वारा प्रश्नगत अवधि में रुपया 1,16,368.77 का मार्ग तथा रुपया 1,12,50 यात्रीकर माफ किया गया। उपरोक्त कर गाड़ी के खराब होने के गैरज प्रमाणक, गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के प्रमाणक, गाड़ी थाने में बन्द रहने तथा फिजटनस/परिमट वैध न होने पर आदि के आधार पर माफ किया गया। कर माफ करने में की गयी अनियमिताओं के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुयी थीं जिनकी जांच करायी जा रही है।

दीवाली के अवसर पर लखनऊ सीतापुर की बसों की कटौती

*18——श्री गनेशी लाल चौधरी ——

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में रोडवेज सर्विसेज आवश्यक (एसेंशियल) नौकरी है ? यदि हां, तो इस बार दीवाली के अवसर पर लखनऊ की सीतापुर होकर जाने में बसों में क्यो कटौती की गई और भविष्य में इस प्रकार के त्योहारों पर बसों की कटौती न की जाय इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री आबिद अली——

जी हां। होली और दीवाली के अवसर पर यात्रियों की कमी तथा विभाग के कर्मचारियों के अवकाश पर अधिक जाने के कारण सीमित सेवायें चलायी जाती हैं।

परिवहन मंत्री द्वारा गोरखपुर में परिवहन विभाग का निरीक्षण

*19——श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)——

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सितम्बर, 1977 में परिवहन मंत्री जी को गोरखपुर दौरे के समय सम्बद्ध विभाग के विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली थी तथा अचानक कुछ स्थानों के निरीक्षण के समय कुछ अन्य अनियमितायें भी मिली थीं ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री आबिद अली ——

जी हां, जिन कामियों को पाया गया था उनको दूर किया जा चुका है तथा संबंधित अधिकारियों को भविष्य में सतर्क रहने के लिए चेतावनी दी जा चुकी है।

*20——श्री सोहन वीर सिंह तोमर ——

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पत्र पर तीसरे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 52 के अन्तर्गत स्थापित।]

*21——श्री रमाशंकर कौशिक——

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

गाजीपुर जिले में पागल पशु के काटने से पशुओं की मृत्यु एवं दवा हेतु की गयी व्यवस्था

*22—श्री देव राम (जिला गाजीपुर)—

क्या पशुपालन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिलान्तर्गत मनिहारी विकास खंड की ग्राम सभा सुजनीपुर व रसूलपुर माह में अगस्त, 1977 में कितने पशु पागल जानवर के काटने से मर तथा किसानों के बार-बार अनुरोध करने पर भी मनिहारी ब्लाक के पशु-चिकित्सक विलम्ब से पहुंचे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

ग्राम सुजनीपुर के ग्यारह तथा ग्राम रसूलपुर के तीन पशु माह अगस्त, 1977 में पागल पशु के काटने से मरे थे। ग्रामवासियों की ओर से मनिहारी विकास खण्ड के पशु चिकित्सक को प्रथम सूचना दिनांक 14–8–77 को प्राप्त हुई और पशु चिकित्सक ने दिनांक 15–8–77 को उपरोक्त ग्रामों का भ्रमण किया था।

*23—श्री देवराम—

क्या पशुपालन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, गाजीपुर द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 1977 को एक हजार रुपये की दवा हेतु व्वयस्था कर देने पर भी पशुपालन विभाग, गाजीपुर द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 1977 तक उपचार हेतु कोई कार्यवाही नहीं हुई ? इसी बीच उपचार के अभाव में 3 और पशुओं की मृत्यु हो गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जिलाधिकारी, गाजीपुर की मांग पर पशुपालन निदेशालय द्वारा 20,00 रु0 की धनराशि उनको उपलब्ध करायी गयी थी। एन्टीरेबिक वैक्सीन आई0 बी0 आर0 ई0 आइजटनगर (बरेली) तथा पटवांडागर (नैनीताल) से मंगाने के उपरान्त ही टीका लगाने का कार्य दिनांक 24–8–77 से प्रारम्भ किया जा सका था। रेबीज रोग के उपचार की कोई दवा अभी उपलब्ध नहीं है और यह भी आवश्यक नहीं है कि जिन पशुओं को एन्टीरेबिक वैक्सीन टीका लगाया जाय वे रेबीज रोग से ग्रस्त न होंगे। दिनांक 20–8–77 से 24–8–77 तक की अवधि में तीन रोगी पशुओं की मृत्यु हुई थी।

कृषि विभाग द्वारा खाद्य निगम से उर्वरक की खरीद एवं वजन में कमी

*24—श्री ऊदल—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग उत्तर प्रदेश भी इस प्रकार के फर्टीलाइजर वेयर हाउस कारपोरेशन से खरीदता है जिसकी बोरियां हाथ की सिली होती हैं और उन बोरियों में पोलिथीन अन्दर नहीं होता ? यदि हां, तो ऐसा क्यों, क्या यह सच है कि फर्टिलाइजर पोलिथिन न होने से गलता है और वजन भी कम होता है और फर्टीलाइजर भी अच्छा नहीं है ? ऐसा कितने दिनों से हो रहा है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

कृषि विभाग दो वर्षों से अधिकांश उर्वरक भारतीय खाद्य निगम से क्रय करता है जिसकी आपूर्ति वेयर हाउस कारपोरेशन के गोदामों से होती है। इन उर्वरकों की बोरियां प्रायः हाथ से सिली होती हैं और उनमें सामान्यतया पोलिथिन लाइनर रहता है।

यदि बोरियों में पोलीथिन लाइनर न लगा हो तो हाईग्रोस्कोपिक प्रकृति के उर्वरक नमी वाले दिनों में वायुमंडल से नमी ले लेते हैं जिससे बोरियां गीली हो जाती हैं और ऐसी दशा में इनके वजन में अन्तर आ सकता है।

विभाग द्वारा वेयर हाउस से केवल अच्छा उर्वरक ही प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।

*25—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]।

बाराबंकी जिले की सहकारी संघ, कोठी द्वारा कतिपय सहकारी समितियों से ऋण की वसूली

*26—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी संघ, कोठी, विकास खंड, सिद्धौर, जनपद बाराबंकी में वर्ष 1969–70 में साधन सहकारी समिति, शेखपुर, दामोदर एवं कादिरपुर के सदस्यों के नाम लगभग 30 हजार रुपया निकाला गया? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि यह रुपया अब तक वसूल नहीं किया गया? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सहकारी संघ कोठी, विकास खण्ड सिद्धौर, जिला बाराबंकी में साधन सहकारी समिति, शेषपुर, दामोदर तथा कदिरपुर के सदस्यों के नाम वर्ष 1959-70 में तीस हजार रु0 ऋण नहीं निकाला गया। वस्तुतः स्थिति इस प्रकार है—

शेषपुर दामोदर समिति में वर्ष 1969–70 में 19,940.00 रु0 नकद के रूप में जिला सहकारी बैंक से तथा 2,850.00 रु0 का उर्वरक ऋण के रूप में वर्ष 70–71 में निकाला गया। नगद ऋण में से अब तक 3,107.00 रु0 तथा उर्वरक हेतु वितरित ऋण में पूरा 2,850.00 रु0 वसूल हो चुका है। कादिरपुर सोसाइटी में वर्ष 69–70 में 44,680 रु0 नकद ऋण के रूप में जिला सहकारी बैंक से तथा 11240.50 रु0 उर्वरक के रूप में कोठी संघ से निकाला गया। इसमें से नकद ऋण 4,880.00 एवं उर्वरक में से 9,340.50 वसूल हो चुका है। कादिरपुर समिति से सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध न हो पाने की दशा में सहायक विकास अधिकारी (सह0) सिद्धौर द्वारा 9–12–77 को अभिलेखों के रख-रखाव के लिये जिम्मोदार पदाधिकारियों सर्वश्री अवधेश प्रसाद शर्मा तत्कालीन सरपंच व मुरारी लाल अंकिक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

चूंकि पुराने ऋण बकाया के सत्यापन के समय अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पाये थे अतः कादिरपुर समिति का सत्यापन पूरा नहीं हो पाया। विशेष जांच हेतु उ0प्र0 सहकारी अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत उपरोक्त सभापति व अंकिक की जिम्मेदारी निर्धारण हेतु जांच अधिकारी भी नियुक्त किया जा चुका है।

*27—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

[5 वे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

कृषि विभाग लखीमपुर खीरी के कृषि अधिकारी के विरुद्ध कथित आरोप

*28—श्री शम्भू नाथ चौधरी:—

उत्तर प्रदेश विधान सभा दिनांक 3 अगस्त, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 9 और 10 के उत्तर के क्रम में क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि सम्बन्धित कृषि अधिकारी के विरुद्ध गम्भीर आरोप सिद्ध होने पर भी दण्डात्मक अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं हुई है। यदि हां, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह :—

जांच के सम्बन्धित कृषि अधिकारी के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुआ, अतएवं कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

बौद्धिक पर्यटन स्थलों के विकास की मांग

*29 —संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या पर्यटन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बौद्धिक स्थलों के पर्यटन विकास हेतु आगरा की भांति कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री आबिद अली—

प्रदेश में स्थित बौद्धिक स्थलों के पर्यटन विकास हेतु आगरा की योजना की भांति कोई योजना नहीं बनायी गयी है। परन्तु प्रदेशीय सरकार उन स्थलों के विकास हेतु प्रयत्नशील है।

सदर विकास खंड प्रतापगढ़ के सहकारिता विभाग में गबन

*30—संगम लाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रतापगढ़ जनपद के सदर विकास खण्ड में लाखों रुपये का घोटाला सहिकारिता विभाग में जुलाई, 1977 में पकड़ा गया है ? अगर हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं, जुलाई 1977 में कोई गबन प्रकाश में नहीं आया। वर्ष 1962–63 से 1964–65 तक दो मामले क्रमशः रुपये 18,895.86 व 12,254.91 के प्रकाश में आये थे जिन पर वर्ष 1966 में भारतीय दण्ड विधान की धारा 409 के अन्तर्गत क्रमशः अपराध सं0 247/66 व 22, 66 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी तथा उक्त मामलों में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये गये थे। इसी संन्दर्भ में क्षेत्र के कतिपय सदस्यों के हस्ताक्षरित सामूहिक प्रार्थना-पत्र दिनांक 24–4–77 को प्रस्तुत किया गया। सम्बन्धित सदस्यों से वसूली रोक दी गई है और दोषी सचिव की सेवा पहले ही समाप्त की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 1976–77 में रु0 6,332.18 पैसे कुर्क अमीन द्वारा वसूल कर गबन कर लेने का प्रकरण प्रकाश में आया जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट 19–1–77 को अपराध सं0 33/77 द्वारा दर्ज कराई जा चुकी है। कुर्क अमीन की सेवा समाप्त की जा चुकी है।

फर्रुखाबाद जिले के ठठिया-राजघाट मार्ग पर प्राइवेट बसों का परमिट

*31—श्री झामलाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद, तहसील कन्नौज के अन्तर्गत सन् 1974–75 तथा 1975–76 में कितनी प्राइवेट बसों के परमिट ठठिया से राजघाट, कन्नौज तक दिये गये थे, क्या प्राइवेट बस ठठिया से राजघाट तक चल रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आबिद अली—

जनपद, फर्रुखाबाद तहसील कन्नौज के अन्तर्गत सन् 1974–75 में ठठिया–राजघाट मार्ग पर तीन अस्थायी परमिट संभागीय परिवहन प्राधिकरण कानपुर द्वारा जारी किये गये थे, जिनका विवरण निम्नवत् है—

क्रम-संख्या	परमिटधारी का नाम		परमिट गाड़ी संख्या	अस्थायी परमिट की अवधि
1	श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	..	152 यू टी ई 3591	19–5–74 से 18–9–74
2	श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	..	272 यू टी ई 3591	19–9–74 से 8–1–75
3	श्री वीरेन्द्र सिंह	..	405 यू टी यू 587	25–11–74 से 24–3–75

प्रश्नगत मार्ग का भाग तिर्वा से सरायमीरा 16 कि0 मी0 राष्ट्रीयकृत होने के कारण उपरोक्त तीनों अस्थायी परमिट कोरीडोर प्रतिबन्ध के साथ जारी किये गये थे किन्तु माह नवम्बर, 1974 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट बसों के परमिट न जारी किये जायं, के अनुसार उक्त मार्ग पर नवम्बर, 1974 के बाद तथा वर्ष 1975–76 में प्राइवेट बसों के कोई परमिट नहीं जारी किये गये ।

वर्तमान समय में चार प्राइवेट बसें जिन्हें संभागीय परिवहन प्राधिकरण, कानपुर की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 1972 व 14 मई, 1973 में स्थायी परमिट स्वीकृत किये गये थे विशेष उपबन्ध अधिनियम, 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत ए0 ओ0 सी0 सी0 चार्जेज देकर पूरे मार्ग पर स्थायी रूप से चल रही हैं ।

*32—श्री कल्पनाथ सिंह—

[भारत सरकार से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

इमरजेंसी के दौरान हटाये गये पंचायत सेवकों की पुनर्नियुक्ति

*33—श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि इमरजेन्सी के दौरान प्रदेश में हटाए गए पंचायत सेवकों को पुन: सेवा में ले लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जमुना प्रसाद—

इमरजेन्सी के दौरान 153 पंचायत सेवकों को हटाया गया । इनमें से जिन लोगों के सम्बन्ध में पुनर्विचार हेतु प्रत्यावेदन प्राप्त हुए उन पर विचार करने पर ज्ञात हुआ है कि कुछ का हटाया जाना न्यायसंगत नहीं था । फलस्वरूप 25 को पुन: सेवा में ले लिया गया है ।

छितौनी चीनी मिल में लकड़ी के अभाव के फलस्वरूप बहाया गया गन्ने का रस

*34—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री को पता है कि वर्ष 1976–77 के सीजन के समाप्ति के समय छितौनी चीनी मिल के अधिकारियों ने लकड़ी के अभाव में गन्ने के रस नालियों में बहा दिया? यदि हां, तो कितने रुपए की लागत के ईधन की आवश्यकता थी और कितने मात्रा में गन्ने का रस किसने बहा देने का आदेश दिया ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी हां । छितौनी चीनी मिल जब मिल मालिकों द्वारा चलाई जा रही थी तब 8–3–1977 को रात्रि 10 बजे लकड़ी तथा गन्ने के अभाव में बन्द हो गई । स्टीम न होने के कारण रस खराब होने लगा एवं 1522-99 एच0 एल0 जूस तथा 522-18 एच0 एल0 गाढ़ा रस बहाया गया । स्टीम उठाने के लिए लगभग 2000 क्विटल लकड़ी की आवश्यकता थी जिसके खरीदने के लिए लगभग रुपये 36,000 व्यय होता । तत्कालीन प्रधान प्रबन्धक के अनुरोध पर असिस्टेट कलेक्टर, सेन्ट्रल एक्साइज गोरखपुर ने खराब एवं अनुपयुक्त रस बहाने का आदेश दिया । यदि उक्त रस न बहाया जाता तो मिल की लगभग 8 लाख रु0 की लागत की मशीनरी नष्ट हो जाती ।

देवरिया जिले की छितौनी एवं गोरखपुर की घुघली व सिसवां बाजार चीनी मिलों का अधिग्रहण

*35—श्री श्रीनारायण—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले की छितौनी, गोरखपुर जिले की घुघली और सिसवा बाजार चीनी मिलों को अधिग्रहण क बाद सरकार की तरफ से कितने-कितने रुपये अब तक दिये जा चुके हैं और किन-किन मदों में कितना-कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

छितौनी, सिसवा बाजार एवं घुघली चीनी मिलों को रिसीवर की नियुक्ति के पश्चात् जून, 1977 में राज्य सरकार द्वारा क्रमश: 20 लाख रुपये, 20 लाख रु0 एवं 25 लाख रु0 का ऋण दिया गया है। उपरोक्त ऋणों का मिलवार एवं मदवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:—

मिलों का नाम (लाख रुपयों में)

मद का नाम	छितौनी	सिसवा बाजार	घुघली
	रु0	रु0	रु0
1—ऋण की प्राप्ति हेतु स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन पर व्यय	1.02	0.96	1.19
2—श्रमिकों को वेतन आदि का भुगतान	13.55	13.03	20.10
3—मिल की मरम्मत तथा स्टोर्स की खरीद पर व्यय	4.93	3.56	2.94
4—अन्य खर्च (प्रशासनिक व्यय)	0.50	0.45	0.22
5—शेष ..	..	..	0.55
योग ..	20.00	20.00	25.00

प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम लिमिटेड की उपलब्धियां

*36—श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)—

क्या सरकार बतायेगी कि कृषि गोधन विकास निगम, चित्रकूट प्रयाग की 1977–78 के बजट सत्र तक अब तक की उपलब्धियां क्या-क्या है तथा उस पर अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है ? क्या निगम ने कोई हरी घास का फार्म भी लगाया है ? यदि हां, तो कहां और कितने क्षेत्रफल में यह फार्म है? क्या यह निगम स्वतन्त्र इकाई के रूप में कार्य कर रहा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम लिमिटेड की 28 फरवरी, 1978 तक की उपलब्धियां निम्न प्रकार है:—

1—संकर प्रजनन केन्द्रों की स्थापना		9
2—सदस्यों का पंजीकरण		12,471
3—जमे हुए वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की गई गायों की संख्या ..		1,398
4—अनुसरण की गई गायों की संख्या		1,037
5—सफल गर्भित गायों की संख्या		663
6—जन्मे संकर बच्चों की संख्या		255
7—गर्भाधान की सफलता का प्रतिशत		64 प्रतिशत
8—हरे चारे हेतु कूबबूल के पौधों को फार्म में लगाने का क्षेत्रफल		140 एकड़
9—कृषकों को बैंक द्वारा वितरित ऋण का विवरण	कृषकों की संख्या	धनराशि
	34	5,010रु0
10—डी0 पी0 ए0 पी0 के अन्तर्गत कृषकों के मध्य वितरित किया गया अनुदान	119	33,405

कुल व्यय रुपये 11,67,629.92 का हुआ है।

निगम द्वारा वन विभाग से प्राप्त मानिकपुर के पास जबरजस्ता ब्लाक में 140 एकड़ भूमि पर हरी घास उगाने का पाइलट प्रोजेक्ट कूबबूल फार्म लगाया गया है।

निगम कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अन्तर्गत एक राजकीय (सार्वजनिक) कम्पनी के रूप में गठित किया गया और तदनुसार कार्य कर रहा है।

राजकीय परिवहन निगम द्वारा बनवाई गयी बस बाडी

*37—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को मार्च, 1975 से मार्च, 1977 तक कितनी नई बसों की आवश्यकता थी और उसमें से कितनी बसें सी0 एम0 ई0, कानपुर एवं एल0 एस0 फार्म से बनवायीं और कितनी बाहर से खरीदीं और उसकी लागत अलग-अलग क्या थी?

श्री आबिद अली—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को मार्च, 1975 से मार्च, 1977 तक लगभग 1,900 बसों की आवश्यकता थी इनमें से 844 चेसिस पर बस बाडी निर्माण कार्य केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर में सम्पन्न हुआ। एल0 एस0 फार्म (जिसका तात्पर्य ऐलन फारेस्ट कार्यशाला, कानपुर से है) में किसी नई चेसिस पर बस बाडी का निर्माण नहीं हुआ। प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से इस अवधि में 976 चेसिसों पर बस बाडी निर्माण कार्य कराया गया। केन्द्रीय कार्यशाला में निर्मित 844 बस बाडी पर कुल रुपया 2,71,23,000.00 की लागत आयी तथा प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से निर्मित 976 बस बाडियों पर कुल लागत रुपया 4,46,39,481.00 आयी।

बरेली जिले के ग्राम हंसा में विचाराधीन चीनी मिल का निर्माण

*38—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री को ज्ञात है कि मार्च, 1976 में प्रदेश की भूतपूर्व सरकार ने जिला बरेली की तहसील नबाबगंज में एक चीनी मिल की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार की स्वीकृति चाही थी? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्रीमती चन्द्रावती—

जिला बरेली की तहसील नवाबगंज के 'हंसा' नामक ग्राम में एक चीनी मिल की स्थापना हेतु प्रदेश की भूतपूर्व सरकार द्वारा भारत सरकार की स्वीकृति मार्च, 1976 में नहीं, बल्कि फरवरी, 1977 में चाही गई थी। इस सम्बन्ध में भारत सरकार को निर्धारित आवेदन-पत्र भेजा जा चुका है, किन्तु अभी तक उक्त प्रस्तावित चीनी मिल को भारत सरकार से लाइसेन्स नहीं मिल सका है, जिसके लिये उन्हें पुनः लिखा जा चुका है।

एच० आर० शुगर फैक्टरी बरेली पर बकाया गन्ना मूल्य

*39—श्री चेतराम गंगवार—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली एच0 आर0 शुगर फैक्टरी पर किसानों का वर्ष 1969–70, व 1970–71 और 1976–77 का कुछ कितना रुपया गन्ना की कीमत का बकाया है तथा इसका अब भुगतान न किये जाने का कारण क्या है?

श्रीमती चन्द्रावती—

एच0 आर0 शुगर फैक्ट्री बरेली पर किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का विवरण इस प्रकार है:—

वर्ष	बकाया गन्ना मूल्य (लाख रुपयों में)
1969–70	3.81
1970–71	शून्य
1976–77	17.41
कुल ..	21.22

वर्ष 1969–70 के बकाये का भुगतान न किये जाने का मुख्य कारण यह है कि उक्त वर्ष सरकार ने गन्ना मूल्य मिलगेट पर रुपया 7.37 पैसे प्रति कुन्टल तथा बाह्य केन्द्रों पर रुपया 7.05 पैसे प्रति कुन्टल घोषित किया था लेकिन मिल ने जुलाई, 1970 तक खरीदे गए गन्ना का मूल्य गेट पर रुपया 4.08 पैसे तथा बाह्य केन्द्रों पर रुपया 3.76 पैसे प्रति कुन्टल चीनी परते के आधार पर दिया था। गन्ना मूल्य का यही अन्तर बकाये के रूप में एकत्र होता गया। गन्ना समितियां सरकार द्वारा घोषित उक्त गन्ना मूल्य की मांग कर रही है। किन्तु मिल ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट दायर कर दी है जिस पर उच्च न्यायालय का निर्णय प्रतीक्षित है।

मिल की आर्थिक स्थिति एवं मिल मालिकों क कुप्रबन्ध के कारण मिल पर सीजन 1976–77 का बकाया भी भुगतान के लिये शेष है।

कृषि मंडी, सीतापुर के निर्माण में भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*40––श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि मन्डी, सीतापुर के स्थल चयन एवं निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने हेतु कोई शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता की ओर से 25 अगस्त, 1977 को अथवा उसके आस-पास उन्हें मिला ? यदि हां, तो उस पर मन्त्री जी द्वारा क्या आदेश किए गए ?

श्री राजेन्द्र सिंह––

जी हां। उस पर जांच के आदेश दिये गये।

केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री, श्री भानु प्रताप सिंह द्वारा प्रदेश को श्रम हेतु गेंहूं दिये जाने की घोषणा

*41––श्री सुखपाल पाण्डेय––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार के कृषि एवं सिंचाई राज्य मन्त्री, श्री भानु प्रताप सिंह न अक्तूबर, 1977 में सम्बन्धित मन्त्रियों एवं अधिकारियों की सचिवालय में हुई मीटिंग में यह घोषणा की कि केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का गेहूं देगी और यह भी कहा कि सम्बन्धित विभाग अपनी योजना बनाकर भेंजें, यदि हां, तो राज्य सरकार ने कब-कब योजना बनाकर केन्द्रीय सरकार के पास भेजी ? यदि नहीं भेजी, तो क्यों?

श्री जमुना प्रसाद––

13 अक्तूबर, 1977 को आयोजित बैठक में श्री भानु प्रताप सिंह केन्द्रीय राज्य मन्त्री ने श्रम हेतु खाद्यान्न योजनान्तर्गत 100 करोड़ रुपये का गेहूं देने के सम्बन्ध में घोषणा की थी। उक्त योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों की कुल 166 हजार मैट्रिक टन गेहूं की मांग भारत सरकार को 26 अक्तूबर, 5 तथा 18 नवम्बर, 1977 को भेजी गई थी जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ थी।

जिला सहकारी संघ लिमिटेड गोंडा द्वारा प्रेसरों की बिक्री

*42––श्री दीप नारायण (जिला गोंडा)––

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि गोन्डा जिला सहकारी संघ लि0, गोन्डा में थेशर लगभग साठ हजार रुपये के रखे हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि इनका मूल्य इतना अधिक है कि किसान इन थ्रेशरों को खरीदने में असमर्थ है ? यदि हां, तो सरकार सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जिला सहकारी विकास संघ, लि0, गोन्डा में साठ हजार रुपये के नहीं अपितु रु035,777,61 पैसे मूल्य के थ्रेशर इस समय बिक्री हेतु अवशेष हैं। स्थानीय बाजार में इस कोटि के थ्रेसरों का मूल्य प्रश्नगत थ्रेशरों के मूल्य के अधिक है। अस्तु किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

गोंडा जिले के मैजापुर में सहकारी चीनी मिल का स्थापना की प्रार्थना-पत्र

*43—श्री दीप नरायन—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंन्डा जिले में मैजापुर में एक चीनी मिल सहकारिता के आधार पर लगाने का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता ने हाल में दिया था। यदि हां, तो उक्त स्थान की जांच अधिकारियों ने किया था? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा सरकार उक्त गन्ना मिल लगाने के विषय में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी हां, माननीय सदस्य का प्रार्थना-पत्र शासन को मिला था। प्रस्तावित स्थान के परीक्षण एवं सर्वेक्षण हेतु गठित विशेषज्ञ समिति की संस्तुति के आधार पर यह पाया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र में सहकारी चीनी मिल की स्थापना तभी संभव है, जब कार्यरत जरवल रोड चीनी मिल को बन्द कर दिया जाय जो जनहित में अभी उचित नहीं समझा गया है।

*44—श्री श्याम धर मिश्र—

[3रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 70 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राज्य सड़क परिवहन निगम कैसरबाग डिपो लखनऊ के कैशियर के विरुद्ध गबन का आरोप

*45—श्री अशर्फीलाल यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (कैसरबाग डिपो, लखनऊ) में कुछ ऐसे कैशियर तथा सहायक कैशियर हैं जिनके ऊपर गबन के आरोप हैं और फिर भी कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है?

श्री आबिद अली—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सुल्तानपुर जिले के ग्राम किशनी के नाले पर पुल निर्माण की मांग

*46—श्री मोहन सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम किशनी, तहसील, मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में नाले पर पुल बनाने के लिए शासन के आदेश सं02156-5156/33-3-49 सी0-57-176, उप सचिव, पचायत राज ने जिला परिषद्, जिला सुल्तानपुर को दिनांक 15 अप्रैल, 1976 को भेजा था? यदि हां, तो पुल का निर्माण अब तक न होने का क्या कारण है?

श्री जमुना प्रसाद—

शासनादेश संख्या 2156ग/33-3-49 सी0(5)/76, दिनांक 15-4-76 के द्वारा जिला परिषद्, सुल्तानपुर से प्रश्नगत पुल का निर्माण कराने का अनुरोध किया गया था

—धनाभाव के कारण जिला परिषद् द्वारा पुल का निर्माण नहीं किया जा सका।

प्रदेश की चीनी मिलों का अवशेष चीनी स्टाक

*47—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रदेश की चीनी मिलों में 1 दिसम्बर, को कुल कितनी चीनी का स्टाक बचा हुआ है और इस स्टाक के बचत का कारण क्या है?

श्रीमती चन्द्रावती—

प्रदेश की चीनी मिलों में 1 दिसम्बर को वर्ष 1976–77 में उत्पादित चीनी का कुल स्टाक 24,52,371 कुन्टल तथा वर्ष 1977–78 के उत्पादन का 1,58,231 कुन्टल स्टाक था।

चीनी के भावों में गिरावट के कारण चीनी की निकासी कम हुई और इस कारण से स्टाक में उपरोक्त बचत हुई।

*48—श्री मोहन सिंह (जिला रायबरेली)—

[4थे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 70 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्री मखदूम अली, सचिव, क्षेत्रीय सहकारी समिति, उसराहर, जिला इटावा के विरुद्ध आरोप-पत्र]

*49—श्री महेन्द्र सिंह यादव (जिला इटावा)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उसरहार क्षेत्रीय सहकारी समिति, जिला इटावा क भूतपूर्व सचिव (श्री मखदूम अली) लगभग 11 लाख रुपया लेकर चुपचाप चला गया तथा घर से उसने त्याग-पत्र जिलाधीश, इटावा को भेज दिया? यदि हां, तो उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्री मखदूम अली, तत्कालीन सचिव, क्षेत्रीय सहकारी समिति, उसराहार जनपद इटावा दिनांक 4–1–1976 से उक्त समिति से अनुपस्थित हैं। नोटिस दिये जाने पर भी वे उपस्थित नहीं हुए। अतः उन्हें आदेश दिनांक 24–7–76 द्वारा निलम्बित कर दिया गया तथा अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच में श्री मखदूम अली 36,108.99 रुपया के हिसाब में गड़बड़ी करने के दोषी पाए गए। उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है और आरोप-पत्र दे दिया गया है। श्री अली ने आरोपों का उत्तर दिया है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

मखक्षेत्र (मखौड़ा) जिला बस्ती के टूरिस्ट विभाग द्वारा कथित परीक्षण

*50—श्री सुखपाल पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 3 वर्ष पूर्व मखक्षेत्र (मखौड़ा) जिला बस्ती के टूरिस्ट विभाग द्वारा परीक्षण कराया गया था? यदि हां, तो किस-किस कार्य के लिए परीक्षण हुआ और नवम्बर, 1977 तक क्या प्रगति है?

श्री आबिद अली—

जी नहीं,

प्रगति का प्रश्न नहीं उठता।

*51—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में गन्ने के मूल्य में अन्तर

*52—श्री श्यामधर मिश्र—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेगी कि गन्ने की कीमत इस वर्ष पश्चिमी जिलों से पूर्वी जिलों में एक रुपया प्रति कुन्टल कम घोषित की गई है? यदि हां, तो गन्ना की कीमतें सरकार ने किस आधार पर निश्चित की हैं?

श्रीमती चन्द्रावती—

विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पश्चिमी क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र में गन्ने की कीमत एक रुपया प्रति कुन्टल कम है ।

गन्ने के न्यूनतम मूल्य का निर्धारण शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर, 1966 के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत सरकार राज्य सरकार की संस्तुतियों पर विचार करके करती है । उक्त आर्डर की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, निम्न तथ्यों को ध्यान में रखकर, न्यूनतम गन्ना मूल्य निर्धारित करती है:

(1) गन्ने की उत्पादन लागत

(2) अन्य फसलों से कृषकों को प्राप्ति तथा कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के सामान्य भावों का रुख ।

(3) उपभोक्ता को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता ।

(4) गन्ने से बनी चीनी को उत्पादकों द्वारा बेंचे जाने के मूल्य ।

(5) गन्ने से चीनी का पर्ता ।

विभिन्न क्षेत्रों या विभिन्न गन्ने की किस्मों के लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारण किया जाता है ।

भारत सरकार ने पूर्वी क्षेत्र की चीनी मिलों का औसत गन्ना मूल्य कम रखा है । विगत वर्षों में राज्य सरकार ने गन्ना कृषकों के प्रतिनिधियों और चीनी मिल मालिकों के बीच मध्यस्थता करके भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य से अधिक दर पर गन्ना मूल्य तय कराया जिसमें उसी आधार पर पूर्वी क्षेत्र के लिए एक रुपया प्रति कुन्टल गन्ना मूल्य कम है ।

*53—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[शासन के दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

बलिया जिले के पाइरेप योजना के कर्मचारियों का कथित अवशेष वेतन

*54—श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बलिया के जिला विकास कार्यालय के कर्मचारियों को जो पाइरेप योजना में लगातार कार्य कर रहे हैं, वर्ष सितम्बर, 1974 से वेतन नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और उनका भुगतान कराने के आदेश सरकार शीघ्र देने की कृपा करेगी?

श्री जमुना प्रसाद—

जिला विकास कार्यालय, बलिया में पाइरेप योजना के अन्तर्गत लगातार कार्यरत किसी भी कर्मचारी का वर्ष सितम्बर, 1974 से वेतन भुगतान के लिए अवशेष नहीं है । अतः वेतन के भुगतान के आदेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

*55—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

[6ठें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मेरठ जिले की रमाला सहकारी चीनी मिल की बन्दी एवं अनुमानित वित्तीय क्षति

*56—श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ)—

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रमाला सरकारी चीनी मिल लि0, रमाला, जिला मेरठ को कैन्ट्रेक्ट के अनुसार दिनांक 31 अक्टूबर, 1977 तक चालू हालत में होना था? क्या यह भी सत्य है कि इस वर्ष 1977-78 में उक्त मिल के न चलने के कारण लगभग 15 हजार टन चीनी की क्षति तथा 1 करोड़ रुपये की हानि होगी ? क्या मिल न चलने के कारणों की जांच कराके, सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

रमाला सहकारी चीनी मिल को अनुबंध के अनुसार 30-11-77 को चालू होना था। अनुबन्ध के अनुसार यदि यह चीनी मिल पेराई का कार्य प्रारम्भ कर देती तो पेराई वर्ष 1977-78 में लगभग 7600 मेट्रिक टन चीनी का उत्पादन होता। ऐसा न होने से कितनी वित्तीय हानि हुई, इसका सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। इस चीनी मिल को प्रारम्भ में वित्तीय संस्थाओं से समयानुसार ऋण प्राप्त न होने के कारण विलम्ब हुआ है। वित्तीय संस्थाओं से ऋण शीघ्र दिलाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गन्ना विकास समिति, गोंडा द्वारा काश्तकारों के विरुद्ध दिखाया गया फर्जी ऋण

*57—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कष्ट करेंगे कि गन्ना विकास समिति, गोन्डा के अन्तर्गत नोबरा ग्राम के तीन काश्तकारों के नाम 18,000.00 (अठारह हजार रुपया) फर्जी कर्जा वर्ष 1973 में दिखाया गया था जिसकी जांच वर्ष 1976 में डिप्टी डायरेक्टर, चकबन्दी, गोन्डा तथा वर्ष 1977 में संयुक्त गन्ना आयुक्त मुख्यालय (लखनऊ) ने की थी? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या निकले तथा दोषी पाए गए व्यक्तियों को क्या सजा दी गई है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी हां। संयुक्त गन्ना आयुक्त द्वारा वर्ष 1977 में तथा डिप्टी डायरेक्टर चकबन्दी, गोन्डा द्वारा वर्ष 1978 में जांच के परिणामस्वरूप उक्त ऋण फर्जी पाया गया तथा इसमें गन्ना विभाग के दो कर्मचारियों का हाथ होना जान पड़ा है जिनके विरुद्ध नियमित अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

जिला परिषद, बाराबंकी के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी द्वारा नसबन्दी संबंधी आदेश तथा चपरासी की कथित सेवा समाप्ति

*58—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अतिरिक्त मुख्य अधिकारी जिला परिषद् बाराबंकी ने आपात स्थिति के दरम्यान दिनांक 1 जुलाई, 1976 ई0 को जिला परिषद्, बाराबंकी में कार्यरत चपरासियों को इस आशय का कोई निदेश जारी किया था कि दिनांक 31 जुलाई, 1976 तक अपना अथवा अपनी पत्नी की नसबन्दी करा कर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध आदेश के उल्लंघन की कार्यवाही की जायगी। यदि हां, तो क्या उक्त आदेश के न पालन करने पर किसी चपरासी को सेवा मुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां। यह आदेश दिनांक 21-7-76 को दिये गये थे। किसी भी चपरासी की सेवा समाप्त नहीं की गई है।

पिथौरागढ़ जिले के ग्राम बरना एरी में हरिजन पेयजल योजना के निर्माण के विरुद्ध शिकायत

*59—श्री नारायण सिंह भैसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायतराज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खंड डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम बरना एरी में सन् 1973-74, 1974-75 में कोई हरिजन पेयजल योजना निर्मित की गई थी ? यदि हां, तो इसमें लगे नल किस फर्म से खरीदे गये थे ? इसमें लगे मजदूरों तथा ठेकेदार का भुगतान न किये जाने के कारण शासन को कोई शिकायत, क्षेत्र समिति के सदस्यों द्वारा की गई थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जमुना प्रसाद—

पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है तथा मंगाई जा रही है।

राज्य सड़क परिवहन निगम गोरखपुर में परिचालकों का चुनाव एवं नियुक्तियां

*60 —श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या परिवहन मन्त्री को यह जानकारी है कि रीजनल मैनेजर उत्तर प्रदेश राजकीय परिवहन निगम, गोरखपुर द्वारा कन्डक्टर पद के लिए दिनांक 22 जनवरी, 1975 को चुने गए अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति का आदेश नहीं दिया गया है और जो वरीयता सूची में पीछे थे उन्हें अवैधा निक ढंग से नियुक्ति आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त अनियमितताओं को समाप्त कराने के लिए शासन क्या उपाय कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आबिद अली—

क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर के देख रेख में परिचालक पद हेतु लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चुनाव, साक्षात्कार के द्वारा दिनांक 21-1-75, 22-1-75 तथा 15-2-75 को स्थानीय चयन समिति द्वारा किया गया है। उस समिति द्वारा चुने गये अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाई गई और उसमें से वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जा रही है किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को जो प्रतीक्षा सूची में कनिष्ठ थे इन्हें अवैधानिक ढंग से वरिष्ठ अभ्यर्थियों के ऊपर नियुक्ति आदेश नहीं दिया गया है।

जिला पशुधन अधिकारी, देवरिया द्वारा भूसा की खरीद में बरती गयी अनियमितता एवं तत्संबंधित मुकदमा

*61—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या पशु पालन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन जिला पशुधन अधिकारी, देवरिया द्वारा वर्ष 1965-66 में विभाग के लिए भूसा की खरीद में किये गये भ्रष्टाचार में मुन्सिफ देवरिया की अदालत में मुकदमा चला था और अदालत ने अपने फैसले में सम्बधित अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध बताते हुए शासन के विरुद्ध हर्जा खर्चा नुकसान की डिग्री दी थी ? यदि हां, तो शासन ने सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां। किन्तु वास्तव में यह मुकदमा भूसा खराब सप्लाई किये जाने पर तत्कालीन जिला पशुधन अधिकारी द्वारा बिलों का भुगतान न किये जाने क विरुद्ध सम्बन्धित ठेकेदार ने चलाया था।

अदालत ने अपने फैसले में ठेकेदार के पक्ष में डिग्री तो की थी किन्तु जिला पशुधन अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध नहीं बताई थी।

इस मामले में हुई हानि के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित करने से सम्बद्ध की गई कार्यवाही के फलस्वरूप तत्कालीन प्रभारी अधिकारी (डा० बी० एन० राय) को दोषी पाया गया किन्तु, चूंकि उनकी वर्ष 1971 में मृत्यु हो चुकी थी अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

मुरादाबाद-रामनगर वाया काशीपुर मार्ग पर चलायी गयी अनधिकृत बस

*62—श्री रियासत हुसैन—

क्या परिवहन मंन्त्री को यह विदित है कि सन् 1970 से लेकर 1976 तक मुरादाबाद रामनगर वाया काशीपुर मार्ग पर 20 अनधिकृत स्टेट कैरियेज चलायी गई जिन्होंने कोई भी पैसेन्जर टैक्स नहीं दिया ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में विजिलेंस से इन्क्वायरी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री आविद अली---

उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में मुरादाबाद रामनगर वाया काशीपुर मार्ग पर 20 अनधिकृत बसें विभिन्न अवधियों में अवैधानिक रूप से बिना परमिट चलती पाई गई थी। उनका चालान करके प्रभागीय परिवहन प्राधिकरण को भेजे जा चुके हैं। विजिलेंस इन्क्वायरी को भेजे जा चुके हैं। विजिलेंस इन्क्वायरी कराने का प्रश्न नहीं उठता।

आपातकाल में कृषि विभाग, गोरखपुर मंडल के कतिपय कर्मचारियों की सेवा समाप्ति एवं उनकी पुर्नानियुक्ति

*63---श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मन्डल में कार्यरत, प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ग (ग्रुप 1, 2, 3) के आपातकाल के दौरान बिना कारण बताए कितने कर्मचारियों को सेवा से प्रथक कर दिया गया था? पृथक करने का क्या कारण था? क्या उनके स्थान पर नई नियुक्तियां की गई हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह---

विभाग को उनकी सेवाओं की आवश्यकता न होने के कारण आपातकाल के दौरान गोरखपुर मण्डल में कार्यरत अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1, 2, तथा 3 के क्रमशः 1, 4 तथा 9 सदस्यों को बिना कारण बताये सेवा से पृथक किया गया था। कार्य के हित में उनके स्थान पर नियुक्तियां की गई हैं।

*64---श्री बांके लाल---

क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को पुनः सेवा में वापस लेने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह---

जी नहीं। ऐसे मामलों में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

जिला सहकारी बैंकों में, सहकारिता विभाग से प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये कर्मचारी

*65-श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)---

क्या सहकारिता मन्त्री बतायेंगे कि जिला सहकारी बैंकों में कितने व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर विभाग से भेजे गए? उनकी मांग संस्था के संचालक मन्डल/प्रशासक द्वारा कब की गई? यदि नहीं, तो बिना मांग के प्रतिनियुक्तियों का क्या आधार है? क्या बैंकिंग के विशिष्ट ट्रेन्ड निरीक्षकों को इन प्रतिनियुक्तियों में वरीयता दी गई? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जिला सहकारी बैंकों में सहकारिता विभाग से भेजे गए कुल 59 कर्मचारी एवं अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। इनमें 16 कर्मचारियों की मांग संस्थाओं के संचालक मण्डल अथवा प्रशासक के समय-समय पर की। विशेष कर्मचारियों को संस्था के हित को ध्यान में रखते हुए जिला सहायक निबन्धक उपनिबन्धक एवं सरकारी बैंक केन्द्रीयित सेवा के संवर्ग प्राधिकारी के अध्यक्ष की संस्तुति पर सहकारी बैंकों को में प्रतिनियुक्त पर भेजा गया। सहकारिता विभाग के निरीक्षकों को विभाग को विभिन्न योजनाओं के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। अतः सभी निरीक्षक बैंकिंग में भी ट्रेंड होते हैं किन्तु बैंकों में प्रतिनियुक्ति पर भेजते समय कर्मचारी की कार्यक्षमता, योग्यता एवं अनुभव तथा गत वर्षों की कार्यकुशलता पर विशेष ध्यान दिया गया है।

कथित गोला तथा उनवल, शुगर फैक्टरी द्वारा कथित कण्डेसर पाइप की खरीद

*66---श्री शारदा प्रसाद जायसवाल---

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि शोभा उद्योग, आजमगढ़ से कोआपरेटिव शुगरफैक्ट्रीज, गोला ने रुपया 10,000 में 42 व्यास के जिस कण्डेन्सर पाइप कोखरीदा

[श्री शारदा प्रसाद जायसवाल]

है उसी क्वालिटी के कण्डेन्सर पाइप, उसी वर्ष यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन बाराबंकी, उनवल एवं खड्डा द्वारा रुपया 17,000 में खरीदा गया है ? क्या सरकार ने ऊंची दरों पर कण्डेन्सर पाइप खरीदने की स्वीकृति प्रदान की थी ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

श्रीमती चन्द्रावती—

गोला में कोई कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री नहीं है एवं कथित "उनवल" नामक स्थान पर चीनी निगम की कोई यूनिट नहीं है। निगम की खड्डा इकाई ने निगम में निहित होने (अर्थात् 3 जलाई, 1971) के बाद कोई भी कन्डेन्सर पाइप क्रय नहीं किया है। निगम की बाराबंकी इकाई ने वर्ष 1973–74 में एक कन्डेन्सर पाइप खरीदा था। इसका व्यास "48 है न कि 42" और मूल्य केवल रु0 15,200.00 है। सेल्स टैक्स लदाई व ट्रक का भाड़ा मिलाकर इसका कुल मूल्य रु0 17,276.00 पड़ा।

*67—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[दिनांक 26–9–77 को तारांकित प्रश्न संख्या 15 द्वारा उत्तरित]

मंडी परिषद् के कर्मचारियों की भविष्य निर्वाह निधि की कटौती की मांग

*68—श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की भविष्य निर्वाह निधि की कटौती की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी नहीं, मंडी परिषद् द्वारा भविष्य निर्वाह निधि से सम्बन्धित नियमावली बनाई जा रही है। बनने के उपरांत कटौती की जायगी।

कृषि उत्पादन मंडी समिति शमसाबाद, आगरा की बेकार स्टेशनरी

*69—श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या यह सही है कि शमसाबाद कृषि उत्पादन मण्डी समिति आगरा में चार हजार रुपए की स्टेशनरी जो कि काम में आने लायक है उसे बेकार घोषित कर दिया है ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? अगर हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ? अगर नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में कोई जांच करायेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी नहीं। इस सम्बन्ध में शासन को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कृषि उत्पादन मंडी समिति, शमसाबाद में लगभग 758 रु0 की स्थानीय मुद्रित पुरानी स्टेशनरी थी। विभिन्न मंडी समितियों में इन पुराने प्रपत्रों के प्रयोग के कारण कतिपय अनियमितायें पाई गईं और इसकी सूचना परिषद् को मिली। अतएव इन प्रपत्रों को सभापति से सत्यापित कराके प्रयोग में लाने हेतु तथा भविष्य में प्रादेशिक सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के प्रेस में मुद्रित प्रपत्रों को प्रयोग करने के निर्देश मंडी निदेशक द्वारा दिये गये। अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले की खड्डा शुगर मिल द्वारा क्रय किया गया ब्वायलर

*70—श्री राम दत्त जोशी—

क्या चीनी उद्योग मंत्री को जानकारी है कि सरकार के नियन्त्रण में संचालित खड्डा शुगर फैक्ट्री खड्डा, जिला देवरिया में लगभग 5 लाख रुपए की कीमत का एक नया ब्वायलर बिना उपयोग में लाए बेकार पड़ा हुआ है। यदि हां, तो उपरोक्त ब्वायलर किसके प्रस्ताव और किस अधिकारी के आदेश से क्रय किया गया ?

श्रीमती चन्द्रावती—

खड्डा मिल में एक नया एवं अच्छे किस्म के ब्वायलर के क्रय करने के आदेश 30 अप्रैल, 1973 को मेसर्स वालचन्द नागर इन्डस्ट्रीज को दिये गये। यह ब्वायलर आरम्भ में अक्तूबर, 1974 में चलाया जाना था। लेकिन ब्वायलर के कुछ हिस्सों के असाधारण विलम्ब से मिलने के कारण सप्लायर द्वारा इस ब्वायलर का निर्माण कार्य समय पर पूरा न किया जा सका। यह ब्वायलर पहली बार 1976–77 के पेराई सत्र में कुछ अवधि के लिये चलाया गया था और आशा है कि शीघ्र यह पूर्ण क्षमता पर कार्य करने लगेगा यह ब्वायलर निगम के तकनीकी सलाहकार की राय पर एवं क्रय सिमिति की संस्तुति पर खरीदा गया था।

जिला सहकारी बैंक बस्ती की नौगढ़ शाखा, द्वारा किसानों से ऋण की वसूली

*श्री मथुरा प्रसादा पाण्डेय (जिला वस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी बैंक शाखा, नौगढ़,, जनपद बस्ती द्वारा किसानों को पिछले पांच वर्षों में दिये गये कर्ज का कितना रुपया किसानों पर बकाया है और उसकी वसूली क्यों नहीं हो पा रही है ? क्या यह सही है कि उक्त बैंक से विभिन्न गांव के कुछ लोगों ने दूसरे किसानों का नाम लिखा कर रुपया ले लिया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जिला सहकारी बैंक लि0 बस्ती की नौगढ़ शाखा द्वारा किसानों को पिछले पांच वर्षों में दिये गये कर्ज का 30–6–77 को 19.39 लाख रुपया बकाया था। अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि से फसल नष्ट होने के फलस्वरूप सदस्यों की प्रतिदिन क्षमता में ह्रास हुआ, जिसके कारण वसूली नहीं हो सकी। काश्तकारों को बैंक की शाखा द्वारा चेक पद्धति से ऋण का भुगतान होता है, अतः दूसरे काश्तकारों का नाम लिखाकर रुपया ले लेने का प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ जिले की रमाला सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड का प्लांट लगाने का अनुबन्ध

*72 श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या गन्ना एवं चीनी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रमाला सहकारी चीनी मिल्स लि0, रमाला जिला मेरठ को लगाने का एग्रीमेंन्ट अधिकारियों नें एक ऐसी अनुभवहीन इन्जीनिरिंग कम्पनी के साथ किया है जिसने कभी कोई चीनी मिल नहीं लगाई है। क्या यह भी सत्य है कि उक्त एग्रीमेंट में अधिकारियों ने अंकन 26लाख रुपया उक्त कम्पनी को केवल टेक्निकिल नो हाऊ बताने के चार्जेज के रूप में देना तय किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कारणों की अविलम्ब जांच करायेंगी एवं दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

रमाला सहकारी चीनी मिल्स, लि0, रमाला मेरठ के प्लान्ट को लगाने का एग्रीमेंट मेसर्स प्रेम हैवी इन्जीनिरिंग वर्क्स, मेरठ से किया गया था। यद्यपि पहले कोई पूर्णप्लान्ट लगाने का कार्य इस फर्म ने नहीं किया है लेकिन यह फर्म 1958 से ही चीनी बनाने के प्लान्ट एवं मशीनरी संबंधी विभिन्न हिस्सों के निर्माण एवं पूर्ति करती रही है। स्टेट एडवाइजरी कमेटी की एक तकनीकी विशेषज्ञों की उप समिति नें पूर्ण जांच करने के उपरान्त उक्त फर्म को पूर्ण मिल प्लान्ट लगाने के लिये सक्षम पाया था। फर्म के साथ किये गये प्रारम्भिक अनुबन्ध के अनुसार Technical know—how मद हेतु 26लाख रु0 देने का प्राविधान था। परन्तु बाद में हुए पूरक अनुबन्ध के अनुसार टेकनिकल जानकारी के लिये अलग से कोई धनराशि देय नहीं है। चूंकि उक्त अनुबन्ध मे कोई अनियमितता नहीं हुई है, अतः जांच कराने का एवं किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

फ़ैजाबाद जिले के बीकापुर में बस स्टाप के निर्माण की स्वीकृति

*73—श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह दिसम्बर, 1977 में फैजाबाद जनपद में बीकापुर में मेल बसों को रोकने तथा रोडवेज का स्टेशन लगानेके विषय में प्रश्न-कर्ता का दिनांक 16 दिसम्बर, 1977 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री आबिद अली—

जी हां । बीकापुर को फेयर स्टाप घोषित कर दिया गया है । इस हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद नें दिनांक 8-11-77 को समुचित आदेश भी प्रसारित कर दिये है ।

किच्छा शुगर फ़ैक्टरी, नैनीताल के स्टोर से गायब किया गया स्टोर मेटिरियल

*74—श्री राम दत्त जोशी—

क्या गन्ना एवं चीनी उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी अफसरों द्वारा प्रसारित किच्छा शुगर किच्छा, नैनीताल के स्टोर से आर्थिक वर्ष 1976-77 में फैक्टरी के स्टोर से कितनी कीमत का स्टोर मेटीरियल गायब हो गया और उसका विवरण क्या है तथा उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में पुलिस में जो एफ0 आई0 आर0 कराई गई थी उस पर जांचकर्ता अधिकारी की फाइनल रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

किच्छा शुगर कम्पनी, किच्छा (नेनीताल) की चीनी मिल के स्तर में से आर्थिक वर्ष 1976-77 में रु0 22,600.01 के मूल्य का स्टोर मैटीरियल गायब हो गया था जिसका विवरण संलग्न है ।उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना किच्छा में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी । जांच के दौरान यह घटना चोरी की सिद्ध नही हुई और सबूत न मिलने के कारण चालान अदालत में दाखिल नहीं किया जा सका और उक्त जांच 28-11-76 को समाप्त कर दी गयी । किच्छा चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक पुलिस जांच अधिकारी के उपरोक्त निष्कर्ष से सहमत नहीं थे, इसलिये उन्होंने एसिस्टेंट प्रोसिक्यूशन आफिसर, हल्द्वानी से अनुरोध किया है कि न्यायालय से उक्त फाइनल रिपोर्ट स्वीकार न किये जाने की प्रार्थना की जाय । जिससे असली अपराधी पकड़ा जा सके । न्यायालय ने अभी तक उक्त मामले में निर्णय नहीं लिया है ।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 281 पर) ।

जिला परिषद बहराइच के राजपत्रित अधिकारियों का कार्य काल

*75—श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् बहराइच में कितने ऐसे राजपत्रित अधिकारी हैं जो तीन वर्ष से अधिक से अपने स्थान पर बने हुए हैं ? उनके स्थानान्तरण न करने के क्या कारण हैं तथा उनके स्थानान्तरण कब तक कर दिए जायेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

कोई नहीं ।

प्रदेश में संचालित गन्ना क्रय केन्द्र एवं फ़ैजाबाद जिले के शाहगंज व हैदरगंज में गन्ना क्रय केन्द्र खोले जाने की मांग

*76—श्री दीना नाथ सेवक (जिला रायबरेली) तथा श्री श्रीराम द्विवेदी—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78 में कितने गन्ना क्रय केन्द्र खोले गए ? क्या गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश ने सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिया

है कि निजी, सहकारी अथवा सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी गन्ना क्रय केन्द्र चालू कर देने के लिये मिलों को बाध्य किया जाय ? यदि हां, तो फैजाबाद जनपद में हैदरगंज तथा शाहगंज बाजार में गन्ना क्रय केन्द्र क्यों नहीं खोला गया ?

श्रीमती चन्द्रावती--

निर्दिष्ट वर्ष में 1441 क्रय केन्द्र संचालित किए गए। गन्ना आयुक्त ने समस्त जिलाधिकारियों को समस्त सुरक्षित क्रय केन्द्र तुरन्त संचालित करने के लिये दिनांक 8-11-77 तथा 10-1-78 के तार द्वारा निर्देश दिये थे। फैजाबाद जनपद में हैदरगंज तथा शाहगंज क्रय केन्द्र जो कि मसोधा चीनी मिल के लिये सुरक्षित है, के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बेंच द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 1978 को रोधनादेश जारी कर देने के कारण उक्त स्थानों पर क्रय केन्द्र नहीं खोले जा सकें।

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, आजमगढ़ में नियुक्त किये गये पिछड़ी जाति व हरिजन कर्मचारी

*77--श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में माह दिसम्बर, 1977 व माह जनवरी, 1978 में किन-किन तारीखों में किस-किस श्रेणी में दि किसान सहकारी मिल सठियांव, आजमगढ़ में चयन समिति ने नियुक्त हेतु चयन किया उसमें पिछड़ी जाति व हरिजनों को कितने प्रतिशत स्थान दिया गया और कुल कितने लोगों की किस-किस पद पर नियुक्ति की गयी ?

श्रीमती चन्द्रावती--

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 आजमगढ़ में चयन समिति ने नियुक्ति हेतु दिनांक 24-12-1977 व 25-12-1977 में अभियंत्रण अनुभाग, मैनुफैक्चरिंग अनुभाग और गन्ना अनुभाग के लिये अभ्यर्थियों का चुनाव किया। इसमें पिछड़ी जाति को 42.5% व हरिजनों को 22.3% स्थान दिया गया। चुने हुए अभ्यर्थियों में से पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों का प्रतिशत अभियंत्रण विभाग में 40.5% मैनुफैक्चरिंग विभाग में 40% व सामान्य पदों पर 44.2% रहा। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का प्रतिशत इंजीनियरिंग में 14% मैनुफैक्चरिंग में 10% व सामान्य अनुभाग में 30% रहा। कुल 139 लोगों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया, जिसकी सूची पदवार व श्रेणीवार संलग्न तालिका पर प्रदर्शित की गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 282 पर)

सहायक निदेशक, गन्ना विकास के पद हेतु साक्षात्कार एवं नियुक्ति

*78--श्री कबूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 19 मार्च, 1977 को विज्ञापन के अन्तर्गत सहायक निदेशक के पद हेतु यू0पी0 गन्ना किसान संस्थान के लिए 4 पर (1 एग्रोनोमी, 2--कीट विज्ञान, 3--वनस्पति विज्ञान, 4-- कृषि प्रसार) का ज्ञान रखने वाले प्रत्याशी मांगे थे जिनका साक्षात्कार 31 मई, 1977 में हुआ था ? क्या यह सही है कि उपरोक्त विषय का ज्ञान न रखने वालों को भी नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती--

जी हां, परन्तु विज्ञापित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को ही चयनित किया गया है।

गोरखपुर मंडल राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की जमानत की धनराशि का गबन

*79—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर मण्डल के राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के जमानत की धनराशि लगभग दो लाख रुपए का गबन इस वर्ष पकड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर पूर्ण तथ्य प्रकाश में लाएगी।

श्री आबिद अली—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

सुल्तानपुर जिले के विकास खण्ड जामों में उर्वरक का वितरण

1—श्री तेज भान सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद सुल्तानपुर के विकास क्षेत्र जामों के किसानों को चालू खरीफ हेतु कितनी खाद की आवश्यकता आंकी गयी थी ? उसमें सहकारी व कृषि विभाग के बीज भण्डारों से कितनी खाद का वितरण उनको किया गया ? क्या यह सही है कि किसानों की आवश्यकता भर खाद का वितरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

सुल्तानपुर के विकास खण्ड जामों में किसानों को खरीफ 77 में 200 मीट्रिक टन नत्रजन, 31 मीट्रिक टन फास्फेट तथा 20 मीट्रिक टन पोटाश के वितरण की आवश्यकता आंकी गई थी। उसमें से सहकारी संस्थाओं ने 4.620 मीट्रिक टन नत्रजन व 0.162 मीट्रिक टन फास्फेट तथा कृषि विभाग ने 0.722 मीट्रिक टन नत्रजन उर्वरकों को वितरण किया।

जी नहीं। खरीफ 77 के अन्त में जामों बिकास खंड में 17.367 मी0 टन नत्रजन 1.961 मीट्रिक टन फास्फेट तथा 1.450 मीट्रिक टन पोटास का अवशेष स्टाक रहा। इस प्रकार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक का स्टाक खरीफ के अन्त में वितरण के लिये उपलब्ध था।

प्रदेश में सरकारी कृषि फार्मों का उत्पादन एवं हानि लाभ का विवरण

2—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री गेंदालाल गुप्त, श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने सरकारी कृषि फार्म चल रहे हैं ? उनमें प्रत्येक का अलग-अलग 5 वर्षों में कितने मूल्य का उत्पादन हुआ ? कितना व्यय हुआ ? उनमें से कितने लाभ में चल रहे हैं, कितने घाटे में हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

प्रदेश में इस समय 171 सरकारी कृषि फार्म हैं। इन फार्मों पर पिछले 5 वर्षों के उत्पादन के मूल्य तथा व्यय के आंकड़े †प्रदर्श (1) में प्रदर्शित किए गए हैं तथा लाभ-हानि के आंकड़े† प्रदर्श 2 में। समस्त प्रक्षेत्रों के हानि-लाभ की तालिका† का सारांश प्रदर्श 3 में दिया हुआ है।

---

† छापा नहीं गया।

प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों की बैलेंस शीट एवं हानि लाभ का खाता

3---श्री गिरीश चन्द्र तिवारी तथा श्री गेंदा लाल गुप्त---

क्या चीनी उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी सहकारी चीनी मिलें चल रही हैं? क्या गत पांच वर्षों से अलग-अलग बैलेंस शीट बनाई गई हैं? यदि हां, तो अलग अलग हर वर्ष प्रत्येक मिल कितने लाभ-हानि में रही है?

श्रीमती चन्द्रावती---

प्रदेश में इस समय (15 मार्च, 1978 तक) कुल 13 सहकारी चीनी मिलें चालू हैं। सभी चीनी मिलें अपने आर्थिक चिट्ठे एवं लाभ हानि के खाते अलग-अलग बनाती हैं। चीनी मिल सठियांव (आजमगढ़) रसड़ा (बलिया) एवं कायमगंज (फर्रुखाबाद) ने वर्ष 1975-76 में पेराई आरम्भ की जब कि नादेही (नैनीताल) एवं साठा (अलीगढ़) की चीनी मिलों ने पेराई का कार्य 1976-77 में आरम्भ किया। वर्ष 1976-77 के आर्थिक चिट्ठों एवं हानि लाभ खातों को किसी मिल ने अंतिम रूप नहीं दिया है। वर्ष 1971-72 से 1975-76 तक कार्यरत चीनी मिलों के लाभ-हानि का विवरण संलग्न तालिका में प्रदर्शित है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 285 पर)

चित्रकूट-छतरपुर मार्ग पर चलने वाली बसों के विरुद्ध शिकायती पत्र

4---श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)---

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि पिछले माह बस नं0 एम0 पी0 ए0 5447 (चित्रकूट से छतरपुर चलती है) एवं यू0 एस0 एच0 1140 के सम्बन्ध में कोई रजिस्टर्ड शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर आरोप क्या है और सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं कार्यवाही हो रही है, तो क्यों?

श्री आबिद अली---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

चारबाग बस स्टेशन लखनऊ के बुक स्टाल एवं पान की दुकानों का ठेका

5---श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)---

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चारबाग बस स्टेशन, लखनऊ पर स्थित बुक स्टाल एवं पान की दूकानों का ठेका देने के लिए कब से टेन्डर्स नहीं मांगे गए हैं और क्या अभी भी पुराने ठेकेदारों के ठेके एग्रीमेन्ट की अवधि समाप्त होने पर भी चल रहे हैं? यदि हां, तो शासन को इससे जो धन की क्षति हो रही है, उसके लिए कौन अधिकारी दोषी है और उसके प्रति क्या कार्यवाही की गयी?

श्री आबिद अली---

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री श्री नारायण सिंह सहकारी पर्यवेक्षक, सहरैया, जिला बस्ती के विरुद्ध शिकायतें एवं निलम्बन

6---श्री राम पति (जिला गोंडा)---

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विकास क्षेत्र हरैया के साधन सहकारी समिति रामगढ़ खास के तत्कालीन कोआपरेटिव सुपरवाइजर (श्री श्रीनारायन सिंह) के भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिनांक 1 जनवरी, 1973 से 20 सितम्बर, 1977 तक कितने शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुए? क्या उनमें श्री जगदीश राव, निवासी रामगढ़ की भी शिकायत सम्मिलित है? यदि हां, तो शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

श्री श्रीनारायण सिंह तत्कालीन सहकारी पर्यवेक्षक, हरैया, जनपद बस्ती के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धित प्रश्नगत अवधि में 6 शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुए जिनमें श्री जगदीश राव निवासी रामगढ़ खास के शिकायती-पत्र भी सम्मिलित हैं। उक्त शिकायती-पत्रों पर जांचोपरान्त श्री श्री नारायण सिंह को सहकारी समिति उप निबन्धक, फैजाबाद के आदेश दिनांक 12-1-78 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है तथा श्री सिंह के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

फल उपयोग विभाग के कर्मचारी संघ की मान्यता

7--श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)--

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् 1972 में फल उपयोग विभाग के कर्मचारियों ने एक संघ बनाया था? बार-बार अनुरोध पर भी उसको अभी तक मान्यता क्यों नहीं दी गयी है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हां। सन् 1972 में फल उपयोग विभाग के कुछ कर्मचारियों ने एक संघ बनाया था। इसमें कुछ ही जनपदों में कार्यरत लिपिक वर्ग के सदस्य सक्रिय थे जिन्होंने अपने व्यक्तिगत हित के लिए अपने आप को विभिन्न पदों पर घोषित कर रखा था। इस संघ की स्थापना होने के तुरन्त बाद उनके पदाधिकारियों के कार्यकलापों को देखकर बहुत से कर्मचारियों ने इस संघ से सम्बन्ध तोड़ लिया। ऐसे संघ को, जो केवल एक वर्ग का भी पूर्ण प्रतिनिधित्व न करता हो, मान्यता प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

कृषि विभाग के कृषि सेवा वर्ग दो के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग और सेवा-निवृत्त कर्मचारियों की संख्या तथा पेंशन

8--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग के वर्ग-2 में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनकी नियुक्ति तदर्थ रूप में की गई थी और तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं ? विभाग द्वारा इन कर्मचारियों के लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? ऐसे कर्मचारी कितने हैं जो दस वर्ष से अधिक समय से तदर्थ नियुक्ति के रूप में सेवारत हैं परन्तु नियमन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों? अब सरकार इनके नियमन हेतु क्या ठोस कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

कृषि विभाग में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 में सीधी भर्ती के कोटे के विरुद्ध तीन वर्ष से अधिक समय से तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों की संख्या 505 है, जिनमें 10 वर्ष से अधिक समय से तदर्थ रूप से सेवारत कर्मचारियों की संख्या 234 हैं। ये तदर्थ नियुक्तियां केवल उस समय तक के लिये की गयी है जब तक लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये गये लोग उपलब्ध न हो जायें। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों का चयन करने के लिये लोक सेवा आयोग को लिखा गया है।

9--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में 1 अप्रैल, 1965 से वर्गवार कुल कितने कर्मचारी सेवा निवृत्त किये गये हैं? उनमें से वर्गवार ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें स्थायी होने से पूर्व ही सेवा निवृत्त होना पड़ा ? अब विभाग सेवा निवृत्त से पूर्व ही कर्मचारी स्थायी हो जायं इस विषय में क्या ठोस कार्यवाही करने जा रहा है ? उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो सेवा-निवृत्त हो चुके हैं ? परन्तु अभी तक उन्हें पेंशन नहीं मिलना प्रारम्भ हुआ है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

कृषि विभाग के संगणकों (कम्प्यूटर) के स्थायीकरण की मांग

10--श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में संगणकों (कम्प्यूटर) के स्थायीकरण का प्रश्न चार वर्षों से विचाराधीन है ? यदि हां, तो अभी तक स्थायीकरण न करने का क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

संगणकों तथा इसी प्रकार के अन्य पदों जैसे संकलक, कनिष्ट सांख्यकीय निरीक्षक व कनिष्ट सांख्यकीय सहायक के लिये प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु यह आवश्यक हो गया कि इन पदों पर कार्यरत लोगों की मिली-जुली ज्येष्ठता सूची तैयार की जाय । अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व लोक सेवा आयोग का अनुमोदन आवश्यक था । चूंकि आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने में काफी समय लग गया इसलिये मिली-जुली ज्येष्ठता सूची तैयार करके और तदनुसार स्थायीकरण करने की कार्यवाही में भी विलम्ब हुआ । अब ज्येष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ।

केन्द्रीय बीज भंडार, हरदोई का चार्ज एवं पाई गई अनियमितताओं के संबंध में कार्यवाही

11--श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्रीय बीज भण्डार, हरदोई पर दिनांक 1 दिसम्बर, 1972 को चार्ज दिलाने तथा दिनांक 3 अगस्त, 1973 को ताला तोड़कर दिलाये जाने वाले गोदामों के कृषि वस्तुओं के चार्ज में अनियमितताओं के फलस्वरूप बनाए गए इन्वेंट्रोलिस्ट दिनांक 3 अगस्त, 1973 जिस पर तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, कृषि तहसीलदार एवं सहायक कृषि निरीक्षक, हरदोई के हस्ताक्षर हैं, द्वारा डेड स्टाक तथा कृषि दवाओं, बीज, बोरे आदि से सम्बन्धित लिस्ट दिनांक 13 जनवरी, 1974 तथा दो लिस्टें बिना दिनांक द्वारा लगभग 82 हजार रुपये के कृषि वस्तुओं का अपहरण/व्यपहरण उप निदेशक, लखनऊ मण्डल सम्प्रेक्षण पत्रांक 95, दिनांक 8 अप्रैल, 1975 तथा केस निस्तरक (श्री राम सुन्दर सिंह) पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 1977 के पृष्ठ संख्या 16 में हवाला है? यदि हां, तो कृषि वस्तुओं के व्यपहरण/अपहरण के दोषी कौन हैं ? तथा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के आदेशानुसार श्री राम सुन्दर सिंह भूतपूर्व सहायक कृषि निरीक्षक ने दिनांक 1-12-72 को केन्द्रीय बीज भंडार, हरदोई का उर्वरक एवं बीजों का अपूर्ण चार्ज श्री मेवालाल वर्मा, सहायक कृषि निरीक्षक को हस्तगत कराकर गायब रहना आरम्भ कर दिया । श्री सिंह के निरन्तर अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप जिलाधिकारी, हरदोई के आदेशानुसार तहसीलदार (कृषि) ने दिनांक 3-8-73 को ताला तोड़वाकर भंडार का चार्ज स्टाक इन्वेस्ट्रो के अनुसार श्री वर्मा को दिलवाया । तदुपरान्त श्री सिंह के अनुरोध एवं उपनिदेशक कृषि, लखनऊ मंडल के निर्देशानुसार अन्य वस्तुओं का अवशेष चार्ज दिनांक 13-1-74 एवं दिनांक 16-4-74 से श्री सिंह द्वारा दिया गया जो अभिलेखों में अंकित है । इस प्रकार दिनांक 1-12-72 एवं इन्वेन्ट्री लिस्ट दिनांक 3-8-73 व अन्य चार्जलिस्टों के द्वारा लगभग 82,000-रुपये की कृषि वस्तुओं का कोई व्यपहरण नहीं किया गया है।

सम्प्रेक्षण में इंगित अनियमितताओं के लिये सर्वश्री मेवालाल वर्मा, राम सुन्दर सिंह, गजेन्द्र सिंह पवार एवं राम खेलावन सिंह, सहायक कृषि निदेशकों के विरुद्ध जांच उपरान्त शासन को रु0 25,768-86 की हुई क्षति-पूर्ति के लिये वसूली आदेश पारित किये जा चुके हैं ।

वाराणसी जिले के विकास खण्ड, भदोही के खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप एवं स्थानान्तरण

12—श्री रमा शंकर कौशिक—

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के विकास खण्ड भदोही के खंड विकास अधिकारी का स्थानान्तरण भ्रष्टाचार के आरोप में हो गया था तथा उनके विरुद्ध जांच हो रही है। यदि हां, तो क्या उनका स्थानान्तरण रोक दिया गया तथा किस आधार पर ?

श्री जमुना प्रसाद—

खंड विकास अधिकारी का स्थानान्तरण किया गया था। स्थानान्तरण आदेश कुछ कारणों से निरस्त किया गया था, किन्तु स्थानान्तरण पुनः कर दिया गया है।

वाराणसी जिले के विकास खण्ड, भदोही को दी गयी विकास कर की धनराशि एवं उसका वितरण

13—श्री रमा शंकर कौशिक—

क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के विकास खंड भदोही की जो विकास कर की धनराशि जनहित कार्य के लिये मिली थी सन् 1976 में उसे सार्वजनिक कार्य के लिये बांटा गया ? यदि हां, तो किस कार्य के लिये किस ग्राम में किस तारीख को दिया गया उक्त धनराशि कब तक खर्च कर देना चाहिये थी ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां। विकास खंड, भदोही को विकास कर से मु0 34094 रु0 मार्च, 1976 में सार्वजनिक कार्य हेतु दिया गया। इस धनराशि को सार्वजनिक कार्य हेतु बांटा गया जिसका विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृति दिनांक/धनराशि		का भुगतान दिनांक/धनराशि	
1	2	3		4		5
1	चौरी	कूप निर्माण	21–5–76	1,500	15–7–76	1,200
2	कंधिया	पुलिया निर्माण	,,	2,000	,,	1,000
					30–8–76	1,000
3	फतपुर	कूप निर्माण	,,	1,000	8–7–76	1,000
4	रया	पुलिया निर्माण	,,	1,200	23–8–76	1,000
5	हरियांव	,,	,,	1,000	,,	800
6	सरवतखानी	,,	,,	2,500	12–10–76	2,000
7	सेवापुर	कूप निर्माण	,,	2,500	8–11–76	700
					28–5–77	800
					21–6–76	700
					13–7–77	200
8	परगासपुर	कूप निर्माण	,,	1,000	3–6–77	700
9	उमीरी	,,	,,	2,500	30–6–77	1,000
10	क्षेत्र समिति	विद्युतीकरण	,,	1,645	7–6–76	1,645
11	दलापुर	पुलिया निर्माण	,,	800	7–6–76	500
12	जगदीशपुर	कूप निर्माण	,,	2,949	6–3–78	1,000

1	2	3	4		5
13	बाडी	कूप निर्माण	21–5–79	1,000	14–3–78	400
14	पचपटिया	,,	,,	1,000	,,	400
15	डोमनपुर	,,	,,	1,000	,,	400
16	जागीपुर	पुलिया निर्माण	,,	500	,,	400
17	वरवा	,,	,,	1000	,,	400
18	फुवरिया	कूप निर्माण	,,	1000	,,	400
19	चौबेपुर	,,	,,	1000	,,	400
20	अर्जुनपुर	पुलिया निर्माण	,,	1000	,,	400
21	जदुपुर	,,	,,	1,000	,,	400
22	चकबसुई	कूप निर्माण	,,	1,000	,,	400
23	दरुनहा	,,	,,	1,000	,,	400
24	मल्लूपुर	,,	,,	1,000	,,	400
25	कन्दुई	पुलिया निर्माण	,,	1,000	,,	400
26	कुकरौठी	कूप निर्माण	,,	1,000	,,	400
			योग	34,094		20,845

2––उक्त स्वीकृति धनराशि मार्च, 1977 तक व्यय हो जानी थी ।

सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, बभनान, बस्ती तथा सहकारी विकास समिति लिमिटेड, गोंडा में गबन एवं निलम्बित कर्मचारियों को दिया निलम्बन भत्ता

14––श्री सुखपाल पाण्डेय––

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना सहकारी समिति लि0, बभनान जिला बस्ती तथा गन्ना सहकारी समिति नवाबगंज, जिला गोंडा में 1969 से नवम्बर, 1977 तक कितने रुपये का गबन कब-कब हुआ है और कौन-कौन कर्मचारी कब-कब निलम्बित हुए ? उन्हें निलम्बन भत्ता कितना रुपया नवम्बर, 1977 तक दिया गया अब तक मामला निस्तारण न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती चद्रावती––

सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, बभनान, जिला बस्ती में प्रश्नगत अवधि तक कुल रुपया 13,024.21 का गबन हुआ, जिसमें से रु0 3,986.13 का गबन दिनांक 27–3–1970 को, रु0 4,367.18 का गबन 28–4–1970 को तथा रु0 4,670.90 का गबन 1–5–1970 को हुआ । इस संबंध में सर्वश्री कमला प्रसाद गुप्त, लेखाकार तथा कन्हैया त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष दिनांक 11–11–70 को निलम्बित हुए तथा नवम्बर, 1977 तक इन्हें रु0 30,300.46 निलम्बन भत्ता दिया गया । मामला पुलिस जांचोपरांत न्यायालय के सुपुर्द है । न्यायालय द्वारा अभी तक निर्णय नहीं दिया गया है जिसके कारण निस्तारण नहीं हो सका है ।

सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, नवाबगंज जिला गोंडा में प्रश्नगत अवधि तक कुल रुपया 53,485.39 का गबन हुआ जिसमें से रुपया 16,428.16 का गबन वर्ष 1970–71 में, रुपया 3,033.88 का गबन वर्ष 1971–72 में तथा रुपया 34,023.35 का गबन वर्ष 1975–76 में हुआ । वर्ष 1970–71 में रु0 16,428.16 के हुए

गबन में से रु0 15,374.75 सम्बद्ध कर्मचारियों से वसूल होकर समिति के कोष में जमा हो गया है । गबन के संबंध में सर्व श्री सूरज प्रसाद पांडेय तथा सुरेन्द्र कांत सिंह, कोषाध्यक्ष क्रमशः दिनांक 30-6-73 तथा 29-7-76 को निलम्बित हुए तथा इन्हें नवम्बर, 1977 तक रुपया 7,676.86 निलम्बन भत्ता दिया गया । मामला अभी भी पुलिस कार्यवाही तथा विभागीय कार्यवाही में है जिसके कारण इनका निस्तारण नहीं हो सका है ।

राज्य सड़क परिवहन निगम, इलाहाबाद द्वारा प्रशिक्षित किये गये अभ्यर्थियों को रोजगार

15—श्री संगम लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, इलाहाबाद द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों की वर्ष 1974-75, 1975-76, 1976-77 व 1977-78 में अलग-अलग संख्या क्या है, क्या उन्हें निगम के द्वारा, रोजगार देने का वायदा किया गया था ? यदि हां, तो उनमें से कितने लोगों को रोजगार दिया जा चुका है ? और जिन्हें नहीं दिया गया है उन्हें कब तक रोजगार दिया जा सकेगा ?

श्री आबिद अली—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, इलाहाबाद द्वारा अप्रेंटिसशिप ऐक्ट के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष 1974-75 में 146, वर्ष 1975-76 में 172 वर्ष 1976-77 में 141 एवं वर्ष 1977-78 में 118 है।

इन्हें निगम द्वारा रोजगार दिये जाने का कोई वायदा नहीं दिया गया था ।

श्री रामनगीना सिंह, भूतपूर्व बफर गोदाम प्रभारी, कूड़ाघाट, गोरखपुर के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

16—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर के भूतपूर्व वफर गोदाम इंचार्ज, कूड़ा घाटा (श्री राम नगीना सिंह) के विरुद्ध वर्ष 1974-75 में उर्वरक क्षिति संबंधी करीब पंद्रह लोगों का प्रतिवेदन विभागीय जांच अधिकारियों ने दिया था एवं श्री सिंह को तुरन्त निलम्बित करने की संस्तुति भी की थी? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

विभागीय जांच अधिकारियों के प्रतिवेदन के अनुसार श्री राम नगीना सिंह, भूतपूर्व बफर गोदाम प्रभारी, कूड़ा घाट, गोरखपुर के दो वर्ष 1974-75 व 1975-76 के कार्यकाल में कुल रु0 10,92,330.32 पैसे की मार्गगत क्षति एवं रु0 29,084.14 पैसे की भंडारण क्षति हुई थी जिसमें से रु0 8,11,073.15 पैसे की मार्गगत क्षति वर्ष 1974-75 में हुई थी ।

श्री सिंह के विरूद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच करायी जा रही है जिसका निष्कर्ष आख्या प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

दी किसान, सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद, सीतापुर का शिलान्यास

17—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दी किसान सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद, जिला सीतापुर का एक फरवरी, 1977 में भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने शिलान्यास किया था ? यदि हां, तो उस चीनी मिल का निर्माण कार्य कहां तक पूरा हो गया है तथा कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है ?

श्रीमती चन्द्रावती---

दी किसान सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद जिला सीतापुर का शिलान्यास भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा एक फरवरी, 1977 को नहीं बल्कि एक मार्च, 1977 को किय गया था। चीनी मिल के निर्माण कार्य हेतु भूमि का चयन किया जा चुका हैं किन्तु उक्त मिल की लाभकारी स्थिति में न चल पाने की संभावना के कारण निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया।

गोरखपुर जिला परिषद्, द्वारा गोरखपुर विकास से परिषद नामक संस्था का कथित गठन

18---श्री रवीन्द्र सिंह---

क्या सरकार बतायेगी कि आपातकाल में गोरखपुर जिला परिषद के तत्वावधान में "गोरखपुर विकास परिषद" नामक कोई संस्था गठित की गयी थी? जिसमें परिषद के अध्यक्ष प्रशासनिक अधिकारी आदि सभी सदस्य थे ? यदि हां, तो उस संस्था ने विभिन्न आयोजनों के माध्यम से कितना धन पैदा किया और गोरखपुर के विकास में उसका क्या सदुपयोग हुआ?

श्री जमुना प्रसाद---

जी नहीं, ऐसी किसी संस्था का गठन नहीं हुआ था। ऐसी दशा में कोई अन्य सूचना दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटक अधिकारियों के पदों पर नियमित नियुक्तियां

19---श्री संगम लाल---

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटन विभाग में इस समय पर्यटक अधिकारियों के कितने पद हैं ? इन पदों में से कितने पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित नियुक्तियां हो चुकी हैं ? जिन पदों पर नियुक्तियां नहीं हुयी उनका क्या कारण हैं ?

श्री आबिद अली---

इस समय पर्यटक अधिकारियों के 17 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 11 पदों पर लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियमित नियुक्तियां की जा चुकी हैं। शेष 6 पदों पर नियमित नियुक्तियां किये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं।

आपात स्थिति के दौरान अनिवार्य सेवा निवृत्त किये गये खण्ड विकास अधिकारियों की बहाली

20---श्री संगम लाल---

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आपात-स्थिति के दौरान राज्य में कुल कितने खंड विकास अधिकारी अनिवार्य सेवा निवृत्त किये गये ? और राज्य सरकार के अभी हाल के फैसले के तहत अब तक कितने खंड विकास अधिकारी पुनः बहाल किये गये है ?

श्री जमुना प्रसाद---

कुल 9 खंड विकास अधिकारी अनिवार्य सेवा निवृत्त किये गये। उनमें से 4 बहाल किये गये है।

श्री पृथ्वी सिंह नेगी, जिला विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

21---श्री संगम लाल---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रतापगढ़ जनपद के जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी (श्री पृथ्वी सिंह नेगी) के खिलाफ अगस्त, 1977 में जांच रिपोर्ट कृषि निदेशक को भेजी है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री जमुना प्रसाद---

जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई थी, जिस का परीक्षण करने के उपरान्त, जिला विकास अधिकारी की चरित्र-पंजिका में भर्त्सनात्मक प्रविष्टि अंकित कर दी गई।

गोरखपुर जिले के कतिपय विकास खंडों को दी गयी धनराशि

22—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि 1977 में कांग्रेस सरकार ने गोरखपुर के कौड़ी राम, खोराबार, पिपरौली विकास खण्डों को कितनी धनराशि अनुदान के रूप में वितरित करने के लिए दी ? क्या वह धनराशि समय से उपयुक्त मद में वितरित की गयी? यदि हां, तो क्या जिस गांव सभा को जिस कार्य के लिए दिया गया। उसने उसे पूरा किया?

श्री जमुना प्रसाद—

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड कौड़ीराम, खोरावर तथा पिपरौली विकास खण्डों को जिले के अन्य विकास खण्डों की भांति वर्ष 1976–77 में कांग्रेस सरकार द्वारा विकास कर तथा स्वालम्बन सहायक अनुदान के अन्तर्गत आवंटित धनराशि में से विकास खण्ड कौड़ीराम को 1,00,035.00 विकास खण्ड खोरावर को 1,00,035.00 विकास खण्ड पिपरौली को 1,00,035.00 आवंटित किया गया था।

विकास खण्ड खोरावर तथा पिपरौली द्वारा समय से उपयुक्त पदों में उक्त धनराशि का वितरण कर दिया गया था। विकास खण्ड, कौड़ीराम ने समय से ही मु0 95,135.00 उपयुक्त मद में तथा शेष 4,900 अनुपयुक्त मद में वितरित किया है।

विकास खण्ड खोरावर तथा पिपरौली के ग्राम सभाओं ने अधिकांशत: जिस कार्य के लिए धनराशि वितरित की थी उसे पूर्ण कर लिया है तथा विकास खण्ड कौड़ीराम की ग्राम सभाओं ने 103 कार्यों को प्रारम्भ किया था जिसमें से 22 कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा शेष अभी अपूर्ण है। अनुपयुक्त मद से प्रारम्भ किये गये 3 कार्य (स्कूल मरम्मत) पूर्ण होने के करीब है।

23—श्री कल्पनाथ सिंह—

[स्पष्टीकरण के लिये हटाया गया।]

फैजाबाद से महबूबगंज तक रोडवेज बस चलाये जाने की मांग

24—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद से महबूबगंज तक रोडवेज की एक बस चलवाने तथा कुछ अन्य बातों के बारे में प्रश्नकर्ता का दिनांक 30 नवम्बर, 1977 का शिकायती-पत्र मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और फैजाबाद–महबूबगंज बस सेवा कब तक चालू हो जायगी ?

श्री आबिद अली—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सहकारी चीनी मिल कायमगंज फर्रुखाबाद द्वारा अल्प बचत योजना के अन्तर्गत काटी गयी धनराशि

25—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या चीनी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के सहकारी चीनी मिल कायमगंज में गत दो वर्षों से कितना रुपया अल्प बचत योजना में किसानों से काटा गया था? क्या उक्त धन को किसानों के खाते खोलकर जमा करा दिया गया है? यदि नहीं, तो उक्त धन कितना है और क्या जमा है? किसानों के खातों में कब तक जमा हो जायेगा ?

श्रीमती चन्द्रावती—

सहकारी चीनी मिल कायमगंज फर्रुखाबाद द्वारा वर्ष 1975–76 में रु0 55,072.30 तथा वर्ष 1976–77 में 1,10,662.75 रु0 इस प्रकार कुल 1,65,735.05 रु0 अल्पबचत योजना के अन्तर्गत दो वर्षों में काटा गया। उक्त धनराशि में से अब तक 46,704.25 रु0 उक्त चीनी मिल ने डाकघर में जमा किया है। शेष धन जमा कराने की कार्यवाही प्रगति में है।

चीनी मिल मालिकों द्वारा गन्ने का उचित मूल्य न देने व मूल्य का समय से भुगतान न करने से किसानों में संकट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष, प्रदेश के एक करोड़ गन्ना उत्पादक इस समय एक अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहे हैं। पच्छिम उत्तर प्रदेश की अनेक चीनी मिलें गन्ने मूल्य का उचित भुगतान नहीं कर रही हैं, गन्ना किसानों की कठिनाइयों का दुरूह परिस्थितियों में मिल मालिक नाजायज लाभ उठा रहे हैं। अनेक मिल मालिक खांडसारी इकाइयां तथा ठेकेदार व बड़े किसान कहीं कहीं गरीब गन्ना उत्पादकों से पांच रुपये प्रति क्विंटल गन्ने की खरीद कर रहे हैं। कहीं कुतवा खरीद की जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गन्ना बहुल जनपद देवरिया और पडरौना में गन्ना उत्पादकों के सम्मुख जीवन और मरण का प्रश्न उपस्थित है। पडरौना शुगर मिल, कठकुइयां शुगर मिल, सेवरही शुगर मिल, रामकोला खेतान, रामकोला पंजाब, कप्तानगंज, लक्ष्मीगंज आदि मिल क्षेत्र के गन्ना उत्पादक त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। खड्डा मिल की भी यही स्थिति है। छितौनी मिल के गन्ना उत्पादकों को तीन मास से गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा है। गुड़ निर्माताओं के विषय में तो सारा गुड़ गोबर हो गया वाली उक्ति चरितार्थ हो गई है। यदि तत्काल प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई तो गन्ना किसानों की टूटी रीढ़ कभी सीधी नहीं होगी।

प्रदेश के विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों की तनावपूर्ण स्थिति तथा शिक्षा संस्थाओं के बन्द होने से विद्यार्थियों में असंतोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान प्रदेश की स्थिति शोचनीय होती हुई शिक्षा संस्थाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। काशी विश्वविद्यालय अल्मोड़ा, इलाहाबाद तथा अलीगढ़ के अधिकांश शिक्षा संस्थायें बन्द हैं एवं इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का तनाव चल रहा है। प्रदेश के समस्त शिक्षा संस्थाएं बन्द हैं और आमरण अनशन पर बैठे हैं। होम्योपैथिक के कुछ विद्यालयों के छात्र प्रदर्शन के पथ पर हैं। प्रदेश के सारे विद्यार्थियों के मन में यही धारणा स्थापित हो गयी है। जनता सरकार के विरुद्ध यह एक ऐसी स्थिति है जिस पर सरकार को विधान सभा में शीघ्र ही एक बयान दे देना चाहिये और विधान सभा को इस बात के लिये प्रस्ताव करना चाहिये।

अतः माननीय अध्यक्ष जी का ध्यान आकर्षित करता हूं और निवेदन है कि मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालें।

फ़ैजाबद जनपद के जिला परिषद द्वारा संचालित पशु चिकित्सालयों में दवाओं का अभाव तथा सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के विषय को नियम 301 के अंतर्गत सदन के संज्ञान में लाना।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस माननीय सदन का ध्यान फैजाबाद जनपद के गोसाईगंज एवं जलालपुर कस्बों में तथा अन्य स्थानों पर जिला परिषद् द्वारा संचालित पशु चिकित्सालयों की दुर्दशा तथा सरकार द्वारा उनकी अनवरत उपेक्षा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके परिणामस्वरूप वहां के निवासियों को कड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और दवा के अभाव में समय पर इलाज की सुविधा प्राप्त न होने के कारण हर वर्ष हजारों जानवरों की मौत हो जाती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रवीन्द्र तिवारी]

मान्यवर, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी सूचना के अनुसार पिछले कई वर्षों से इन चिकित्सालयों को सरकार या जिला परिषद् द्वारा एक पैसे की भी दवा सप्लाई नहीं की गयी है। इनमें से अधिकतर अस्पतालों के सारे औजार बहुत ही पुराने हैं और बेकार हो गये हैं।

श्रीमन्, मुझे यह भी बताया गया है कि जिला परिषदों द्वारा संचालित प्रदेश के लगभग सभी पशु चिकित्सालयों की यही हालत है।

इसलिये मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से इस लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रदेश भर में जिला परिषदों द्वारा संचालित पशु चिकित्सालयों में सही ढंग से इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अविलम्ब नये उपकरण तथा जरूरी दवायें भेजी जायं और भविष्य में इन पशु चिकित्सालयों में उपचार की सुविधा सुचारु रूप से प्रदान करने के लिये जिला परिषदों की सीमित आय को ध्यान में रखते हुए इन सब का प्रान्तीयकरण करके इन्हें सीधे पशुधन विभाग द्वारा संचालित किया जाय।

प्रदेश में ओलावृष्टि से क्षति तथा कृषि देयों की जबरदस्ती वसूली के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण प्रदेश में ओलावृष्टि एवं असमय वर्षा से बरबाद काश्तकारों से शासकीय देयों की वसूली जुल्म तथा अत्याचार के बल पर की जा रही है। खड़ी फसलों, मवेसियों व अन्य चल एवं अचल सम्पत्तियों की कुर्की व गिरफ्तारी तथा बन्धकग्रस्त भूमि की नीलामी की कार्यवाही बड़े पैमाने पर की जा रही है। आज ही 'स्वतंत्र भारत' आदि अनेक समाचार पत्रों में बन्धक भूमि की नीलामी की सूचनायें प्रकाशित हैं।

वास्तव में काश्तकार की वर्तमान कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बात से सहमत है कि शासकीय देयों की वसूली में जोर-जुल्म की कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। परन्तु इस बारे में दिनांक 8 मार्च, 1978 को राजस्व विभाग 7 द्वारा जो रेडियोग्राम संख्या 112-36/77 (296) राजस्व-7 प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को जारी किया गया, उसमें मात्र राजस्व जिसमें लगान तथा तकावी आदि शामिल है, उसी वसूली का उल्लेख किया गया है। आदेश स्पष्ट न होने के कारण सहकारी तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि कार्य के लिये जो कर्ज किसानों द्वारा लिया गया था, उसकी वसूली जुल्म से हो रही है।

परिणामस्वरूप आपादग्रस्त लघु एवं सीमान्त काश्तकारों को भी राहत नहीं मिली है तथा सम्पूर्ण प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। अतएव निवेदन है कि उपरोक्त आदेश संशोधित करके ऐसी व्यवस्था की जाय कि वसूली करने में जोर-जुल्म न करने के आदेश समस्त कृषि संबंधी देयों पर प्रभावी हो।

त्वरित कार्यवाही हेतु यह विषय शासन के ध्यान में लाया जा रहा है।

पतनगर कृषि विश्वविद्यालय के अनिश्चित काल के बन्द होने से विद्यार्थियों में असंतोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल) —

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन को लोक महत्व की यह सूचना देना अपना कर्तव्य समझता हूं कि जिला नैनीताल में भारत के विख्यात पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय को विगत 3 फरवरी से अनिश्चितकाल के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बन्द कर दिया गया था जो अभी तक बन्द ही है । इस विश्वविद्यालय में उड़ीसा, केरल, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब इत्यादि इनके सुन्दर प्रदेशों के विद्यार्थी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करते हैं । उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय बन्द कर दिये जाने का कारण, जैसा कि साधारणतया: होता है, विद्यार्थियों की हड़ताल नहीं है ।

श्रीमान, दूरस्थ प्रदेशों से ज्ञानार्जन की उत्कृष्ट अभिलाषा से, इस विश्वविद्यालय में प्रविष्ट छात्रों में शिक्षा का लक्ष्य पूरा करने की बड़ी लगन है, क्योंकि यहां की शिक्षा रोजगारपरक है । अतएव छात्रों की ओर से हड़ताल की कोई नोटिस नही दिया गया था । और न हड़ताल की गई । वास्तविकता यह है कि दिनांक 9 फरवरी को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 10 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिये जाने के विरोध में 2 फरवरी को विश्वविद्यालय कृषि फार्म के हजारों मजदूरों ने हड़ताल कर दी । शांति व्यवस्था के लिये विद्यालय क्षेत्र में पधारे हुये ए0 डी0 एम0 नैनीताल तथा एस0 डी0 एम0 की मौजूदगी में विश्वविद्यालय के एक अधिकारी को पीटा गया । इससे पूर्व विद्यालय कृषि फार्म में 60 एकड़ गन्ने में आग लगने की घटना भी हुई । परन्तु श्रमिक अशान्ति के कारण विश्वविद्यालय की कक्षायें बन्द कर देने का कोई औचित्य नहीं है जबकि विद्यार्थीगण पढ़ने के लिये उत्सुक है । विगत 3 मार्च को विश्वविद्यालय खुलने की विज्ञप्ति के बावजूद, सुदूर प्रदेशों से लम्बा सफर और खर्चा करके आये हुये विद्यार्थियों को यह कहकर वापिस लौटा दिया गया कि बिजली पानी इत्यादि की व्यवस्था भंग हो जाने के कारण यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी । इस प्रकार विश्वविद्यालय प्रशासन, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है जबकि परीक्षायें समीप हैं । अनुसंधान केन्द्र बन्द पड़े रहने के कारण अनेक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियां भी नष्ट हो गई हैं ।

अतएव माननीय कृषि मंत्री जी तथा राज्यपाल महोदय को चाहिये कि वह हस्तक्षेप करें और पन्तनगर विश्वविद्यालय को जनहित में शीघ्र खुलवाने की कृपा करें ।

जनपद बस्ती के ग्राम केवटली थाना कप्तानगंग की पुलिस द्वारा श्री महाबीर कुर्मी की पिटाई से कथित मृत्यु तथा उसकी लाश गायब कर देने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, बस्ती जिले में आज कल पुलिस प्रशासन आपात कालीन जैसा है । परसुरामपुर थानान्तर्गत महीनों आम जनता का आवागमन अवरुद्ध रहा है । पुलिस मजाहमत के नाम पर महीनों जनजीवन अस्त व्यस्त रहा है कि इसी बीच कप्तानगंज थानान्तर्गत ग्राम केवटली में एक भगाई गई लड़की की बरामदगी को लेकर गांव वालों से तथा पुलिस से दिनांक 24–2–78 को मुजाहमत हो गई । इसी घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने दि0 26–2–78 की रात में महावीर कुर्मी, धनराज कुर्मी तथा जयराम कुर्मी ग्राम केवटली की गिरफ्तारी की और दि0 27–2–78– को 12 वजे दिन तक तीनों को मारते पिटते रहे और थाने पर ले आयी । महावीर 70–75 वर्ष का बूढ़ा था मार खाते खाते बेदम हो चुका था । कुछ दूर पुलिस अपनी साइकिल पर और कुछ दूर चारपाई पर लाद कर ले आई । धनराज तथा जयराम का चालान 28–2–78 को पुलिस ने भेजा किन्तु महावीर का पता नहीं है, गांव वाले जानते थे कि महावीर जेल में है । किन्तु जेल वालों से मिलाई आदि के बाद पता चला कि महावीर जेल नहीं भेजा गया है । मुझे 13–3–78 को पता चला कि महावीर को मार कर पुलिस ने लाश को गायब कर दिया है । मैंने जिलाधिकारी को लिख कर दिया । जिलाधिकारी बस्ती ने 13–3–78 को मेरे एवं 2 अन्य विधायकों के साथ जेल में धनराज तथा जयराम आदि का बयान लिया । बयान से भी महावीर की लाश गायब करना साबित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ओम प्रकाश]

है। मैंने 13-3-78 को ही मुख्य मंत्री एवं आई0 जी0 पुलिस को तार द्वारा सूचना भेज दी है।

यह घटना केरल के राजन कांड से कम नहीं है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में घोर क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है। ऐसे आतंक तथा अशांति के वातावरण में कोई भी गम्भीर घटना घट सकती है।

'पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री जल्फ़िकार अली भुट्टो को मृत्यु दंड देने से उनकी जान बचाये जाने के संबंध में प्रस्ताव लाने का सुझाव

श्री अध्यक्ष —

श्री आरिफ मोहम्मद खां आप क्या कहना चाहते हैं ?

*श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान एक बड़े महत्व पूर्ण घटना की तरफ दिलाना चाहता हूं कि 18 मार्च को पाकिस्तान के लौहार हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री जुल्फिकार अली भुट्टो को मौत की सजा सुनायी है.....

श्री अध्यक्ष—

लेकिन यहां से उसका क्या संबंध है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां :—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी विकासशील देशों में जो पिछली आधी शताब्दी में आजाद हुये हैं और जहां लोकतंत्र है वहां यह अन्तर्राष्ट्रीय साजिश है कि लोकतंत को खत्म किया जाय और मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों में किसी भी चीज से ज्यादा जन भावनाओं का महत्व होता है। यह माननीय सदन दस करोड़ जन भावनाओं का रिप्रेजेन्टेशन करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। मान्यवर, मुझे सिर्फ इतना निवेदन करना है, आपके माध्यम से माननीय नेता सदन से कि वह इस संबंध में एक प्रस्ताव इस सदन में लायें और यह माननीय सदन अपनी भावनाओं को इस सिलसिले में व्यक्त करें क्योंकि मान्यवर, पिछले आठ महीनों से उस देश में मार्शल रूल है, फौजी शासन है। इस फैसले से पाकिस्तान में जो सीमिति आजादी थी उस सब को खत्म कर दिया गया है। लाखों आदमियों को जेलों में बन्द कर दिया गया है। इससे यह बात साफ हो जाती है कि फौजी शासन.....

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त करें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

एक मिनट मान्यवर, फौजी शासन को इसकी जानकारी थी और फौजी शासन के आने से लाहौर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया। इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं कि ऐसे मामले में यह माननीय सदन जो लोकतंश की पैदावार है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और प्रधान मंत्री से यह गुजारिश करे कि जिस तरह से शेख मुजीबुर्रहमान के मामले में मान्यवर, इस देश के पार्लियामेन्ट ने और यहां की विधान सभाओं ने प्रस्ताव पास किया था और यह कोशिश की गई थी कि शेख मुजीबुर्रहमान की जान बचायी जाय उसी तरह से यह सदन प्रधान मंत्री से गुजारिश करे कि (व्यवधान)..

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—
श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—
देखिये व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां —
ताकि श्री भुट्टो की जान बचायी जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष—
अब तो समाप्त कर ही दिया।

श्री नेम सिंह चौहान—
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जो प्रश्न है क्या इस पर सदन में विचार हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—
यह एक दूसरे देश जो स्वाधीन हैं और प्रभुसत्ता सम्पन्न हैं उससे संबंधित है। कोई विचार व्यक्त करना उसके (इन्टरनल) आन्तिरिक आजादी में दखल देना होगा और फिर इस प्रश्न का संबंध भारत सरकार से है इसलिये मैं इस बात की अनुमति नहीं दे सकता कि इस पर कोई विवाद हो.....

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—
मान्यवर,....

श्री अध्यक्ष —
इस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं।

एक सदस्य—
मैंने भी एक लोक महत्व की सूचना दी है....

श्री अध्यक्ष—
जिनको मैंने मंजूर किया था उन्हीं को इजाजत दी गई है। बाकी मैंने स्वीकार नहीं किये हैं। आप स्थान ग्रहण करें।

सदस्यों की रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष—
जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ के दिनांक 18 मार्च, 1978 के पत्रों, जो इस सचिवालय में दिनांक 20-3-78 को प्राप्त हुये हैं, द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा के निम्न सदस्य, जो दिनांक 17-3-78 को दन्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/ 107/ 116 के अन्तर्गत बन्दी किये गये थे दिनांक 18-3-78 को उक्त धारा से मुक्त कर दिये गये हैं और जेल से रिहा कर दिये गये हैं।

1—श्री नारायण दत्त तिवारी
2—श्री राम रतन सिंह
3—श्री चेतराम गंगवार
4—श्री रामदेव यादव
5—श्री मन्नू लाल द्विवेदी

[श्री अध्यक्ष]

6—श्री मोहन लाल त्रिपाठी
7—श्रीमती सुनीता चौहान
8—श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी
9—श्री मन्जूर अहमद
10—श्री अजीत सिंह सेठी
11—डाक्टर कौशल (कृष्ण वीर सिंह कौशल)
12—श्री मन्जूर अली खां
13—श्री मकबूल अहमद खां
14—श्री बिहारीलाल
15—डाक्टर सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिन्धु'
16—श्री गुलाब सेहरा
17—श्री रामेश्वर नाथ चौबे
18—श्री मोहन सिंह (रायबरेली)
19—श्री राम दुलारे
20—कमला प्रसाद सिंह
21—श्री राम शिरोमणि

सदन को उक्त माननीय सदस्यों के बन्दी किये जाने की सूचना दिनांक 18-3-78 को दी गई थी।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जहां तक मेरी जानकारी है, इन माननीय सदस्यों को परसों छोड़ा गया था और दोपहर के बाद छोड़ा गया था। 5 बजे तक यहां सदन चलता रहा। यह लखनऊ की ही बात है। उसी दिन यह सूचना आपके पास आ जानी चाहिये थी। यहां पांच घन्टे तक सदन की कार्यवाही होती रही। दूसरे दिन भी सदन चला था और आज आपको सूचना दी जा रही है। यह हमारा हक था। इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

उस रोज तो कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता, जब कार्यवाही हो रही थी। अधिकारियों से जब सूचना प्राप्त होगी तभी यहां सूचना दी जा सकेगी। उससे पहले मुझे श्री नारायण दत्त तिवारी की सूचना शाम तक मिल गई थी। अन्य लोगों की गिरफ्तार होने की सूचना शनिवार को दी जा सकी थी। रिहा होने की सूचना आज ही प्राप्त हुई है।

श्रीनारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमान प्रार दर्शन में अवेहलना हुई है। जो दफायें इसमें दी गई वह गलत हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने तो केवल धारा 188 का उल्लेख किया था। अतः मैं इसे आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर दे दीजिएगा, फिर मैं विचार करूंगा।

उप निदेशक, बेसिक शिक्षा परिषद् के लिपिक श्री मन मोहन द्विवदी तथा बाजपेयी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार की अवहेला की सूचना है।

[श्री अध्यक्ष]

भूतपूर्व आचार्य ए0 के0 डिग्री कालेज, शिकोहाबाद ने माननीय सदस्य से इस बात का उल्लेख किया दूसरे दिन अर्थात् 31 जनवरी, 1978 को माननीय सदस्य उक्त उप सचिव से मिलने गये और तीनों व्यक्तियों से एक दिन पूर्व किये गये वार्तालाप का उल्लेख करते हुये उक्त उप सचिव से कहा "आपको मंत्री जी के प्रति उक्त शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये था जो न केवल अवमानजनक थे बल्कि अनुशासन हीनता के भी द्योतक थे, इस पर उक्त उप सचिव ने उनसे चिल्ला चिल्लाकर बात की माननीय सदस्य का कहना है कि उनका व्यवहार वैसा नहीं था जैसा एक विधायक के साथ होना चाहिये। उन्होंने न केवल माननीय सदस्य बल्कि शिक्षा मंत्री व पूरे मंत्रिमंडल का अवमान किया है साथ ही साथ विशेषाधिकार को भी भंग किया है। माननीय सदस्य ने डा0 मायाराम, उप सचिव, शिक्षा विभाग के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की प्रार्थना की है।

यह एक माना हुआ सिद्धान्त है कि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जब कि सदस्य होने के नाते किसी सदस्य के आचरण या चरित्र पर आक्षेप किया जाय और वह उन विषयों पर आधारित होना चाहिये जो सभा के कार्य के संचालन में उठते है। अतः सदस्य पर सदस्य के अतिरिक्त किसी और हैसियत से आक्षेप को सभा का विशेषाधिकार भंग या अवमान नहीं माना जाता है। माननीय सदस्य की सूचना से स्वतः स्पष्ट है कि माननीय सदस्य द्वारा सदस्य के नाते सदन या सदन की किसी समिति के कार्य के संबंध में कोई बात नहीं कही गई। जब माननीय सदस्य डा0 माया राम के यहां गये तो वे एक विधायक के कार्य के सम्पादन के लिये नहीं अपितु एक नगारिक की हैसियत से गये थे। अतः प्राग्दर्शन में वह ऐसा मामला नहीं है जिसे विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में इसे उठाने हेतु अनुमति दी जाय। किन्तु मैंने यह आवश्यक समझा कि डा0 माया राम को माननीय सदस्य के सामने बुलाकर स्थिति स्पष्ट कर दी जाय। डाक्टर माया राम ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई अपमान नहीं किया। यदि माननीय सदस्य ऐसा समझते हैं कि उनकी वजह से तकलीफ हुई है तो वह क्षमा प्रार्थी हैं। अतः इस मामले में अब किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश तथा श्री मैनेजर सिंह के विरुद्ध 15 अक्टूबर, 1977 को उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों का समाप्त किया जाना

श्री अध्यक्ष :—

श्री देव बहादुर सिंह ने 15 अक्टूबर, 1977 को श्री शतरुद्ध प्रकाश के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी। सूचना में कहा गया था कि जब मार्शल माननीय श्री रामअधार को सदन से बाहर निकालने के लिये उनके स्थान पर पहुचे तो माननीय श्री शतरुद्ध प्रकाश ने मार्शल को रोका। इस प्रकार उन्होंने मेरे आदेश को नहीं माना जिससे सदन की मानहानि और अवमानना हुई। 15 अक्टूबर, 1977 को इस घटना के तुरन्त बाद ही माननीय श्री सुन्दर लाल दीक्षित ने सदन में कुछ आक्षेपात्मक बातें कहीं एवं अव्यवस्था पूर्ण व्यवहार किया। इस संबंध में श्री सुन्दर लाल दीक्षित को इंगित किया गया। जब शासन की ओर से श्री दीक्षित के निलम्बन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा था उस समय श्री मैनेजर सिंह ने अध्यक्ष पीठ के प्रति आक्षेपात्मक बातें कहीं। जब माननीय विद्युत मंत्री ने श्री दीक्षित को 3 दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित करने का प्रस्ताव सदन में रखा तो माननीय मैनेजर सिंह ने कहा कि मैं इस प्रस्ताव पर बहिर्गमन कर रहा हूं और वे सदन के बाहर चले

गये। जब मैं इस प्रस्ताव पर प्रश्न उपस्थित कर रहा था तो उन्होंने सदन में पुनः आकर कहा "सारी कार्यवाही आप अवैध कर रहे हैं। आप गुस्से में सदन चलाते है, यह उचित नहीं। मैंने इस पर उसी समय कहा था "यह मैनेजर सिंह जी का आक्षेप है, सदन की सारी मान्यताओं का अवमान किया है, इसको बाद में लिया जायेगा।" श्री श्यामधर मिश्र ने श्री मैनेजर सिंह के विरुद्ध उसी समय विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को उठाया था।

दिनांक 15 अक्तूबर, 1977 को घटित सदन में अवमान की उपयुक्त घटनायें एक ही घटना की कड़ी के रूप में है और सदन के समक्ष हुई हैं। इसके संबंध में मैंने उसी दिन कहा था कि यह सदन का घोर अपमान है चूंकि यह घटना सदन के प्रत्यक्ष हुई है, अतः सदन स्वयं कार्यवाही कर सकता है और इस विशषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु इसके पूर्व कि उक्त मामले पर सदन में विचार हों, सदन 1 नवम्बर, 1977 को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया और दिनांक 2 नवम्बर, 1977 को उसका सत्रावसान कर दिया गया। अभी तक माननीय उपाध्यक्ष निर्वाचित न होने के कारण प्रिक्रया नियमावली के नियम 263 के अनुसार न तो विशेषाधिकर समिति के सदस्य बन सकें और न ही नियम 201(1) के परन्तु कि के अनुसार उसके सभापति ही हो सकते है। यद्यपि विशेषाधिकार समिति के अन्य सदस्यों का नामांकन किया जा चुका है, फिर भी माननीय उपाध्यक्ष के न होने के कारण समिति पूर्ण रूप से गठित नहीं मानी जा सकती है और यह भी नियमानुसार कार्य नहीं कर सकते है। अतः उक्त दोनों मामलों को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करने से कोई लाभ नहीं था। ये दोनों प्रश्न अब स्वयं इस आदरणीय सदन के द्वारा निर्णीत किये जाने हैं।

उक्त प्रश्न काफी अरसे से लम्बित है और इस सदन के दो माननीय सदस्यों से सम्बन्धित है। यह स्पष्ट है कि उक्त दोनों माननीय सदस्यों के व्यवहार से सदन का अवमान सदन के समक्ष हुआ है, किन्तु इस आशा से कि भविष्य में माननीय सदस्य इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे, यदि सदन सहमत हो तो उन्हें क्षमा करते हुये, इस मामले को समाप्त कर दिया जाय।

कई सदस्य--

"ठीक है इसे यहीं समाप्त कर दिया जाय।"

श्री अध्यक्ष --

तो इसको यहीं समाप्त किया जाता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी, सदस्य विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष --

एक प्रश्न श्री कल्पनाथ सिंह और श्री शफीकुर्रहमान बर्क ने श्री नारायण दत्त तिवारी के विरुद्ध दिया था, दूसरा श्री कृष्णावीर सिंह कौशल ने माननीयि मुख्य मंत्री, महा निरीक्षक पुलिस तथा जिलाधिकारी लखनऊ के विरुद्ध दिया है। तीसरा श्री विद्या शंकर पान्डेय ने माननीय मुख्य मंत्री जी के खिलाफ दिया है। चौथा श्री गुलाब सेहरा, श्री अरुण कुमार, श्री मोहन लाल त्रिपाठी और श्री अजीत सिंह सेठी ने मुख्य मंत्री के विरुद्ध दिया है।

[श्री अध्यक्ष]

यह पहला सवाल, श्री कल्पनाथ सिंह एवं श्री शफीकुर्रहमान बर्क सदस्यगण विधान सभा ने दिनांक 18–3–78 को नियम 68 के अन्तर्गत श्री नारायण दत्त तिवारी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी । माननीय सदस्यों का कहना है कि श्री नारायण दत्त तिवारी ने सदन के बाहर समाचार-पत्रों में बयान देकर कि "कांग्रेस के सदस्यों ने किसी की भी पिटाई नहीं की," जो नवजीवन के 17 मार्च, 1978 के अंक में छपा है, तथ्यों को झुठलाने का प्रयास ही नहीं बल्कि सदन द्वारा गठित समिति के जांच में भी बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया है । दिनांक 18–3–78 को इसे स्थगित कर दिया गया था क्योंकि श्री नारायण दत्त तिवारी की सूचना की प्रति प्राप्ति नहीं हुई थी, वह सदन में उपस्थित नहीं थे । इस प्रश्न पर अभी मैंने कोई विचार नहीं किया है, इसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में । इस सम्बन्ध में मैं बहुत संक्षेप में चाहूंगा, श्री कल्पनाथ सिंह इसकी ग्राह्यता के बारे में प्रकाश डालें ।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को महामान्य राज्यपाल के भाषण को सुनने का जो अवसर प्राप्त हुआ था उसमें जिस तरह का यहां नृत्य किया गया और माननीय नारायण दत्त तिवारी यहां से उठ कर अकेले चले गये और बाकी अपने सदस्यों को छोड़ गये और इसके बाद जिस तरह से यहां सारी कार्यवाही चली वह आप के और सारे सदन के सदस्यों के सामने की बात है । यहां से जाने के बाद बाहर अखबारों में जाकर माननीय नारायण दत्त जी तिवारी ने एक बयान उसी दिन दिया और नवजीवन में उनका वह बयान उसी दिन 17 तारीख को जब तक दूसरे समाचार-पत्र प्रकाशित नहीं हुए थे, उसके पूर्व ही यह बयान दे डाला जिससे मंशा उनकी यह थी कि इस सदन के दूसरे सदस्यों को बदनाम किया जाय और अपने दल के सदस्यों को एकदम उससे अलग रखने का प्रयास किया । मैंने यह भी निवेदन किया है उसमें कि अगर समिति न बन गयी होती इस माननीय सदन के प्रस्ताव पर, तो शायद उसकी परिधि कुछ दूसरी होती । लेकिन जब एक समिति बन गयी उस समिति के विचाराधीन उसके अन्वेषण के लिये, उसकी कार्यवाही को करने के लिए, जब एक समिति बन गयी और उसकी रिपोर्ट इस सदन में अपेक्षित है । तो बीच में ही उस घटना के सम्बन्ध में कोई बयान इस सदन के बाहर देना उस समिति के काम में बाधा डालने का प्रयास है । इसी लिये मैंने नोटिस दी । अगर समिति को सुचारु रूप से काम करने की सुविधा नहीं रहेगी, इस सदन के बाहर लोगों को गुमराह करने का मोका मिलेगा तो निश्चित मत है कि जो समिति 11 सदस्यों की बनायी गयी है उसके काम करने में पूरी आजादी नहीं रहेगी । माननीय नारायण दत्त तिवारी के बयान में प्रत्यक्ष रूप से समिति का नाम नहीं लिया है । लेकिन परीक्षा रूप से इस समिति के काम में बाधा डालने का प्रयास किया गया है । जो बयान उन्होंने 17 तारीख को दिया था और 17 तारींख को नवजीवन में बयान छापा उससे साफ जाहिर है कि माननीय नारायण दत्त तिवारी ने जी समिति का गठन हुआ है, उस की कार्यवाही है उसके अन्तर्गत जो छानबीन करनी है, उन सब पर एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने का प्रयास किया गया है जो विशेषाधिकार की परिधि में आता है ।

(श्री नारायण दत्त का नाम पुकारे जाने तथा श्री शफीकुर्रहमन बर्क के खड़े होने पर,)

श्री अध्यक्ष—

श्री शफीक साहब, इस पर माननीय कल्पनाथ सिंह की बात सुन ली । इस पर आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सदस्य को समय दूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—
थोड़ा मुझे भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष—
एक मिनट में समाप्त कीजियेगा।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—
अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय कल्पनाथ सिंह ने फरमाया यह हादसा जो 15 मार्च को इस सदन के अन्दर हुआ जिसके अन्दर प्रजातन्त्र और जमहूरियत का मैं तो यही कहूंगा यहां पर खून किया गया और इस से ज्यादा शर्मनाक और कोई बात नहीं हो सकती है। इन्दिरा कांग्रेस के लोग.....

श्री अध्यक्ष—
आप विषयान्तर कर रहे हैं। इस पर प्रस्ताव पेश हो चुका है और कमेटी बन चुकी है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—
मैं दूसरी बात.....

श्री अध्यक्ष —
आप मेरी बात को सुन लीजिये। विशेषाधिकार का प्रश्न क्यों उठाया गया है। माननीय तिवारी जी का नवजीवन में एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ जब एक कमटी का गठन हो गया था। यह कन्टेम्पट है, केवल इसी तक सीमित रखिये सदन में क्या कार्यवाही हुई इस पर कमेटी गठित हो गयी है। इस पर मैं विवाद की कोई अनुमति नही दूंगा।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—
जो बयान दिया है, आपने भी अपनी आंखों से देखा है कि बयान हकीकत के खिलाफ दिया गया है और इस सिलसिले में मैं कहूंगा कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है और आप इस पर कार्यवाही करें और मन्जूर फरमाये।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—
आपके सामने इस नियमावली के अन्तर्गत विशेषाधिकार का प्रश्न है कि जिसे माननीय श्री कल्पनार्थ सिंह ने प्रस्तुत किया है। यहां पर यह प्रश्न नहीं है कि उस दिन क्या हुआ। उस दिन जो हुआ उसके बाद यहां पर इस सदन में 2 प्रस्ताव आये और वह पारित हो चुके है। इस समय उनकी यहां चर्चा करना बिल्कुल असंगत होगा। क्योकि श्री शिवमंगल सिंह की अध्क्षता में एक कमेटी बन गयी है और जिसकी जानकारी आपको भी है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब समिति बन चुकी है तो माननीय सदस्य ने उसे क्यों प्रकाशित किया? मेरा निवेदन हैं कि जैसा कि मेरी छोटी बुद्धि में आता है कि अगर माननीय तिवारी जी उस कमेटी के गठन के समय सम्मिलित होते या उस समिति के गठन की उनकी जानकारी होती और उसके बाद वह वक्तव्य देते तो वह विशेषाधिकार होता। जहां तक मैं समझता हूं कि वह 11 बजे का वक्तव्य है जब वह निकल गये होगे और फिर सदन साढ़े बारह बजे बैठा और यह डेढ़ बजे पारित हुआ। कमेटी 18 को बनी तो उसके पहले ही वक्तव्य माननीय सदस्य ने अखबार में दिया और प्रकाशित हो गया। उस समिति के गठित होने के बाद तिवारी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया इसलिये विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

श्री अध्यक्ष —
यह विवाद का प्रश्न नहीं है ।

श्री श्यामधर मिश्र —
नियम 66 में देखें, जिस ढंग से यह प्रस्ताव आया है वह ग्राह्य नहीं हो सकता है । उसमें नहीं लिखा है कि किस समय बयान दिया गया और किस समय कमेटी बनी । तो मैं कहता हूं कि यह ग्राह्य हो ही नहीं सकता है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—
मान्यवर, मैं कल्पनाथ सिंह का बड़ा आदर करता हूं ।

श्री अध्यक्ष —
बहुत पुराने साथी रहे हैं ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—
उन्होंने जिस ढंग से प्रस्ताव पेश किया है मुझे तो उसे वैसे ही मान लेना चाहिए और क्षमा याचना कर लेना चाहिये । माननीय वर्क साहब तो बर्क हैं ही, बिजली जब गिरती है तो वह माफ नहीं करती है । वे तो बिजली की तरह से ही गरजते हैं, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है । तो उनसे माफी का प्रश्न ही नहीं उठता । जहां तक माननीय कल्पनाथ सिंह जी का सम्बन्ध है वे अपने अन्तर को अंतन्तम से प्रश्न पूछें । हो सकता है कि उनको अपने मित्र पर गुस्सा आ गया हो, पार्लियामेंटरी सिस्टम में गुस्सा भी आता है । वे स्वंय विचार करके अगर इसे वापस ले लें तो मैं बड़ा अनुग्रहीत हूंगा । 17 मार्च की घटना है और 17 को ही यह कैसे 'नव जीवन' में छप जायगा ?

श्री कल्पनाथ सिंह —
17 मार्च को ही विशेषांक में छपा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—
मान्यवर, मैं तो जेल में था । मुझसे वक्तव्य जरूर मांगा जब में वाक आउट कर गया उसके तुरन्त बाद और उन्होंने मुझसे कहा कि सदन में ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कि वहां पर क्या हुआ । जब मैं बाहर था मैंने भर्त्सना अवश्य की कि गवर्नर के अभिभाषण के समय ऐसा नहीं होना चाहिये था । जांच कमेटी बाद नें बनी जब मैं जेल में था । इस कमेटी की मुझे कोई सूचना नहीं थी और न हमारा कोई ऐसा निर्णय ही था । मैं आज भी पुन: उस घटना की भर्त्सना करता हूं कि ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए । मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि अगर जांच कमेटी सही जांच करके मुझे दोषी ठहरायगी तो प्रायश्चित करूंगा । यह नहीं होना चाहिये था । न हमारा इसमें हाथ था और न हमारा यह विचार था ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—
मान्यवर, सही निर्णय लिया गया है, कमेटी पर अविश्वास कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष —
अपने को ग्राह्यता तक ही सीमित रखिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—
श्रीमान्, ग्राह्य तो है ही नहीं, आपने कहा कि नोटिस की कापी भी नहीं मिली ।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

---

*वक्ता ने भषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष --

इसमें सुनने की कोई विशेष बात नहीं है ।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी (जिला इटावा)--

मुझे इतना ही निवेदन करना था कि श्री नारायण दत्त तिवारी स्वयं तो वाक आउट कर गये इन्होने घटना देखी भी नहीं और जानबूझ कर जब सदस्यों के खिलाफ कमेटी बन गयी तो इस प्रकार का बयान दिया ।

श्री अध्यक्ष---

आपने इसकी ग्राह्यता पर कुछ नहीं कहा । आप तो इसके तथ्यों जा पर रहे हैं । अब मैं इस पर अपनी व्यवस्था दे रहा हूं । माननीय सदस्य कल्पनाथ सिंह और श्री शफीकुर्रहमान बर्क ने जो प्रश्न उपस्थित किया है उसमे उनका कथन है कि माननीय नारायण दत्त तिवारी ने सदन के बाहर समाचार-पत्रों में बयान देकर कि कांग्रेस के सदस्या ने किसी की भी पिटाई नहीं की, जो "नवजीवन" के 17 मार्च, 1978 के अंक में छपा है, तथ्यों को झुठलाने का प्रयास ही नहीं बल्कि सदन द्वारा गठित समिति की जांच में भी बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया है । यह "नवजीवन", का विशेषांक 17-3-78 को शाम को प्रकाशित हुआ है जिसमें यह वक्तव्य छपा है और माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने नवजीवन के 17 मार्च, 1978 की प्रतिलिपि भी मुझे दी है । अब प्रश्न यह है कि क्या यह विशेषाधिकार की अवहेलना या अवमान सदन का है ? इस संबंध में किसने उस दिन अशोभनीय व्यवहार किया, किसने किस प्रकार चप्पल फेंकी किसन किसको पीटा, किसने गलत बयान दिया, तो इससे जैसा आपने कहा है कि उन्होंने झुठलाने का प्रयास किया, तो इसका मतलब यह है कि हम पहले ही जांच से किसी निश्कर्ष पर पहुंच गये कि झूठ बोला । एक कमेटी 11 आदमियों की 17 मार्च के प्रस्ताव के अनुसार जो प्रदत्त अधिकार थे 18 मार्च, को गठित हुई, मैंने उसको नाम निर्देशन किया । 15 दिन में यह कमेटी इन सब तथ्यों के बारे में अपनी रिपोर्ट देगी और उसके टर्म्स आफ रेफरेंस में यह भी है कि कि किसने अशोभनीय व्यवहार किया और क्या दंड देना चाहिये यह सब कमेटी के सामने आयेगा । इसलिये में इस विशेषाधिकार की सूचना को अग्राह्य करार देता हूं ।

मुख्य मंत्री, महा निरीक्षक पुलिस और जिलाधिकारी, लखनऊ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक सूचना मुझको डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल, सदस्य विधान सभा ने विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना, माननीय मुख्य मंत्री तथा महा निरीक्षक पुलिस और जिला धिकारी, लखनऊ के विरुद्ध दी है । माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 17-3-78 को मध्याह्न एक बजे जब वे कांग्रेस (आई0) द्वारा आयोजित किसान रैली में सम्मिलित होने के लिये जा रहे थे, उन्हें विधान सभा के बाहर गिरफ्तार कर लिया गया । उनके साथ सर्वश्री, नारायण दत्त तिवारी, गुलाब सेहरा, मोहन सिंह आदि विधायक भी थे । उन्हें किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये बिना तथा बिना वारंट लखनऊ जिला जेल में बन्द कर दिया गया और उन्हे यह भी नहीं बताया गया कि उन्हें किस जुर्म में बन्द किया गया । माननीय सदस्य का यह भी कहना है कि उक्त सदस्यगण को करीब 24 घण्टे जेल में रखा गया और भोजन वगैरह भी नहीं किया गया । माननीय सदस्य डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल, श्री नरायण दत्त तिवारी, श्री गुलाब सेहरा तथा मोहन सिंह आदि 21 सदस्यों की गरिफ्तारी की सूचना 18 मार्च, 1978 को सदन में दी गयी थी । यह सूचना जिलाधिकारी लखनऊ से प्राप्त हुई थी । जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना क अनुसार सब माननीय सदस्य

[श्री अध्यक्ष]—

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 सी० आर० पी० सी० तथा 188 आई० पी० सी० के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये थे और जिला जेल लखनऊ में रखे गये थे।

फौजदारी आरोप पर माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी के सबंध में सदन को सूचना दिये जाने की व्यवस्था है। चूंकि सदन को यथा समय सूचना दे दी गयी थी इसलिये इस मामले में कोई विशेषाधिकार का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। अतः मैं इस अग्राह्य करता हूं।

दो और हैं श्री विद्या शंकर जी की जो मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध आरोप लगाये है, पहले मैं इसकी जांच करूंगा कि वस्तुस्थिति क्या है, तभी उसके बारे में विचार किया जायगा।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न कि अन्य सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

चौथी है श्री गुलाब सेहरा, श्री अरुण कुमार, श्री मोहन लाल त्रिपाठी तथा श्री अजीत सिंह सेठी की। उसकी प्रतिलिप मुख्य मंत्री जी को भेज दी है। आज मैं इसको नहीं ले रहा हूं इस प्रश्न को बाद में लिया जायगा।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

अध्यक्ष जी कब लेंगे ?

श्री अध्यक्ष :—

परसों नहीं लिया जा सकेगा। उसके बाद जो पहली तारीख होगी उसी दिन ले लूंगा।

श्री गुलाब सेहरा —

इसमें गिरफ्तारी का मामला है जल्दी लें।

श्री अध्यक्ष—

आप जानते हैं एक दिन में बहुत सी सूचनायें नहीं ली जा सकती हैं। मैंने पढ़कर इसलिये दे दिया।

विधान सभा की समितियां, स्थायी समितियां एवं विभिन्न निकायों के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—

विधान सभा की समितियों, स्थायी समितियों एवं विभिन्न निकायों के निर्वाचन के संबंध में नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय दिनांक 18 मार्च, 1978 के अपराह्न 4.00 बजे तक के लिये निर्धारित की गई थी। उक्त समय के भीतर—

1—प्राक्कलन समिति,

2—सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति,

3—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति,

4—समाज कल्याण स्थायी समिति,

5—लखनऊ विश्वविद्यालय की सभा,

7—मेरठ विश्वविद्यालय की सभा,

7—उत्तर प्रदेश महिला संस्था, बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड तथा

8—राज्य निराश्रित सहायता समिति।

मैं निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से अतिरिक्त जो नाम थे वे वापस ले लिए गए हैं, अतः उक्त समितियों में शेष सदस्य उक्त समिति के सदस्य विधिवत् निर्वाचित घोषित किए गए हैं। नामों की घोषणा सचिव अभी आपके सामने करेंगे।

सचिव, विधान सभा—

प्राक्कलन समिति में निम्न सदस्य निर्वाचित हुये हैं—

सर्वश्री—श्यामनारायण तिवारी (गोरखपुर), भाभी (आजमगढ़) श्रीमती कुदसिया बेगम (हरदोई), सर्वश्री—बच्चा पाठक (बलिया) मंन्जूर अहमद (मेरठ), सत्यपाल सिंह यादव, (शाहजहांपुर,) राजेन्द्रकुमार गुप्त (सीतापुर,) किशनलाल दिलेर (अलीगढ़,) डाक्टर जितेन्द्रकुमार अग्रवाल (सुल्तानपुर), सर्व श्री संग्राम सिंह (अलीगढ़), नत्थू सिंह (मैनपुरी), नरेन्द्र सिंह (मेरठ), शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद), प्रदीप कुमार यादव (बाराबंकी), जागेश्वर प्रसाद (फतेहपुर), राधेश्याम शर्मा (मथुरा), श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा (झांसी), सर्वश्री—ज्ञानेन्द्र स्वरूप (मथुरा), पद्माकर लाल (आजमगढ़), अब्दुल वहीद (बिजनौर), महेन्द्रसिंह (इटावा), रघुवर दयाल वर्मा (आगरा), भारत सिंह चौहान (इटावा), मोहम्मद रफी खां (शाहजहांपुर)। यह 25 सदस्य हैं। एक रिक्त है।

सार्वजनिक उपक्रम एवं नियम समिति

सर्वश्री—रामसजीवन (बांदा), रामआसरे वर्मा, (हरदोई) अजीत सिंह सेठी (मेरठ,) राजकिशोर तिवारी (जौनपुर), रामदेव यादव (रायबरेली), मलखान सिंह (मैनपुरी), राजनाथसिंह (मिर्जापुर), राजबली तिवारी (वाराणसी), गया प्रसाद मेहरोत्रा (सीतापुर), बाबूराम शुक्ला (कानपुर), वीरेन्द्रपति यादव (मैनपुरी), ईशदत्त यादव (आजमगढ़), चन्द्रभूषण सिंह (उन्नाव), बाबू सिंह (अलीगढ़), राजेशकुमार (आगरा), जनार्दन प्रसाद ओझा (गोरखपुर), सोहनलाल लाट (रामपुर), अशोक बाजपेयी (हरदोई), सुदामा प्रसाद गोस्वामी (ललितपुर), मकबूल हुसैन (सुल्तानपुर), गौरीशंकर (इटावा), सखावत हुसैन (गाजियाबाद), बलवीर सिंह (मैनपुरी), बांकेलाल (देवरिया,) व श्रीमती शशि प्रभा (प्रतापगढ़)।

अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति

सर्वश्री हरीसिंह (मेरठ), श्रीमती रामरति देवी (फैजाबाद), सर्वश्री जयराम (गाजीपुर), रामदयाल (मेरठ), जगन्नाथ प्रसाद (खीरी), गुलाब सेहरा (आगरा), नाथूराम शिक्षक (इलाहाबाद), श्रीनारायण (देवरिया), रामप्यारे तिवारी (वाराणसी), नन्दराम (मुजफ्फरनगर), मोतीलाल देहलवी (कानपुर), सुन्दरलाल (उन्नाव), शिवमंगल सिंह (बलिया), त्रिलोकचन्द्र (बुलन्दशहर), कन्हैयालाल सोनकर (इलाहाबाद) ख्यालीराम शास्त्री (मुरादाबाद), गंगाप्रसाद (एटा), रवीन्द्रनाथ तिवारी (फैजाबाद), मैनेजर सिंह (बलिया), विजयराज (बुलन्दशहर), गनेशीलाल चौधरी (सीतापुर)।

समाज कल्याण, स्थायी समिति

श्रीमती कुदसिया बेगम (हरदोई), सर्वश्री रामसजीवन, (बांदा), पूरनलाल (हरदोई), कमलाप्रसाद सिंह (जौनपुर), लीलवत सिंह (मुरादाबाद), सूरज प्रसाद (शाहजहांपुर) शिव प्रसाद (आजमगढ़), बशीर अहमद (मुजफ्फरनगर), धरमराम (गाजीपुर), संगम लाल (प्रतापगढ़), बुद्ध (आजमगढ़), रफीउल्लाह (बलिया), अवधेशनारायण (गाजीपुर), उदयनारायण सिंह (वाराणसी), बल्देव (वाराणसी), छोटेलाल (जौनपुर)।

लखनऊ विश्वविद्यालय की सभा

सर्वश्री—देवकुमार यादव (बांदा), बिहारीलाल हंस (हरदोई), मोहम्मद शमीम अन्सारी (बाराबंकी), रवीन्द्र सिंह (गोरखपुर), तथा राजमंगल पांडेय (देवरिया)।

[सचिव, विधान सभा]

मेरठ विश्वविद्यालय की सेभा

श्रीमती सुनीता चौहान (रायबरेली), सर्वश्री—सुमेरचन्द (सहारनपुर), नारायण सिंह (मुजफ्फरनगर), राजेन्द्र चौधरी (गाजियाबाद), मूलचन्द (मुजफ्फरनगर)।

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड जिसमें एक महिला भी होगी

श्रीमती सुनीता चौहान, (रायबरेली)
श्री विश्वनाथ पांडेय (बस्ती) तथा
श्रीमती शशि प्रभा (प्रतापगढ़)।

राज्य निराश्रित सहायता समिति जिसमें कम से कम एक महिला सदस्य भी होगी

श्री धर्म दत्त वैद्य (बरेली)
डा० बंगाली सिंह (अलीगढ़), तथा
श्रीमती शारदा देवी (गोरखपुर)।

इस प्रकार लोक लेखा समिति, 28 स्थायी समितियों एवं

(1) चेन्द्र शे खर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड
(2) नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड,
(3) इलाहाबाद विश्वद्यालय की सभा,
(4) आगरा विश्वविद्यालय की सभा,
(5) उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
(6) कानपुर विश्वविद्यालय की सभा,
(7) काशी विद्यापीठ की सभा,
(8) गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा,
(9) अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी,
(10) रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट,
(11) गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्त नगर, जिला नैनीताल के प्रबन्ध बोर्ड,
(12) राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड,
(13) माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

मैं चूंकि, अभ्यर्थियों की संख्या उनमें निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक है, अतः इसके निर्वाचन हेतु मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 22 मार्च, 1978 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 5 बजे तक कमरा नं० 48, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधियों का संशोधन विधेयक, 1978†

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश जमीन्दारी–विनाश विधियों का संशोधन विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश विधियों का संशोधन विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

†दिनांक 20 मार्च, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री शारदा भक्त सिंह---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधियों का संशोधन विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 †

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)---

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शारदा भक्त सिंह---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुन:स्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

आज श्री श्यामधर मिश्र ने कार्य स्थगन की सूचना दी है---विषय है दिनांक 18 मार्च, 1978 को छात्रों के आपसी विद्वेश के कारण गोरखपुर विश्वविद्यालय के हीरापुरी क्षेत्र में हाथ बम-गोलियों के चलाये जाने से कई व्यक्तियों का घायल होना ।

दूसरा---श्री राम आसरे वर्मा, श्री सुन्दर लाल दीक्षित, श्री ब्रज वल्लभ सिंह का है जो दिनांक 4 मार्च, 1978 को बस्ती शहर के कटेश्वर पार्क के आयोजित शोषित समाज दल के सम्मेलन में लगे तम्बू में पेट्रोल से आग लगाना तथा पुलिस द्वारा दर्शकों पर लाठी चार्ज करने से सम्बन्धित है ।

तीसरा---श्री सुन्दर लाल दीक्षित, श्री राम आसरे वर्मा का है जिसमें दिनांक 10 मार्च, 1978 को बाराबंकी जिले में छात्रों के भारी समुदाय पर पुलिस द्वारा लाठी चार्च तथा एक छात्र की मृत्यु की बात उठायी गई है ।

काम रोको प्रस्ताव के बारे में . . .

(व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

इसके पहले कि आप कहें, हम लोगों को सुन लें ।

श्री अध्यक्ष---

श्री श्यामधर जी, आप स्वयं सुन लें अधिष्ठाता मण्डल में हैं, आप जानते हैं, राज्यपाल महामहिम के अभिभाषण पर चर्चा के समय अवसर. . . .

(व्यवधान)

---

†दिनांक 20 मार्च, 1978 को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री श्यामधर मिश्र---

उसी को सुन लें आप . . .

श्री अध्यक्ष---

उप पर मत व्यक्त करने का पूरा अवसर मिलेगा। जब गर्वनर के अभिभाषण पर बहस हो रही हो तो कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं पेश किया जा सकता है। इसलिये मैं इसमें किसी प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्री श्यामधर मिश्र---

श्रीमन्, मैं क्या कहना चाहता हूं, यह तो मैं समझता हूं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय और बजट के समय आपका उत्तर यह होगा ही, लेकिन आप यह देखें कि 10 मिनट में कितना विषय हम कहें, 10 मिनट में हम कोई भी बात कह नहीं सकते।

(व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय हो जाने के बाद भी ये बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

जिस तरह से आप बोल रहे हैं उसी तरह से वह बोल रहे हैं।

1977-78 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष---

आज अनुपूरक बजट पर जो सामान्य चर्चा चलेगी उसके समय को मैं 4 बजे तक निर्धारित करता हूं ठीक 4 बजे से इस पर मतदान होगा।

अब वित्तीय वर्ष 1977-78 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान शुरू होगा। यह पेश हो गया है, (वित्त मंत्री जी से) उत्तर आप बाद में दे दीजियेगा।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, यह अनुपूरक अनुदान जो आज सदन के सामने है, सम्भवतः इस समय पूरे बजट के अनुदानों की बात होनी चाहिये। अगर यह सरकार इस सत्र को फरवरी में बुलाये होती तो आज हम अनुदानों के संबंध में चर्चा करते होते अगले साल के। अभी हम 77-78 के अनुपूरक अनुदानों के संबंध में चर्चा करने के लिये खड़े हुये हैं। यह खेद का विषय है कि जबकि पूरे बजट का समय होना चाहिये था उस समय 370 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान लाकर के प्रस्तुत कर दिया गया है। हमने इसको पढ़ने की कोशिश की है। इसमें से केवल 80 करोड़ रुपये के लगभग सही मांगें हैं। बाकी 270 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक का ओवर ड्राफ्ट है। इसमें बहुत सी मदें ऐसी आयीं हैं जो नहीं आनी चाहिये थीं। अगर बजट ठीक से बना होता। बहुत दिनों के बाद हम इस बजट सेशन में मिल रहे हैं। आश्चर्य की बात नहीं होगी कि इस बजट सेशन के बाद हम दूसरे बजट सेशन में मिलें।

श्री अध्यक्ष---

आपको फिर मिलने का मौका मिलेगा।

श्री श्यामधर मिश्र---

जनता पार्टी के जो माननीय सदस्य हैं उनकी मांगें अखबार में आती रहती थीं कि क्यों यह सदन नहीं बुलाया जाता है। अखबारों में ही जवाब आते थे कि केन्द्र का जो अनुदान है वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तय नहीं हो पाया है। यह चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आती है जो ऐस्टीमेंट आते हैं व्यय के या आमदनी के यह किसी रूप में आ सकते थे। श्रीमन्, हम लोगों को खेद इस बात का है कि सरकार को जो काम समय से करना चाहिये वह नहीं किया है। आज आप देखें कि स्वदेशी काटन मिल की क्या हालत है ?

एक सदस्य--

चल रहा है।

श्री श्यामधर मिश्र--

चल रहा है, मैं जानता हूं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। श्रीमन्, वहां विवाद हुआ, गोलीकांड हुआ। वहां पर मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हुई। हम लोगों की मांग थी (उस समय तो अखबारों के जरिये ही मांग कर सकते थे) कि जुडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए। लेकिन जुडीशियल इन्क्वायरी तक नहीं हुई। आज कानपुर में विवाद निपटाने की के लिये जो औद्योगिक न्यायालय हैं उनको देखें तो जितने वह होने चाहिए वह उतने नहीं हैं बल्कि कम हैं। मैं समझता था कि सेक्शन स्ट्रेन्थ जो है उसकी पूर्ति होगी तथा और भी पूर्ति के लिये कम से कम अनुपूरक अनुदानों में यह बात लाई जायगी लेकिन वह बात यहां नहीं लायी गयी है। उसका नतीजा है कि हजारों मामले श्रमिक विवाद के कानपुर में पड़े हैं।

मान्यवर, इसी तरह से चिकित्सा के सम्बन्ध में मांगें हुई हैं। मेरा अनुदानों के सम्बन्ध में एक मत है। मैं एक छोटी हैसियत से सदस्य होने के नाते केन्द्र और यहां बराबर कहता रहा हूं कि अनुपूरक अनुदानों के माने महत्वपूर्ण तभी होंगे जबकि बजट में जो माननीय सदस्य उधर और इधर के जो कहते हैं उनको पढ़कर, समझकर सरकार निर्णय करके अपने हैसियत के मुताबिक उनको अनुपूरक अनुदानों में ले आये। मुझे लगता है कि इस सरकार को जो बजट पर माननीय सदस्यों के जो यहां भाषण हुए उनको पढ़ने की फुर्सत 5 महीनों में नहीं मिली। यदि मिली तो पढ़ा नहीं। पता नहीं अधिकारियों ने नोट बनाकर दिया है कि नहीं। लेकिन उसके अनुसार इसमें कुछ नहीं हुआ है। एक-दो चीजें हुई हैं लेकिन वह देर से हुई हैं। तो मान्यवर, चिकित्सा के सम्बन्ध में मंत्री जी ने यहां कहा था कि हम एक मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में बहुत बड़ी बनाने जा रहे हैं। तब हमको आशा हुई थी कि इस साल अनुपूरक अनुदान में कम से कम प्रतीक रूप से 100 रु0 के लिये कहेंगे। लेकिन हमको इसमें कहीं नहीं मिला कि कम से कम आपने 100 रु0 प्रतीक रूप में मांगा हो। यदि वह मांगा होता तो हमको संतोष होता कि आपने जो नीति घोषित की है इस सदन के सामने उसको कार्यान्वित करने जा रहे हैं।

मान्यवर, ऐसी ही एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि हमारे वाराणसी जिले में एक स्थान गोपीगंज है जिसके लिये एक लाख रुपया टाउन एरिया ने दान दिया और 50 हजार रु0 कैश में एक व्यक्ति ने दान दिया--इस शर्त पर कि मार्च, 1978 तक वहां एक महिला अस्पताल बन जायेगा और यदि नहीं बना तो हम अपना रुपया वापस ले लेंगे। इस प्रकार एक लाख रु0 बह जा रहा है और 50 हजार रुपया वह जा रहा है क्योंकि आप यहां प्रतीक रूप से नहीं लाये कि हम अस्पताल बनवाने जा रहे हैं। अभी यहां से कोई मंत्री वहां गये थे और कहकर आये थे कि उस पर शीघ्र ही काम शुरू होगा लेकिन दो महीने हो गये कुछ नहीं हुआ। तब वहां के एक जनता पार्टी के सदस्य ने भूख हड़ताल शुरू की तो आपने फिर आश्वासन दिया है। लेकिन उसका अनुपूरक अनुदान में कहीं जिक्र नहीं किया है। इसलिये जो आप यहां कहें और जो बाहर कहें उसको या तो लिखित कर दें और जो घोषित करें उसका रेकार्ड कर दें कि वह चीज बजट में आ जानी चाहिये। यह गल्तियां पहले भी हुई और वही गल्तियां अब भी हो रही हैं। यह ठीक नहीं है। आप वे गल्तियां न करें। यह गल्तियां आपने की हैं। आप सी0 एम0 ओ0, बनारस से पूछ लें। पचास हजार रुपया वापस हो रहा है या नहीं। फिर गन्ना और गुड़

[श्री श्यामधर मिश्र]

की बात है। यहां बार-बार विवाद होता है। गुड़ आप खरीद रहे हैं लेकिन किस भाव पर। बाजार भाव पर खरीद रहे हैं। बाजार भाव पर तो खरीद कर बनिया भी रख सकता है। आपको चाहिए था कि यह मिनीमम प्राइस होगी नौ या दस रुपया मन। आप मार्केट प्राइस पर खरीद रहे हैं यह ठीक नहीं है। उसी तरह से मिलों में चीनी पड़ी हुई है। हम मिल वालों को रोज कोसते हैं कि वह पैसा नहीं देते। कुछ जिम्मेदारी उनकी भी है लेकिन उनकी जिम्मेदारी इसलिए कम हो जाती है कि उनका स्टाक रुका हुआ पड़ा है। आप क्यों नहीं खरीदते क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार चीनी का बफर स्टाक बनाती? एक लाख दो लाख बोरा खरीद कर रख लें। आप यह नहीं कर रहे हैं।

उद्योग के सम्बन्ध में आपने कहा है कि यह करेंगे वह करेंगे। आपने ऐलान किया कि छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे। लेकिन आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। विकेन्द्रीकरण की बात ठीक लगती है लेकिन आप समझते हैं कि खेतों और उद्योग दो अलग चीजें हैं। अलग चीजें नहीं हैं। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं---चित्त और पट्ट। दोनों को एक साथ रखें। अगर टायर नहीं बनेगा, ट्रैक्टर नहीं बनेगा तो खेती नहीं बढ़ेगी। बड़े और छोटे उद्योग दोनों ही जरूरी हैं। यहां उस एरिया से आपके जनता के दो विधायक हैं और तीसरा विधायक सौभाग्य से मैं हूं। इसलिए कह रहा हूं कि गलतफहमी न हो कि वहां से मैं अकेला ही हूं। ज्ञानपुर तहसील में कालीन का बहुत काम होता है। 65 करोड़ का वहां से निर्यात होता है। लेकिन वहां सड़कों की व्यवस्था नहीं है और न इसमें ही आपने कुछ रखा है। आपको कहना चाहिए था कि उसको औद्योगिक जिला बनायेंगे और हमारी यह मांग भी है। राबर्ट्सगंज को एक जिला बनायें। कांग्रेस ने गलती की नहीं बनाया लेकिन आप उस गलती को न दोहरायें। मिर्जापुर से राबर्टसगंज बहुत दूरी पर है। राबर्ट्सगंज अलग जिला होना चाहिए। आपने अपनी जनता पार्टी के मैनीफेस्टो में कहा है कि विकेन्द्रित व्यवस्था को तो कम-से कम साल बीता और अब 1978 में प्रवेश कर रहे हैं तो इस साल तो जांच करा लेते कि कहां कहां क्या क्या करेंगे। राबर्ट्सगंज में कर रहे थे। जैसे गाजियाबादा में किया--ठीक किया। वैसे राबर्टसगंज जिला जरूरी है। वैसे ही ज्ञानपुर जिला भी जरूर बनना चाहिये---वह जरूरी है।

खुशी की बात है कि शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं। इनके सामने भी एक बात रखना चाहता हूं। मैंने अनुपूरक अनुदानों को बड़ी गहरी निगाहों से देखा लेकिन एक शब्द भी नहीं मिला। बात क्या है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, मैं नियम 195 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें लिखा हुआ है कि अनुदानों पर चर्चा उन्हीं मदों पर सीमित होगी जिनका उल्लेख सप्लीमेंट्री बजट में हो। माननीय सदस्य जो जिलों के बारे में बात कहना चाहते हैं। वह किस मद की बात है?

श्री श्यामधर मिश्र---

मेरा तर्क है कि वह होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

माननीय राजेन्द्र कुमार जी का आब्जेक्शन ठीक है क्योंकि यह जनरल बजट नहीं है। अनुपूरक में जो मदें दी गयी हैं, आप उन्हीं पर समालोचना कर सकते हैं अगर पैसा कम रखा है, तो ज्यादा रखने की बात कर सकते हैं। या ज्यादा है तो कम की बात कर सकते हैं। इसलिये नियम 195 के अनुसार कृपया उन्हीं मदों पर चर्चा करें।

श्री श्याम धर मिश्र---

मान्यवर, कभी तो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं और कभी रोक भी देते हैं। खैर, मैं शिक्षा पर बोल रहा था। शिक्षा विभाग की चीजों को मैंने देखा। युनिवर्सिटी के

लिये आपने मांगा है 100 रुपया, उसके लिये मांगा है 100 रुपया अलग-अलग जाऊंगा तो समय बहुत लग जायेगा, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष---

आपको 25 मिनट में समाप्त करना है ।

श्री श्यामधर मिश्र---

मान्यवर, आपकी लाल बत्ती का मुझे बड़ा ध्यान रहता है, मान्यवर, लाल बत्ती जल जाती है तो जैसे शाक सी लग जाती है ।

श्री अध्यक्ष---

लेकिन अब तो आप उसके आदी हो गये हैं ।

श्री श्याम धर मिश्र---

मैं कह रहा था कि शिक्षा मंत्री जी जानते हैं कि ज्ञानपुर में हड़ताल चल रही है । युवा जनता के लोग भूख हड़ताल नहीं आमरण अनशन कर रहे हैं और इन्हीं के लोग जाकर आश्वासन दे आये कि रुरल युनिवर्सिटी की बात रहीं तो कुछ करेंगे–आप हड़ताल तोड़ें लेकिन उसका कोई जिक्र इसमें नहीं आया ।

श्रीमन्, सतर्कता विभाग को मजबूत करने के संबंध में यहां बात आयी है । मैं तो उसका पोषक हूं । उसको मजबूत करना चाहिए । लेकिन साथ में ही, यह भी कहना चाहता हूं कि आपका सतर्कता विभाग बिल्कुल सतर्क नहीं है । या तो इसका काम सतर्क हो, या इसका नाम वापस लें । यह सतर्कता विभाग भ्रष्टाचार में, जोकि कचहरियों में, पुलिस में और जगह-जगह हो रहा है, यह क्यों नहीं सतर्क होता, क्यों नहीं उनमें घुसता ?

एक सदस्य---

वह तो असेम्बली में भी हो रहा है ।

श्री श्यामधर मिश्र---

हम असेम्बली का नहीं जानते । अगर असेम्बली में कोई भ्रष्टाचार हो, तो आप उसको अपने भाषण में कहियेगा । मान्यवर, यह भ्रष्टाचार कचेहरियों में हो रहा है और शिक्षा विभाग में भी हो रहा है । सतर्कता विभाग वाले कहते हैं कि अर्जी पकड़ाइय तो कार्यवाही करें । अगर अर्जी पकड़वायें तो हम खुद ही पकड़ लिये जायेंगे ।

वह काम दे चुका । तीस साल पुरानी जो गलतियां हैं आप उसकी पैदावर हैं । आप हमारे बुरे कुल की अच्छी पैदावर हैं । हमारी अच्छे कुल की अच्छी पैदावार हैं । इधर बैठने वाले आप के पूर्वज हैं. . . .

एक सदस्य---

ये विधान सभा के अन्दर आर्शीवाद देने के लिए आये हैं या ये अपनी बात करने आये हैं, आर्शीवाद देने नहीं आये है ।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिए । कोई व्यवस्था नहीं है । आप अपनी बात कह लीजिये ।

श्री श्याम धर मिश्र---

आशीर्वाद इनको चाहिए, आशीर्वाद इनको मिला हुआ है । आप न भी चाहें तो भी देने के लिये तैयार हैं ।

एक सदस्य---

काशी और प्रयाग के बीच के हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र—

प्रयाग वाले तो हमारे सामने बैठते हैं। श्रीमन्, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। श्रीमन्, सूचना अधिकारियों के संबंध में मांग की गयी है कि बढ़ा दी जाय संख्या। अब गरीबों को सही-सही सूचना दी जाय इस प्रदेश की योजनाओं के संबंध में तो बढ़ा दी जाय, लेकिन सूचना अधिकारी इसलिए बढ़ा दिये जांय कि एक-एक मंत्री के साथ एक-एक सूचना सम्पर्क अधिकारी होगा और इनके वक्तव्य को प्रकाशित करेंगे। मैं यह कहता हूं कि सूचना अधिकारी मंत्रियों के साथ नहीं रहने चाहिए आपके सूचना अधिकारी मंत्रालय में रहने चाहिए। यदि सूचना चाहिए तो जनता को चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्या कमियां है। आपके सम्पर्क की तो दुनियां लालायित हैं। आपको सम्पर्क की परेशानी है तो जन सम्पर्क अधिकारियों को पूल करें। पांच जन सम्पर्क अधिकारी तमाम तीस-पैंतीस मिनिस्टरों की सूचना दे सकते हैं। इसके लिये आप उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। आपके जन-सम्पर्क अधिकारी तो यहां है चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक लोग हैं। कलेक्टर से लेकर पटवारी तक आप के जनसम्पर्क अधिकारी हैं। मैं समझता हूं कि यह चीज अनावश्यक है। सूचना अधिकारी जन साधारण के लिये है। आप उनको पूल में रखें। जन साधारण के हित को ध्यान में रखें।

(लाल बत्ती जलने पर)

एक सदस्य—

बत्ती देख लीजिए।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैंने देख ली है। धन्यवाद, मेरी आंख नहीं बने आप। धन्यवाद। श्रीमन्, यहां कुछ मांग की गयी है उस पर कुछ कहना चाहूंगा। राज्यपाल के लिये फियेट कार चाहिए। ठीक है महामहिम हैं। मैं तो सोचता हूं.... ।

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में तो कोई चर्चा आप नहीं कर सकते।

श्री श्याम धर मिश्र—

मैं पालिसी की बात कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके मैनिफेस्टों में आपने बार-बार जनता के सामने कहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की पहले तो आवश्यकता नहीं है वहां के चीफ जस्टिस हैं वह कर लेंगे....

स्वायत्त शासन मंत्री—(श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

यह कहां हैं मेनिफैस्टों में, आपने पढ़ा ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

श्यामधर जी, आप विषयान्तर हो रहे हैं। राज्यपाल या राष्ट्रपति के संबंध में चर्चा नहीं हो सकती।

श्री श्यामधर मिश्र—

लेकिन सिस्टम के बारे म..।

श्री अध्यक्ष—

इस पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री श्यामधर मिश्र—

अन्तिम बात कहता हूं। सेन्ट्रल हाल बना रहे हैं। आप की मांग 56,000 है और मैं समझता हूं कि इसमें कैसे सेन्ट्रल हाल बनेगा यहां?

सेन्ट्रल हाल का आइडिया मुझे लगता है कि केन्द्र के सेन्ट्रल हाल से आया है मैं भी इसका पोषक हूं मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य और प्रेस के लोग आदि उसमें बैठें और आपस में विचार-विमर्श करें। जब यह 57 हजार का होगा तो कितना बड़ा होगा। इसके लिये तो 5 लाख 57 हजार होना चाहिए था। मान सिंह जी तो समझ ही नहीं रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं ?

श्री अध्यक्ष--

आप मान सिंह जी को समझाने की कोशिश भी न कीजिये।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं तो बात कह सकता हूं, बुद्धि कहां से दे सकता हूं। मान्यवर, मुझे आपकी लाल बत्ती से बड़ा डर लगता है इसलिये इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर बैठ रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं . . .

श्री अध्यक्ष--

सभी सदस्यों के लिये 10 मिनट और मंत्रियों तथा नेताओं के लिये 25–25 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं श्यामधर मिश्र जी का भाषण बड़े गौर से सुन रहा था और मैंने यह उम्मीद की थी कि वे सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं और साथ ही साथ यह भी मैंने आशा की थी कि उन्होंने अनुपूरक अनुदानों को पढ़ा होगा। लेकिन उनके भाषण से ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने इन अनुदानों का ध्यान से नहीं पढ़ा। अगर उन्होंने पढ़ा होता तो जो बातें उन्होंने कहीं उससे भिन्न ही उनका भाषण रहा होता। यह बात सही है। जैसाकि वे चिकित्सा से सम्बन्धित अनुदानों के बारे में बात कह रहे थे। उन्होंने दो-तीन बातें बतायीं। इस चिकित्सा के अनुपूरक अनुदान में चिकित्सा मंत्री जी नें डाक्टरों को निजी प्रैक्टिस समाप्त करने, सेवा निवृत्ति कर्मचारियों को निःशुल्क सेवा करने आदि के बारे मे उल्लेख किया है। यह तारीफ करने योग्य कदम है। यह बात सही है कि यह साढ़े तीन अरब रुपये की अनुपूरक अनुदानों की मांगों है जो पेश की गई हैं। हालांकि अनुपूरक अनुदान कोई बहुत अच्छी बात नहीं है लेकिन जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो अनुपूरक अनुदान पेश किया गया है वह उसकी विशेषता का परिचायक है।

(इस समय 1 बजकर 27 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरेन्द्र पति यादव पीठासीन हुए।)

पिछली बार जब हमने आय-व्ययक प्रस्तुत किया था तो उस समय हमारी सरकार नई थी लेकिन उस समय भी हमारे नेताओं ने और सरकार ने घोषणा की थी कि हम गांवों की ओर बढ़ेंगे, समाज के कमजोर वर्ग के विकास की ओर ध्यान देंगे। यह अनुपूरक अनुदान हमारी इन योजनाओं का ही प्रतिबिम्ब है। हम समाज के कमजोर वर्ग, किसानों और पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिये कृत संकल्प हैं। मैं श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा का भाषण सुन रहा था था। वे डा: 0 अम्बेदकर की बात कह रहे थे। मेरी व्यक्तिगत राय है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जितने भी अवकाश दिये जाते हैं उन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर की उपेक्षा की गई। अच्छा होता यदि उन्होंने अनुपुरक अनुदानों को पढ़ा होता। आगरा में उनकी प्रतिमा की स्थापना के लिये विशेष धन की व्यवस्था सरकार ने की है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

इसके साथ ही साथ उर्दू की उपेक्षा की बात भी कही जाती है। जनता पार्टी की सरकार ने इस अनुपूरक अनुदान में उर्दू के लिये विशेष व्यवस्था की है। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर नव साक्षरों के लिये उर्दू साहित्य की व्यवस्था की गई है। वाचनालयों की व्यवस्था की की गई।। सैय्यद मोहम्मद मिर्जा मौज्जब के शब्द कोष, मीर अनीस व चकवस्त शायरों की यादगार में फैजाबाद में पुस्तकालय और वाचनालय खोले गये हैं। इसके अतिरिक्त मैं कुछ सुझावों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इसमें एक व्यवस्था की गई है सार्वजनिक उद्योग ब्यूरों के लिये एक महानिदेशक का पद सृजन करने के लिये। इस पद का सृजन इसलिये किया गया है कि ब्यूरो आफ पब्लिक इंटर प्राइजेज प्रभावी बने। लेकिन मान्यवर, मात्र इतना करने से ही वह प्रभावी नहीं होगा और मामला ठीक होने वाला नहीं है। मैं इस पद के सृजन के विरुद्ध नहीं हूं क्योंकि वह बहुत बड़ा काम है। करीब 16 सौ करोड़ की पूंजी और ऋण इसमें लगे हुए हैं। 8 सौ करोड़ का बजट है और 45 अंडरटेकिंग है। इतना महत्व का काम है। लेकिन होता क्या है जो फैसला वहां से होकर आता है वह प्रशासनिक सुधार आयोग के पास भेजा जाता है और उनके पास स्वयं इतना काम है कि वह इसको देख नहीं पाते हैं। परिणाम यह होता है कि अंडर-टेकिंग के मामले में निर्णय लेने में विलम्ब होता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इसके लिये एक पूर्णकालिक सचिव दिया जाय। मेरा यह भी सुझाव है कि यह विषय केन्द्र सरकार के वित्त विभाग के अधीन है। अच्छा होता कि हमारी सरकार भी उसे वित्त विभाग के अधीन करती क्योंकि अधिकांश फैसले जो हैं वह वित्त विभाग में ही होते हैं इसलिये इसको वित्त विभाग में कर दिया जाय इससे एफिसेंसी बढ़ेगी।

मान्यवर, हमारी सरकारी नीति है कि हम गांवों की तरफ जायेंगे और हम लोगों ने गांव-गांव जाकर प्रचार किया था कि पंचायत विभाग द्वारा संपर्क मार्गों का निर्माण किया जायगा। जो गलियारे बन्द पड़े हुए हैं उनका निर्माण किया जायगा और उसके लिये शत-प्रतिशत अनुदान दिया जायगा जिससे बेकारी की भी समस्या हल होगी और सम्पर्क मार्गों का निर्माण भी होगा। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि पंचायत निदेशक के यहां से एक परिपत्र दिनांक 10-3-78 को जारी किया गया है जिसकी संख्या 5-5620-78-5 66-77 है जिसमें इस बात की सूचना दी गई है कि केन्द्रीय सरकार ने गेंहूं देने से असमर्थता प्रकट कर दी है इसलिये सभी योजनायें स्थगित कर दी जांय। मान्यवर, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। समय पर इसके लिये केन्द्र सरकार से वार्ता करनी चाहिए और इस प्रकार योजनाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए था। इस संबंध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इसके संबंध में शीघ्र निर्णय लें और उन योजनाओं को पूरा करने के लिये कदम उठायें।

मुझे एक बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने फैसला ले लिया है कि ऐसी योजनाओं के लिये निर्णय ले लिये राज्य स्तर तक आने की आवश्यकता नहीं है बल्कि स्थानीय स्तर पर ही फैसले ले लिये जायेंगे। वास्तव में इससे काम में गति आयेगी। लेकिन इस प्रकार का प्रयास किया जायगा कि जल्दी वहां से इसके लिये गेहूं आये ताकि योजनायें स्थगित न हों।

मैं शिक्षा विभाग की अनुदानों की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बड़े संतोष की बात है कि इसमें अनेक विशेष कामों के लिये व्यवस्था की गई है जैसे बाल भवन योजना जवाहरलाल नेहरू युवा शाखा एवं अन्य अनेक योजनायें जिनके लिये विशेष अनुदान दिया गया है।

मान्यवर, मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान एक बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछली बार इस बात का आश्वासन दिया गया था कि आपात् काल के दौरान जो

शिक्षा संस्थायें प्रभावित हुई हैं विशेष रूप से शिशु मन्दिर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे । जिनको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था और उन पर सरकारी नियंत्रक बैठा दिये गये थे उनकी संपत्ति नष्ट कर दी गई, उनके भवन बदल दिये गये, फर्नीचर हटा दिया गया सभी विद्यालय चौपट कर दिये गये थे । उनके लिये पिछले सत्र में ध्यान आकर्षित किया गया था और शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, मुझे उनका शब्द याद है उन्होंने कहा था कि ऐसी संस्थाओं को पूरी सहायता तो नहीं कर सकेंगे लेकिन उनके लिये जरूर कुछ काम करेंगे जिससे उनके आंसू पोछे जा सकें । उन्होंने कहा था कि मैं उन सब लोगों के बारे में जानना चाहता हूं जो इसमें विशेष कार्य कर रहे हैं । अच्छा होता उनके बारे में ध्यान दिया होता । मुझे यह देखकर निराशा हुई है कि इस अनुपूरक अनुदान में उनकी अपेक्षा की गई है ।

श्री श्यामधर मिश्र––

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है अभी माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने जब मैं बोल रहा था तो ठीक यही किया था और नियम 195 कोट किया था कि जो अनुदान की मांग नहीं की गई है उसके बारे में न बोला जाय और यह स्वयं उस पर बोल गये । यह स्वयं भूल गये, शिशु मन्दिर की कहीं सूचना इसमें है ?

श्री अधिष्ठाता––

मिश्रा जी के मस्तिष्क में कुछ भ्रम मालूम पड़ता है, ऐसी बात नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

अच्छा होता श्यामधर मिश्र जी ने किताब पढ़ ली होती । इसमें साफ लिखा है कि अनुपूरक अनुदानों पर वाद-विवाद केवल उसकी मदों तक ही सीमित रहेगा और जब तक चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिये आवश्यक न हो, मूल अनुदानों पर या उनमें अन्तर्निहित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी । इस पंक्ति के अन्दर माननीय सदस्य इसको स्पष्ट कर सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता––

आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)––

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया । वास्तव में यह अनुपूरक बजट आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पूरा बजट ही आ सकता था । किन्तु शासन ने इतने समय तक सदन ही नहीं बुलाया । पता नहीं इसके पीछे क्या कारण रहा है । मैं उस पर कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा । जब मैं इस अनुपूरक बजट को देखता हूं, तो मैं पाता हूं कि जनता पार्टी की घोषित नीति में जो मितव्ययिता की बात थी कि शासनतन्त्र में कम से कम खर्च करेंगे और आडम्बर या किसी वैभव पर कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे वह बिलकुल भुला दिया गया है । ऐसा लगता है कि मैनिफैस्टो में दी नीतियों का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसके विपरीत जाया जा रहा है । मैं इस बारे में बताऊंगा राज्यपाल के लिये ने 5 गाड़ियों के बाद एक और गाड़ी खरीदने की बात कहीं है, उतना ही नहीं मंत्रिमण्डल के जो स्टेट मिनिस्टर्स है, उनके घरों पर इस बात की व्यवस्था की गई है कि वे डायरेक्ट टेलीफोन कर सकें । और उसके लिये इसमें 1 लाख 94 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है । दूसरे मुख्य मंत्री कोष में 3 लाख रुपये की और व्यवस्था कर दी गई है ।

[श्री गुलाब सेहरा]

मुझे अच्छी तरह मालूम है। कि मुख्य मंत्री कोष से आजतक किन-किन लोगों को पैसा मिला है। उसमें पार्टी बाजी या अपने लोगों को, अपने राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को जो पार्टी का कार्य करता है, उनकी आर्थिक मदद के रूप में इस कोष से सारा रुपया दिया गया है। उन संस्थाओं के नाम बताऊंगा जिनको रुपया दिया गया (व्यवधान)... इसके अलावा डिपार्टमेंट पर डिपार्टमेंट नये नये बनते चले जा रहे हैं। सार्वजिनक उद्योग ब्यूरों के लिये अतिरिक्त पदों की सृजन किया गया है। जो पहले ब्युरोक्रेसी की आलोचना करते थे, वही नये नये विभाग और नये-नये पद बना रहे हैं। विभागों का तांता है। उत्तर प्रदेश सचिवालय में सतर्कता विभाग की व्यवस्था है। सतर्कता. जैसा मेरे एक भाई ने कहा, मेरी समझ से उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। वर्तमान मंत्रिमंडल के 22–22 कैबिनट स्तर के मंत्रियों के लिये 22 जनसम्पर्क अधिकारियों का प्राविधान किया गया है।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

यह पद पहले भी थे।

श्री गुलाब सेहरा—

यह कोई जवाब नहीं है, अब आप तो इसे रोकें, बचत की बड़ी बात करते हैं। ये 500 से 1200 के वेतनक्रम में ये रहेंगे। सचिवालय कन्ट्रोल रूप में 2 मोटर गाड़ियों की और व्यवस्था। गाड़ियों का तो एक तांता लग गया है। कहीं अम्बेसडर है, तो कहीं फियेट और कहीं मोटर सायकिल है। अब एक नई उपहार योजना है। रीजनल कंसल-टेटिव कमेटी है, उसके जो सदस्य यहां आवेंगे, वे राजकीय अतिथि माने जायेंगे और उनकी उपहार भी दिया जायगा। तो बैकों की इस कमेटी की जो उपहार योजना है, उसमें होना यह है कि जो अपने दल के नामिनी हैं उनको इनडायरेक्टली कुछ पैसा शासन की ओर से देने की नीति का इसमें पता चलता है। यह मितव्ययिता की बात है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, इस वक्त पूरे प्रदेश में गन्ना किसान के बीच में त्राहि-त्राहि मची हुई है। आज तीन चार रुपये क्विंटल पर गन्ना बिकने की स्थिति में नहीं है बल्कि गन्ना जलाने की नौबत आ रही है। लेकिन इस बीच में गन्ना आयुक्त के लिये रुपया मांगा गया है करीब दो करोड़ मुझे यह कहना है कि गुड़ की खरीद की बात सरकार ने निश्चित की लेकिन सबसे बड़ा ताज्जुब यह है कि किसानों को कम्पेंसेट करने के लिये जो किसानों का गन्ना नहीं बिक रहा, जिस गन्ने को जलाने की नौबत है कम से कम अनुपूरक बजट में कोई प्राविधान वित्त मंत्री उसके लिये करते तब यह समझा जाता कि यह सरकार किसान हितैषी है। जो गन्ना जलाने की स्थिति में पहुंच गया है केवल आयुक्त बनाने से, इस मंत्रालय के बनने से कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। केवल बातों में अपने को किसान का हितैषी कहते हैं वित्त मंत्री जी व्यवहार में इसको दिखाते, उनको सब्सिडी देते या उनको कम्पेंसेट करने के लिये कोई न कोई योजना लाते। केवल किसान की भलाई करने का नाम लेते हैं, लेकिन क्रियान्वित रूप में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

पुलिस प्रशासन के लिये भी बजट में रुपया रखा गया है। पुलिस की इफीशेंसी बढ़ाने की बात कही गयी है। लेकिन मैं जानता हूं कि शासन पुलिस से क्या काम ले रहा है। प्रजातांत्रिक तरीके से जो जुलूस या प्रदर्शन निकलते हैं उन पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करके, बिना कानून को देखते हुए, जबरदस्ती लोगों को भर भर कर जेल में सीधे या बाहर भेजकर पुलिस से यह काम लिया जाता है (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य शान्ति रखें। माननीय सदस्य अपना भाषण कर रहें हैं। उनको पूरा अधिकार है। कृपा करके दखल न दें।

श्री गुलाब सेहरा––

दूसरी एक सबसे बड़ी बात मैं यह कहता हूं कि असत्य बोलें लेकिन तथ्यों के साथ बोलें। लेकिन तथ्य भी गलत और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना इस सदन को गुमराह करना है। पिछली दफा जो प्रदर्शन हुआ उसके सिलसिले में कहा गया कि 8 सौ व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जबकि जेल से करीब 11 सौ व्यक्ति छूटे। 24 घंटे बन्द रखा गया, न वारन्ट की प्रक्रिया की गयी, या तो लोगों को भरकर जेलों में लखनऊ से पांच, छः मील दूर, डाल दिया गया या लखनऊ से बाहर 10-15 मील दूर जाकर छोड़ दिया गया माननीय मुख्य मंत्री न अपने बयान में कहा कि एक भी महिला घायल नहीं हुई। आज भी तीन महिलायें अस्पताल में भरती हैं, पड़ी हुई हैं। यह सदन को गुमराह करने की बात है। प्रजातांत्रिक ढंग से जो प्रदर्शन होते है, उनमें पर इस तरह से बर्बरता करते है, पिटाई करते हैं और फिर लोकतन्त्र की बात करते है।

एक नयी स्कीम जनता पार्टी ने रखी अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां के उत्पीड़न के सम्बन्ध में वित्तीय सहायता के लिये। इसमें तीन लाख रुपया रखा गया है। आपको याद होगा कि पिछली बार सेन्ट्रल गवर्नमेंट से हरिजनों के उत्पीड़न में मरने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश में 100 से ऊपर घोषित की थी। इस तीन लाख रुपये में 5 हजार, एक हजार, पांच सौ रु0 दिया जायगा। तीन लाख रुपये से कितने लोगों को सहायता देगें ? जो आंकड़े प्रस्तुत किय गये है उनके अनुरूप भी वह रुपये की व्यवस्था नहीं की गयी है। केवल तीन लाख रुपया रखा गया है। अभी तक किसी हरिजन को पांच हजार रुपया प्राप्त नहीं हुआ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं निराश्रित विधवाओं के लिये 20 लाख का प्राविधान किया गया है। 10 लाख पहले थी और अब 20 लाख की गयी है। इस प्रदेश की आबादी 10 करोड़ है और इस 20 लाख रुपये में कितने लोग आ पायगें मैं समझता हूं कि 30 हजार विधवाओं को 60 रु0 मिल पाया। यह रुपया इस काम के लिये काफी थी। कम से कम जितना मिनिस्टरों के कमरों की सजावट का प्राविधान रखा गया है, डाइरेक्ट टेलीफोन का प्राविधान रखा गया है, कारों की खरीद का प्राविधान रखा गया है और नये-नये विभाग खोल कर उनके पदों का सृजन के लिये रखा गया है उसको घटाकर गन्ना किसानों विधवाओं, हरिजनों और अनुसूचित जातियों के लिये बढ़ा दिया जाय तो मैं समझता हूं कि यह जनता पार्टी ने जो नीति का वादा किया था यह उसके अनुकूल होता।

सबसे बड़ी और मुख्य बात यह है कि एक कमेटी परिवार कल्याण की बनायी जा रही है। इसमें 2 चीजें ली गयी है एक तो दाईयों के प्रशिक्षण की योजना जिसमें उनको 10 रुपया रोज मिलेगा और उनको प्रशिक्षण दिया जायेगा। अगर वह प्रसव के पहले स्वास्थ्य केन्द्रों पर सूचना देंगी तो उन्हें 2 रुपया और दिया जायेगा। नहीं देगी तो केवल एक रुपया ही दिया जायगा। आप जानते है कि प्रसव के पहले कौन व्यक्ति जाकर स्वास्थ्य केन्द्र पर लिखवायेगा। लेकिन योजना बना दी गयी। 300 रुपया मन्थली प्रशिक्षण में दाईयों को मिलेगा हम देख रहें है कि स्वास्थ्य रक्षकों की योजना चालू की गयी है। 184 प्राथमिक केन्द्रों पर 15 हजार स्वास्थ्य रक्षक रखें जायेंग जिनको 200 रुपया प्रति मास छात्र-वृत्ति दी जायगी और उसके बाद उनको 50 रुपये का मानदय और 50 रुपये की औषधि दी जावेगी यह ऐसी योजना है कि जनता पार्टी अपने कार्य कर्त्ताओं को इसमें भर्ती कर के अपनी रक्षा जरूर करा लेगी मै स्पष्ट कहूंगा।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)––

यह गलत कह रहे हैं बिलकुल गलत कह रहें है। (शोर) ..

श्री अधिष्ठाता––

मै प्रार्थना करूंगा कि वे कृपया शान्ति रखें और धैर्य से सुनें। जब आप बोलेंगें तो उनको भी शान्ति रखनी पड़ेगी। अगर वह विषय से बाहर जावेंगे तो मैं उनको टोंक दंगा। कृपा कर धैर्य रखिए।

श्री गुलाब सेहरा—

मेरा कहना यह था कि यह योजना एक राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित है। जो उनकी पार्टी के कार्य-कर्ता है उसमें उनका नामांकन होगा और उनको 50 रुपया मानदेय तथा 50 रुपया औषधि के रूप दिया जायगा। इससे स्वास्थ्य की रक्षा नहीं होगी लेकिन आपकी पार्टी की रक्षा जरूर होगी।

मेरा दूसरा कहना यह है कि यह जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है इसमें कोई विशेष बात का प्राविधान नहीं किया गया है। किसानों, गरीबों और मजदूरों और सर्वहारा के लिये इसमें कोई प्राविधान नहीं किया है प्रशासनिक सेवाओं में वृद्धि की गयी, नये विभाग खोले गये लेकिन गरीबों के लिये कुछ नहीं किया गया है।

मान्यवर, पहाड़ी क्षेत्र में गांवों में पेय जल योजना के लिये केन्द्रीय सरकार ने 3 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी थी लेकिन अनुपूरक बजट को देखने से विदित होता है कि 77 लाख रुपये की धनराशि राज्य सरकार को केवल अवमुक्त कर दी। मान्यवर, 'केवल' शब्द पर गौर कीजिये। केन्द्र और इस प्रदेश दोनों जगहों पर जनता पार्टी की सरकार है लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में जहां पर लोगों को 2–2 और 3–3 मील जाने पर पानी मिल पाता है, जहां पर पानी की मुख्य और इतनी तीव्र समस्या है और जिसके लिये केन्द्रीय सरकार ने 3 करोड़ मंजूर किया लेकिन केवल 78 लाख के लगभग ही इस योजना को मिले और घटे। पहले इसमें 5 करोड़ रुपये का प्राविधान था लेकिन वह 3 करोड़ रुपये पर आ गये लेकिन उसके बाद यह शासन इतना सक्षम नहीं थी कि 3 करोड़ रुपये को ला पाता कम से कम जल पेय योजना को तो पूरे जोश से चलाती ताकि पहाड़ी क्षेत्र में तो पेय जल की समस्या हल हो जाती।

इसके अतिरिक्त इस अनुपूरक बजट में, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये अंशकालीन पढ़ाई के बारे में जो राशि रखी गयी है, लेकिन प्रतिदिन ऐसे छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन जिस अनुपात से संख्या बढ़ रही है उस अनुपात में धनराशि का प्राविधान नहीं किया गया है। मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि इस अनुपूरक बजट की आवश्यकता ही नहीं और अगर लाय जाना आवश्यक ही थी तो कम से कम जितनी बात जनता पार्टी, को ओर से सार्वजनिक रूप में कही गयी थी, उन पर तो अमल करते, उन चीजों पर कुछ करते।

सबसे बड़ी दुःख की बात यह है कि हालांकि इतना उधम मच रहा है जो गन्ना किसान मरने की नौबत में हैं, उसके लिये इसमें कोई प्राविधान नहीं किया गया है। यह इस बात को साबित करता है कि केवल चुनाव के स्टेन्ट के रूप में किसानों की भलाई की बात करते थे जबकि आज उनमें इतना तीव्र असंतोष छाया हुआ है। आज पश्चिमी और पूर्वी यू० पी० में किसान सब जगह गन्ने को जलाने की स्थिति पर पहुंच गया है। मैं अवश्य ही इस पर कटौती का प्रस्ताव पेश करता परन्तु मैं उस वक्त जेल में था। मेरी प्रार्थना है कि आज जो रूपया वैभव और साज सज्जाओं पर खर्च किया जा रहा है उसको बचाकर गरीब किसानों को, सर्वहारा लोगों को दिया जाय।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात का समर्थन करता हूं।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो आज अनुपूरक अनुदानों की मांग प्रस्तुत की है, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं वित्त मंत्री जी को तथा सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आगरा मंडल के अन्दर सभी जिलों में कुछ सड़कों को, जो बीच में रूक गयी थीं, उनको पूरा करने के लिए इन अनुपूरक मांगों में उन्होंने व्यवस्था करवाई और कुछ सड़कें बनायी गयीं और आगरा जिले के आवश्यक मागों की व्यवस्था की। साथ ही आगरा जिले

में फिरोजाबाद नगर बहुत महत्वपूर्ण नगर है और वह फिरोजाबाद तहसील फतिहाबाद से जुड़ी हुई है। परन्तु जमुना बीच में होने के कारण आवागमन रूका हुआ है। तो फिरोजाबद और फतिहाबाद के बीच में जमुना नदी पर पुल बनाने की जो व्यवस्था की है उसके लिए भी वित्त मंत्री और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

हमारी सरकार का कृषि की ओर जो ध्यान गया हैं वह वास्तव में अपने आप में प्रशंसनीय कार्य है। इस बार खाद का मूल्य कम करने से, नहरों मे पानी की पूर्ति से फसल बढ़ेगी। मैं आशा करता हूं कि अच्छी फसल की अच्छी कीमत देने का भी सरकार प्रयत्न करेगी और सरसों तथा गेहूं की खरीद प्रारम्भ से ही करने लगेगी ताकि अधिक परेशानी न हो। इस संबंध में केन्द्र द्वारा जो पूर्व निर्धारित उर्वरक एवं कीट नाशक प्रयोगशाला की योजना बनी है उसको कार्यरूप में परिणत किया जा रहा है ताकि कीट-नाशकों में जो मिलावट हो जाती हैं उसको रोका जाय। यह भी प्रशंसनीय कदम होगा, इसकी व्यवस्था की गयी है। हालांकि मैं कृषि का आदमी नहीं रहा, मैं तब पढ़ाता था अंग्रेजी, लेकिन संबंधित एक ऐसे विद्यालय से था जिसका कृषि में प्रदेश में ही नहीं, देश में भी नाम है। वहां उन्नत बीज के आ जाने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी कि जब कभी भी रोग लगते थे, गिराड़ लगी, कमल-कीट लगा तो उनको रोकना बहुत मुश्किल पड़ जाता था। किसान की बहुत अच्छी फसल बरबाद हो जाती थी। इस बार सरसों की फसल तो सफेद गिराड़ ने और सब्जी के बहुत से पौधों को बरबाद कर दिया है। इस मामले के लिए ताकि कीट नाशक की जांच हो सके, कीट नाशकों में मिलावट न हो सके, इसके लिए जो योजना हैं इसको कार्य रूप में परिणत करन के लिए जो विशेष अनुदान मांगा गया हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही सफेद गिराड़ जो खेती को बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं इसको समाप्त करने के लिए जो अनुदान मांगा गया है, वह बहुत ही अच्छा है।

इसके अतिरिक्त मंडी योजना के अन्तर्गत संपर्क मार्ग बनाना निश्चित हुआ था। वह मार्ग तो बन रहे थे लेकिन जिस समय वह बन रहे थे उस समय चिन्ता यह थी कि बन जाने के बाद नालों में बरसात आने पर मिट्टी सब बह जायगी, क्योंकि पक्की सड़क बरसात के बाद बन सकेगी मिट्टी अभी पड़ जायगी। तो इसके लिए पुलियां बनाने के लिए व्यवस्था कर दी गयी है, इससे मंडल योजना के अन्तर्गत हर मंडी क्षेत्र में लगभग 12 किलोमीटर सड़क के लिए जो मिट्टी पड़ी है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान एक प्रकार से बच जायगा। एक दुःख अवश्य है कि जो शिक्षा के लिए अनुदान मांगा गया है, मैं नहीं समझता कि वह काफी है, क्योंकि जनता ने अपने घोषणा-पत्र में और पिछले बजट सत्र में भी इस सदन में बार बार सवाल उठाया था कि प्रायमरी शिक्षा को अनिवार्य करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। हमारी सरकार यह कहती भी है, कभी 5 साल की बात करती है, कभी 10 साल की बात करती है कि उसमें प्राइमरी शिक्षा को हम अनिवार्य कर देंगे। इसमें स्कूल खोलने की भी घोषणा की गयी है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने स्कूल खोले गये हैं आगरा जिले में, आगरा जिले के लिये 65 प्राथमिक स्कूल खोलने का प्राविधान किया गया था, पर अभी तक एक भी पाठशाला नहीं खोली गयी है। 33 हजार बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या थी जिसमें से 10 हजार को रख लिया जायेगा, यह घोषणा की गयी थी, पर मुझे दुख है कि आगरा जिले में एक भी प्रशिक्षित बी0 टी0 सी अध्यापक नहीं नियुक्त किया गया है।

हर जिले में कई हजार प्राइमरी स्कूल होते है। उत्तर प्रदेश में 72 हजार प्राथमिक पाठशालायें है। डिप्टी डायरेक्टर, इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के पास तो आपने जीप गाड़ियों के देने का प्राविधान किया है, उनको तो आप देते है, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी को आप जीप नहीं देते जब कि उसी को निरीक्षण का सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। आपने केवल गाजीपुर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिये ही एक जीप गाड़ी की व्यवस्था की। हमारे शिक्षा मंत्री जी भी गाजीपुर जिले के ही हैं, यह बहुत अच्छी बात है कि आपने वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी को जीप दी है, पर वही जिला उनका जिला नहीं है, प्रदेश के अन्य सभी जिले

[श्री श्याम दत्त पालीवाल]

भी उन्हीं के जिले हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी को आप जीप दें क्योंकि उसको कई पाठशालाओं के निरीक्षण का कार्य करना होता है। आप जिला विद्यालय निरीक्षक को दें या न दें, पर बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवश्य दें। प्राइमरी पाठशालाओं में अक्सर देखा गया है कि वहां 50 फीसदी से भी अधिक शिक्षक नहीं आते हैं, जो आते हैं वे भी जल्दी छुट्टी करके चले जाते हैं। इसलिये बेसिक शिक्षा अधिकारी को जीप देने की व्यवस्था की जाय। एक बात के लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं—

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें। आपका समय समाप्त।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

आपने हमारे यहां आगरा में डा० अम्बेदकर साहब की जो मूर्ति लगवाने की व्यवस्था की है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुपूरक अनुदानों का समर्थन करता हूं।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता जी, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे वित्त मंत्री जी ने जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किये है मैं उनके विषय में कुछ कहूंगा। मान्यवर, इन अनुपूरक अनुदानों को देखने से पता चलता है कि फिजूलखर्ची तथा आडम्बरों पर करोड़ों रुपया व्यय किया गया है। कारों का तो एक लम्बा काफिला ही खरीद लिया गया है। चुनाव के वक्त जनता पार्टी ने यह आश्वासन जनता को दिया था कि वह फिजूल खर्ची नहीं करेगी, उसको समाप्त करेगी। मगर आज हम देखते है कि कोठियों की साज-सज्जा, टेलीफोन, फरनीचर आदि पर तमाम खर्चा किया जा रहा है। आज सारे मंत्रिगण कारों से प्रदेश भर का दौरा कर रहे है, रेल में वे सफर नहीं करते। कारों में वे जाते है और उनके साथ उनके जन सम्पर्क अधिकारी व अन्य स्टाफ के लोग भी चलते हैं। एक लम्बा काफिला उनके साथ चला करता है। कोई मंत्रि मंडल का सदस्य, आज तो विधान सभा चल रही है, इससे पहले आप लखनऊ आयें होंगे तो किसी का भी दर्शन नहीं पाये होंगे। ये सब कारों के द्वारा दौरा करते हैं। यह स्पष्ट उदाहरण है इनकी कथनी और करनी के अन्तर का।

मान्यवर, नये-नये पदों का सृजन किया जा रहा है, वह इसलिए कि जो उनके खास आदमी है, जिन्होंने उनको चुनाव में मदद की थी, उनकी उन पदों पर भर्ती कर दी जाय। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जब बजट रखा था, तो उसमें ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के बारे में जिक्र किया था। आज हजारों ऐसे आदमियों को जिनको स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान नहीं, उनको आपने इस प्रदेश की जनता की जान से खिलवाड़ करने के लिए लाइसेंस दे दिया है, 6 महीने की ट्रेनिंग देकर एलोपैथिक पढ़ा देंगे, आयुर्वेदिक पढ़ा देंगे और वे यूनानी पढ़ा देंगे। उसके बाद उसको लाइसेंस दे दिया जायगा। वे देहातों में जाय, ट्रेनिंग कालेज में जो 200रुपये प्रतिमाह आप उसको देंगे। 50रुपये की उसको दवा देंगे। श्रीमन्, 50 रुपये में कौन सी दवा मुहैय्या हो जायगी, जो एक हजार आदमियों को उपलब्ध हो सके। श्रीमन्, मेरा यह निश्चित मत है कि यह कार्य-क्रम की योजना राजनीति से प्रेरित है। इस प्रदेश के अन्दर इस योजना की आड़ में आर० एस० एस० के, जनसंघ के जो हजारों कार्यकर्त्ता हैं, उनको आप इसलिए भर रहे हैं ताकि वे गांव-गांव में जाकर जनता पार्टी का खासतौर से आर० एस० एस० और जनसंघ का प्रचार करें। इसके अलावा श्रीमन्, दाइयों को प्रशिक्षित करने की योजना स्वास्थ्य विभाग ने किया है। अगर स्वास्थ्य मंत्री किसी अस्पताल में चले गये होते, किसी लेबर रूम में चले गये होते, किसी गाइनाकालोजिकल डिपार्टमेंट में चले गये होते और अपनी आंखों से देखती कि कितना एक प्रसव में खर्च

बैठता है तब उन्हें पता चलता कि दो रुपये में रूई, साबुन और ऐंटीसेप्टिक दवाइयां भी श्रीमन् नहीं आ सकती हैं। मान्यवर, कितना बड़ा मजाक ग्रामीण जनता से किया गया है। बड़ा विचित्र मजाक किया गया है। दो रूपये में कौन सी दवाई मिल सकती है ? श्रीमन्, जब कोई जाकर रजिस्टर में नाम लिखवा लेगा, तभी उसको तो दो रूपये में रूई भी नहीं मिल सकेगी। श्रीमन्, इस पर यदि ज्यादा धनराशि का प्राविधान किया गया होता, तब भी कुछ आशा की जा सकती थी, कि कोई दवा आदि मिल सकती है। यह सरकार बार-बार इस बात की घोषणा करती है कि वह किसानों की हिमायती है। ग्रामीण अंचलों में बहुत बड़ा विकास किया जायगा। लेकिन जब काम करने का वक्त आता है, तो जो स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे प्रदेश की, उस पर किस तरह से मजाक किया गया है।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने बड़े जोर-शोर से सरकार को बधाई दिया है। श्रीमन्, यह कितना भ्रामक है। 50 हजार रुपये डा0 भीमराव अम्बेदकर की मूर्ति की स्थापना के लिए व्यवस्था की गयी है। हमारे सम्मानित सदस्य इसका श्रेय स्वयं लेना चाहते ह, जब कि इस मूर्ति के लिए धन की व्यवस्था पिछले कांग्रेस शासन ने की थी। मान्यवर, आगरा मंडल में बहुत सी सड़कों और पुलों के निर्माण के संबंध में हमारे पूर्ववर्ती सदस्यों ने सरकार को धन्यवाद दिया। मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने सम्मानित दोस्तों को कि इन सड़कों और पुलों के निर्माण के लिये मंत्रि मंडल की उप समिति की बैठक जो मथुरा में श्री नारायण दत्त तिवारी जी की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था, इनके निर्माण के लिये।

श्रीमन्, एक बात को और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि नयी सड़कों का जो प्राविधान है वह पूरे प्रदेश में केवल निधोली कलां के अन्दर लिया गया है। आप देखें 3 लाख रु0 का प्राविधान इस अनुपूरक मांग में प्रस्तुत किया गया है और 1978–79 के बजट में 22 लाख रुपये का प्राविधान रखा गया है निधोली कलां क्षे त्र के लिये। श्रीमन्, यह बड़ा भेदभाव है। चूंकि मुख्य मंत्री का वह चुनाव स्थान है, उन्होंने वायदा किया था इसलिये उन्होंने उसको पूरा करने की कोशिश की है। श्रीमन्, अनुपूरक मांगों में आगरा के जूता उद्योग के कर्मचारियों के कल्याण के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, यह अफसोस की बात है। श्रीमन्, पुरानी सरकार ने आगरे में लेदर डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की थी। उसमें जो डायरेक्टर बनाये गये हैं वह जूता उद्योग कर्मचारियों के बहुत बड़े शोषक हैं। हमारे एक एम0 एल0 सी0 हैं। वह 20–30 सालों से जूता उद्योग के कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, उनको उद्योग मंत्री ने वहां का डायरेक्टर बना दिया है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय 2 मिनट और रह गया है।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

श्रीमन्, अच्छा तो यह होता कि जूता उद्योग के किसी कर्मचारी को वहां का डायरेक्टर बनाया जाता ताकि वहां पर उस उद्योग में लगे हुये कर्मचारियों की भलाई होती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो डायरेक्टर बनाये गये हैं वह आर0 एस0 एस0 के हैं। आज चाहे खाद्य परामर्शदात्री समिति की बात हो या और कोई समिति हो वहां आर0 एस0 एस0 और जनसंघ के नुमाइंदे भर्ती किये गये हैं। यह केवल मैं नहीं कहता हूं। जनता पार्टी के सम्मानित सदस्य यह बात कहते हैं। श्रीमन्, यह बड़े अफसोस की बात है जनता पार्टी के लिये और प्रदेश के लिये . . .।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मैं इन शब्दों के साथ अनुरोध करूंगा कि कमजोर वर्गों के लिये ज्यादा से ज्यादा प्राविधान करना चाहिये लेकिन वह न करके बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिये रुपये की व्यवस्था की गयी है। एक बात मैं और कहूंगा । आगरा एक पर्यटन केन्द्र है। करोड़ों रुपये यह कमाकर देता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि विगत शासन काल में 5 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे पर्यटकों के आकर्षण पैदा करने के लिये और सौन्दर्यीकरण के लिये। लेकिन आज कुल 1 लाख रुपये की रकम इस अनपूरक अनुदान में रखी गयी है। श्रीमन्, ताज्जुब तो इस बात का है कि जो सौंदर्यीकरण किया गया था आज इस 9 महीने के शासन काल में आगरा शहर इतना बदनुमा बन गया है कि सड़कों और रास्तों से आदमी निकल नहीं सकता है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें। स्थान ग्रहण करें।

मैं आपके सामने एक बात कह देना चाहता हूं। कभी-कभी आप साहबान की तरफ से निवेदन आता है, लिखकर भी आता है, कभी दृष्टि भी जाती है। लेकिन कभी-कभी देखने में आता है कि जो साहबान बोलना चाहते हैं वह यहां से अनुपस्थित होते हैं। तो आप से मैं अनुरोध करूंगा कि जो सज्जन बोलना चाहते हैं कृपा करके उनको यहां पर बैठना चाहिये।

*श्री मान सिंह आजाद--

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये ख०। ह और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, हमारे सामने बैठे हुये सदस्य ने उस योजना का विरोध किया जो गांवों के लिये है। गांव की बदौलत आज इस हाउस में हम लोग बैठे हैं और बोल रहे हैं। आपने देखा अभी गांव की सड़कों के बारे में भी उन्होंने विरोध किया और वह दवाइयों के बारे में बोल रहे थे। उनको पता नहीं कि गांव के लोग अभी भी वह दवायें जानते हैं जो गांवों के लोगों को आज भी जीवित रखे हुए हैं। इनको इस बात का सिर्फ बुरा लग रहा है कि जो गांव रक्षक की बात कही गयी है। अभी तक गांव सभा का चुनाव नहीं हुआ लेकिन गांव सभा के प्रधानों ने गांव रक्षक को चुना है, ब्लाक प्रमुखों ने चुना है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं और अखबार वाले नोट कर लें कि देश, प्रदेश और भारत में जो कांड इस विधान सभा के अन्दर किया गया और थोड़ा पैसा पाने वाले जो हमारी रक्षा करते हैं उन कर्मचारियों को जिस तरह से मारा गया उसको सब जानते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य हमको सम्बोधित करें उधर बैठने वाले सदस्यों को सम्बोधित न करें। इसके अलावा आप अनुदान के संबंध में कहें और परसों की घटना के संबंध में न कहें।

श्री मान सिंह आजाद--

अधिष्ठाता महोदय, मैं इसलिये यह कह रहा था कि अभी माननीय सदस्य ने कहा था कि लाठी चार्ज करवाया गया था।

मान्यवर, दूसरी बात इन लोगों ने कहा है कि हमारे मंत्रियों के कमरे में सुविधायें बढ़ाई गयी हैं। तो मैं कह देना चाहता हूं कि पहली सरकार ने अपने कमरों में जो फर्नीचर लगवाया था उसको और इस फर्नीचर को देखे तो यह फर्नीचर हमारे गांव के पंचायत के बनवाये हैं।

मान्यवर, आप देखेंगे कि गांव में जो सड़कें बन रही हैं मंडी समिति की ओर से तो उससे जो एक रुपये का 4 किलो गेहूं गांवों में लोग लेते थे तो अब वह नहीं ले पायेंगे और किसान मंडी आकर ठीक दाम में अपना अनाज बेच सकेगा जिससे गरीबी की गरीबी दूर होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

इस प्रकार जो जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम गांवों की ओर चलेंगे तो वह पूरा हो रहा है। यह आज इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि गांव के लोग आगे बढ़ें। इनको मालूम हो जाना चाहिये कि चाहे आजादी की लड़ाई हो या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो जितना गांव के लोग जेलों में गये हैं उतना शहर के नहीं। इसी प्रकार फौज में अधिकतर गांव के लोग हैं। लेकिन गांव के लोगों को शहर के लोग गंवार कहते हैं। इसलिये आज जनता पार्टी के लोग गांधी जी के, डा0 लोहिया के बताये हुये रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री श्री सत्य प्रकाश मालवीय, स्वास्थ्यत्त शासन मंत्री, उद्योग मंत्री और सिंचाई मंत्री आदि ऐसे लोग उसमें विश्वास करते हैं। ऐसे बजट का आप विरोध करते ह और हवाला दिया कि प्रदर्शन नहीं करने देते। मैं कहता हूं कि जनतंत्र में जितने प्रदर्शन हों, जितने सत्याग्रह हों, वह ठीक है। इसीलिये हमारे प्रधान मंत्री ने कहा है कि सत्याग्रह और जन आंदोलन करो। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि हिंसा की तरफ जाओ। यदि मैं झूठ कहता हूं जो अमेठी में सुन्दर डाकू कौन बना था, उसकी बहिन को किसने छेड़ा था। संजय ने छेड़ा था। इसी तरह 17 तारीख को जुलूस जिस रूट से निकलना था वह उस रूट से नहीं गया और शान्ति को भंग किया इस लिये आप अपनी हालत खुद बनाते हैं। गांव में जैसा कहा वैसा बजट में दिया है। शिक्षा के बारे में हमने बजट में दिया है, उसको देखें। लेकिन आपने खाली विरोध करना सीखा है देश सेवा करना नहीं सीखा है। हम आपको मारना भी नहीं चाहते.....

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य कोई कटाक्ष न करें तो अच्छा होगा।

श्री मान सिंह आजाद––

हमने देश के लिये प्रतिज्ञा की है। आप अपनी बात कहें। आप हिंसा के रास्ते पर आये, हमने तो कुछ नहीं किया और न करना चाहते हैं। गांव के लोगों की ओर ध्यान दें। सरकार ने उस ओर जाने की बात कही है। इस बजट में गांव की ओर हम चले हैं। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने मेरे जैसे व्यक्ति को बोलने का अवसर दिया। हमारे पुराने समाजवादी मित्र जिन्होंने डा0 राम मनोहर लोहिया की रहनुमायी में संघर्ष किया सौभाग्य से आज वह वित्त मंत्री हैं। उन्होंने जो अनुदान पेश किये हैं उनमें बड़ी-बड़ी योजनाएं ह पुलिस, शिक्षा, विद्युतीकरण, ग्राम्य विकास की। इन योजनाओं पर धन व्यय करने की स्वीकृति का प्रश्न इस सदन के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। मेरे मित्र भले ही मुझसे राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता मानते हों लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर यह सरकार जनता की भावनाओं को पहिचान कर जन भावनाओं का आदर करते हुए लोक नायक जयप्रकाश नारायण और डा0 राम मनोहर लोहिया के सिद्धान्तों के अनुरूप अपनी योजनाएं बनाती है तो मैं उनका समर्थन करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी मुझे खुशी होती यदि आज कोई नई चीज लाते। आपने बाल नेहरू संग्रहालय के ऊपर रुपया व्यय कर दिया और तमाम फिजूलखर्ची कर दी . . .

श्री अधिष्ठाता––

दीक्षित जी आप चेयर को सम्बोधित करें न कि किसी माननीय सदस्य को या मंत्री को।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित––

मुझे खुशी होती अगर समाजवादी महान् नेता डा0 राम मनोहर लोहिया के नाम पर आप कोई संग्रहालय बनाते, कोई पुस्तकालय खोलते। इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित]

चाहता हूं। आप सरकार में हैं और बदकिस्मती से हम आप से अलग बैठे हैं। 30 साल में गांवों में कोई सुधार नहीं हुआ, इसमें कोई राय नहीं। बहुत लम्बी चौड़ी बातें श्यामधर मिश्र जी और दूसरे साथियों ने कहीं। आपात स्थिति में बहुत जघन्य अपराध जनता के साथ हुए इससे इंकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर पुरानी सरकार ने कोई गलती की तो आपको वैसी गल्तियां नहीं करनी हैं। जनता ने आपको इतना बड़ा प्यार दिया है तो आपने उन अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने की यहां से लेकर दिल्ली तक क्षमता होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि शातिर लोगों को पकड़ कर छोड़ दिया जाता और बेगुनाहों के खिलाफ कार्यवाही होती है। हम लोक नायक जय प्रकाश नारायण और डा० राम मनोहर लोहिया के विचारों में विश्वास करते हैं और हजारों बार डाक्टर साहब के नाम पर हमने लोकतंत्र के स्वप्न को पूरा करने के लिये तानाशाही का विरोध किया था और कांग्रेस के काले कानून तोड़कर कारागार गये थे।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय दीक्षित जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि कृपा करके आप इधर को मुंह करके सम्बोधित करें। आमने-सामने बात करेंगे, तो कटुता बढ़ सकती है।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आप जैसा आदेश देंगे, उसका पालन करने को तैयार हैं।

मान्यवर, मैं अभी 10-2-1978 को बाराबंकी जिला गया था। वहां पर छात्र समुदाय के ऊपर बिना किसी मजिस्ट्रेट के अंधाधुन्ध गोलियां बरसाई गयीं। और इसी तरह से प्रदेश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि शासकदल के लोग ऐसा करवा रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि विरोधी दल के लोग ऐसा करवा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं नेता सदन और नेता, विरोधी दल, दोनों से, कि हम लोगों की हमारी जो भूलें हैं, उनको सुधारें और पक्ष और विपक्ष के लोग बैठ कर प्रदेश की हालत के बारे में विचार करें। देश की हालत को सुधारने की जिम्मेदारी केवल मुख्य मंत्री जी की ही नहीं, बल्कि हम सभी लोगों की है जो कि जनता से चुनकर आये हैं। अतः हम सभी लोग मिलकर प्रदेश के कानून व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाय, उस पर गम्भीरता से विचार करें।

एक सदस्य--

लेकिन आप तो स्वयं कानून की व्यवस्था को तोड़ते हैं ?

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

मान्यवर, मेरी आदत है कि जब मैं बोलता हूं तो अकेले बोलता हूं। मेरे बीच में कोई दूसरा बोलता है तो नहीं बोलता। अगर उधर के लोग मेरे बीच में इस तरह से बोलेंगे तो जब मैं उनके बीच में बोलना शुरू करूंगा तब वे बोल नहीं सकेंगे। अतः कृपया धैर्य से मेरी बातें सुनें और जब उनका समय आये, तभी अपने विचार रखें।

मान्यवर, मैंने भी मार खायी। श्रीमन्, विधान भवन के सामने लाठी चार्ज की बात कही गयी। मान्यवर, लाठी चार्ज और गोली वर्षा कोई नयी बात नहीं है। हम लोगों ने हजारों बार लाठियां खायीं हैं। एफ० आई० आर० केवल जय प्रकाश नारायण जी पर ही नहीं, तमाम नेताओं पर लगायी गयी। अब आप क्यों रो रहे हैं ? बंद होना चाहिये और लड़ना चाहिये अन्याय के खिलाफ। इसी विधान भवन के सामने आयुर्वेदिक छात्र 64 दिनों से अनशन पर बैठे हुये हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैं बाराबंकी कारागार गया। वहां जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनका स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा है। अगर कोई घटना हो गयी, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा ? यह ठीक है कि नीतियों का पालन होना चाहिये लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि प्रदेश के नौजवानों पर फायरिंग हो, देश और प्रदेश के किसानों पर लाठियां चलें और उसको आप बर्दाश्त करें। मैं यह नहीं कहना चाहता कि किस कमेटी में कितनों की नियुक्ति की गयी। यह सरकार की बुद्धिमत्ता है कि वह देखे कि खाद्य में किसको किया या कितने सरकारी वकील नियुक्त कर दिये और जो विभाग बचे हैं, उनमें क्या करेगी। इसी तरह से माननीय वित्त मंत्री ने जो धनराशि यहां स्वीकृति के लिये रखी है, मुझे विश्वास है कि वह दिल्ली से पूछकर नहीं बनायी होगी। हमारे बहुत से मित्रों में जब वे कारागार में थे, तो पढ़ा था और वे यह उम्मीद नहीं करते थे कि ये सरकार चलायेंगे। लेकिन राजनैतिक स्थिति इनके साथ हुई और ये लोग सरकार में आ गये। मेरी कतई यह मन्शा नहीं है, इन लोगों को भ्रम है, कि इस मुल्क में तानाशाही शक्तियां को पनपा देना चाहता हूं चाहे मैं आप के साथ बैठूं। (वाह वाह)।

श्री अधिष्ठाता—

समय समाप्त। दीक्षित जी, समय समाप्त।

श्री सन्दर लाल दीक्षित—

मैं इन शब्दों के साथ आपकी आज्ञानुसार अपने विचारों को समाप्त कर रहा हूं। विचार इसलिए समाप्त कर रहा हूं कि कुछ लोग . . .

श्री अधिष्ठाता—

समय समाप्त हो गया। दीक्षित जी।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

एक मिनट। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं आप सभी लोगों का और अधिष्ठाता जी आपका विशेष तौर से आभारी हूं जो कि इतनी मार खाने के बाद मुझे बोलने का मौका दिया। आज तीन दिन के बाद मैं इस सदन में आया हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई। उनके लड़के को चोट लग गयी थी। अस्पताल में मिला। नैतिकता के नाते . . .

श्री अधिष्ठाता—

दीक्षित जी, समय समाप्त।

दीक्षित जी मैं चाह रहा था कि हमारे सदस्य धैर्य रखेंगे आज मैं समझता हूं पहली महिला यहां पर बोलना चाहती हैं आप उनको अवसर देंगे।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मेरी प्रार्थना पर एक महिला को बोलने का मौका दिया है। सबसे पहले मैं जो यह अनुपूरक अनुदान हमारे सामने है उसका विरोध करते हुए आपके माध्यम से शासन का ध्यान महिलाओं की प्रगति की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। यह जो मेरी अपील है यह उधर के लोगों के लिये भी है और इधर के लोगों के लिए भी है।

एक सदस्य—

उधर कोई नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—]

महिलाओं की प्रति कितना आदर और सम्मान है आज बीसवी सदी में महान संघर्ष के बांद गांधी जी और जवारहर लाल नेहरू के संघर्षों के पश्चात् यहां पर जो महिलाओं की गिनती है उससे जाहिर है। में यह पूछना चाहती हूं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि उन्होंने महिलाओं और उनक गोद मे खेलने वाले बच्चों के लिये विशेष रूप से उनके सुधार और उनकी प्रगति के लिये क्या कदम उठाये हैं। जहां तक शिक्षा, कालेजों और स्कूलों का संबंध है मैं समझती हूं कि महिलाओं की लगभग 50 फी सदी आबादी है। हमारा जो बजट आता है और जो हमारा बजट बनता है, मेरा यह विचार है और मैं जोरदार शब्दों में हमेशा कहती रहूंगी। उस बजट का 50 फीसदी जो एजूकेशन में खर्च होता है वह महिलाओं की प्रगित में खर्च होना चाहिये,। कन्याओं छात्राओं की प्रगति में खर्च होना चाहिये। देश की प्रगति बार-बार रुक जाती है। हम प्लान्स बनात हैं, योजनायें बनाते हैं। विचार हमारे बहुत ऊंचे हैं इसमें कोई शक नहीं है। हम हिन्दुस्तानी हैं। चाहे सरकारी पक्ष हो या विरोध पक्ष में बैठने वाले हैं कौन यह चाहता है कि हमारे देश की तरक्की न हो। मैं हरगिज मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि एक हिन्दुस्तानी भी देश की तरक्की न चाहता हो। अपने-अपने प्वाइन्ट आफ व्यू में दृष्टिकोण में फर्क होता है तो हिन्दुस्तान को तरक्की कभी नहीं हो सकती जब तक कि हमारी महिलायें पिछड़ी हों।

हमारी प्राइमरी शिक्षा में, जो हमारी शिक्षा की नींव है उसमें कितना खर्च करते हैं और कितना हमने व्यय किया है जिसमें कन्याओं, छात्राओं और लड़कियों की शिक्षा उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। किसी भी स्कूल या कालेज का आप मुआयना कर लीजिये तो आप देखेंगे कि यदि वहां पर 6 अध्यापिकायें हैं तो उस समय केवल 2 ही होंगी, अगर रजिस्टर में 50 बच्चे हैं तो उस समय वहां पर 5 ही बच्चे होंगे। जो सामान उनको वहां मिलना चाहिए पढ़ने, पढ़ाने और लिखने के लिये वह भी वहां पर नहीं है। मैं कहती हूं कि जब तक प्राइमरी एजूकेशन पर महिलाओं और कन्याओं की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जायगा, देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता है। इसलिये इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं मानती हूं कि पहले गलतियां हुई हैं लेकिन उन्हें सुधारना चाहिए। हम विरोध पक्ष में बैठे हैं हमे भी सुझाव देने चाहिए और इस बारे में सरकार के हाथ मजबूत करने में सहयोग देना चाहिए। हमे भी देश की प्रगति में सहायक होना चाहिए।

महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहती हूं कि हमारे देश में कौन सी ऐसी महिला है जिसका विवाह न होता हो, जो सौभाग्यवती न हो, जिसको मां बनने का गर्व न हो, जिसके बच्चा न हो। बच्चों की पैदायश के लिये मां की देखरेख के लिये जितना इन्तजाम होना चाहिये। जितने धन की व्यवस्था होनी चाहिये, वह नहीं हो पा रहा है। दाई को 2 रु० देने की बात ऐसी है और ऐसा लगात है कि जैसे भारतवर्ष के मातृत्व के लिये एक हंसी मजाक की बात हो। 2 रुपये में कैसे उसकी प्रसवकाल में देखरेख हो सकती है। यह बात आप खुद ही समझ सकते हैं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस पर प्रकाश डाला है। और मैं भी आशा करती हूं कि जो नारी मां बनने वाली है जिसने कि उजाले की एक मोमबत्ती जला रखी है। उसकी सेहत के लिये, उस मोमबत्ती की रक्षा के लिये विशेष रूप से ध्यान होना चाहिये।

तीसरी बात पेयजल की समस्या के बारे में है। हम जब मुहल्लों में जाते हैं, गलियों में जाते हैं। तो देखते हैं कि गरीब आदमी किस तरह से पीने के पानी के लिये परेशान है। उन्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ा पड़ता है। जनता पार्टी ने चुनावों में जनता को यह विश्वास दिलया था कि निम्न वर्ग के लोगों के लिये, किसानों लिये, अच्छे-अच्छे कदम उठाये जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्या के केवल दो मिनट बाकी हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

पेय जल की समस्या हर गांव में हर मुहल्ले में और हर गली में है और विशेषकर पहाड़ी इलाके में है । आपसे अनुरोध करूंगी कि आप इसका निदान करें । इसके लिये 3 करोड़ रुपया दिया गया है और केन्द्र से इसमें से केवल 77.80 लाख रुपया ही रिलीज हुआ । मैं उम्मीद करूंगी इसके लिये पूरा रुपया रिलीज किया जायेगा । 3 करोड़ रुपया बहुत नहीं होता । इससे तो केवल 1/10 हिस्से में ही पानी पहुंच पायेगा । शहरों में भी पीने के पानी की बहुत खराब हालत है । वहां पर यदि आप जाकर देखें तो पायेंगे कि एक नल पर 50–50 बाल्टियां रखी हैं इसके लिये विशेष व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्रीमन्, जो यह अनुपूरक अनुदान पेश हुये हैं, उनको देख कर मुझे अफसोस हुआ है । निम्न वर्ग के लिये गरीबों के लिये, अंधेरी बस्तियों के रहने वाले हरिजनों के लिये तथा महिलाओं के लिये इसमें कुछ नहीं है । महिलाओं की अत्यन्त दुर्गति हो रही है । छात्राओं के ऊपर गोलियां चली हैं । 17 तारीख को यहां पर उनके ऊपर लाठियां पड़ी हैं । कई महिलाओं की हड्डियां टूटी हैं । (व्यवधान)

श्री अधीष्ठाता—

समय समाप्त हुआ ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैं कहना नहीं चाहती थी । एक महिला को दो सिपाही मार रहे थे (व्यवधान) बाराबंकी में एक 12 वर्षीय छात्रा गोली की शिकार हुई । मां-बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। उनके सिर तोड़े गये । मैं एक महिला विद्यालय में प्रिंसिपल हूं । मैं कहना चाहती हूं कि आप सरकारी पक्ष में हैं । महिलाओं के उपर न्याय कीजिये । जब तक उनका विशेष ध्यान नहीं रखा जायेगा तब तक कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता चाहे हिन्दुस्तान ही क्यों न हो ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्यों से एक बात कहना चाहता हूं कि भले ही किसी सदस्य का समय समाप्त हो गया हो यह ड्यूटी चेयर की है कि उसको बैठा लें लेकिन जब तक वह बैठ न जाय माननीय सदस्य खड़े न हों ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जीं ने अनुपूरक अनुदान की मांगें पेश की हैं उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, इस अनुदान में पशुधन के लिये जो धन मांगा गया है वह बहुत सराहनीय है । पशुओं की बीमारी की रोकथाम के लिये इसमें व्यवस्था की गई है । इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं । खेती में पशुधन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । हमारे प्रदेश की 86 प्रतिशत जनता गावों में रहती है । खेती के उत्पादन में पशुधन का विशेष स्थान है जिनके उपर कृषि सम्पदा और कृषि अर्थ व्यवस्था निर्भर करती है । अभी तक हमारे पशु अनेक बीमारियों के शिकार होते रहे हैं। हजारों रुपये की चोट किसानों को बैल मर जाने से होती है । खेत बोने के समय में जब किसान का बैल मर जाता है तो वह परेशान हो जाता है। किसान लोग अनेक तरह के खप्पर या टोने उनके बचाने के लिये करते हैं। वित्त मंत्री जी ने जो इसमें व्यवस्था की है उससे आशा का संचार हुआ है कि पशुओं की बीमारी के लिये ध्यान दिया जायगा । अब उसकी रोकथाम की व्यवस्था होगी यह एक महत्वपूर्ण काम है । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो पशुधन अधिकारियों और सहायक पशुधन अधिकारियों का चयन हो रहा है उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वह गांवों में जाकर देखें और बीमारियों को समय पर रोकथाम हो सके और वह फैलने न पायें । पशु सेवक

[श्री रघुवर दयाल वर्मा]

जो है जिले के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं 40, 50 मील दूर के क्षेत्र हैं जहां रास्ते नहीं हैं, वहां पर कृपा कर प्रबंध करावें। जहां पर सही मायने में वे व्यक्ति रहते हैं, जो रोग से भी पीड़ित हैं और जिनके पशु भी महामारी से पीड़ित हैं। 30 वर्ष की आजादी में, पशुओं की बीमारी और स्वयं अपनी बीमारी के निवारण के लिये उनको कुछ नहीं मिला है। जो जमुना और चम्बल के नदी की घाटियों के स्थान हैं, उसमें इन बीमारियों को रोकने के लिए वहां पशु डाक्टर पहुंचाये जायें। उनकी व्यवस्था हेतु इस बजट में जो यह प्राविधान किया गया है, उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और उसका समर्थन करता हूं।

मैं आपका ध्यान ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग की ओर दिलाना चाहता हूं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिए स्थापित किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मोहकमा है। अभी पिछले दिनों सम्पर्क मार्गों के निर्माण की जो बात चली थी, उस समय देखा गया कि उनके पास रोड-रोलर, ट्राली ट्रैक्टर आदि आवश्यक साधन नहीं है। सम्पर्क मार्ग के निर्माण के समय जब बार-बार जिलाधिकारियों, ब्लाक अधिकारियों आदि ने उन पर दबाव डाला, तो इस संस्थान वालों ने कह दिया कि हमारे पास ये साधन नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि जिन गांव वालों को अपने सामान को शहरों तक ढो लाने के लिये अब तक आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं हुए थे, उसको दूर करने के लिये ट्रैक्टर, ट्राली आदि खरीदने के लिये जो यह प्राविधान इसमें किया गया है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जहां पर ठेला व जीप आदि हीं नहीं जा सकते थे, जहां पर सड़क बनाने के साधन नहीं पहुंच सकते थे, उस बीहड़ और ऊसर के क्षेत्र में ट्रैक्टर और ट्राली खरीदकर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा संस्थान ने यह साधन उपलब्ध कराकर अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है, उसके लिये मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। साथ ही मैं उनको अपनी सूझ बूझ के लिये बधाई देता हूं।

जनता सरकार की जो नीति है कि गांव की ओर चलो, उसका मतलब है कि ग्रामीण समस्याओं का सही मूल्यांकन किया जाए और उनकी समस्याओं का कारगर निराकरण किया जाए। सभी पहलुओं पर विवेक से विचार होना चाहिये। इसके लिये मैं अपनी सरकार की नीतियों की सराहना करता हूं। इसमें जो अन्य व्यवस्था भू-जल संरक्षण की है, वह भी अच्छी है। किसानों की भूमि का ग्रामों में जो कटाव हो रहा था, भू-रक्षण की प्रक्रिया बढ़ रही थी, उसको रोकने के लिये इसमें जो व्यवस्था की गई है, उसके लिये हम उसका समर्थन करते हैं। इसके साथ ही देहातों में जिस प्रकार ग्रामसेवकों, स्वास्थ्य सेवा सहायकों की व्यवस्था की गई है, जिससे वहां पर स्वास्थ्य सुधार के लिये बीमारियों का इलाज कराया जा सके, उसके लिये जो अनुदान मांगा गया है, वह भी बहुत प्रशंसनीय है। इतने पर भी विपक्ष ने और साथ ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी उसकी आलोचना की है। विशेष पुलिस व्यवस्था के लिये धन की मांग की गई है। वित्त मंत्री ने नये सब इंस्पेक्टर्स की भरती और कांस्टेबुलों की भर्ती के लिये धन की व्यवस्था की है। साथ ही उन कांस्टेबुलों, जिनके रहने के लिये स्थान नहीं थे, उनके थानों पर मकान आदि बनवाने के लिये धन की जो व्यवस्था की गई है, उससे पुलिस कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उनका सेवा करने में अधिक मन भी लगेगा उन्होंने यह भी मांग की है कि विशेष पुलिस व्यवस्था की जाए, जिससे अशांत पीड़ित जनता की अच्छी तरह सेवा हो सके।

श्री अधिष्ठाता—

समय समाप्त।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि जो सिपाही वीरगति को डकैतों से जूझते हुए, प्राप्त हो गये हैं, दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1975 में बाह क्षेत्र के चार सिपाही मौत

के घाट उतरे डकैतों का मुकाबला करते हुए, आज तक उनको पेंशन नहीं मिली है। कौन आदमी आयेगा जो जान हथेली पर रख कर मर जायगा, जब कि कोई आर्थिक सहायता उसकी विधवा और बच्चों को न मिले ? बड़ी शर्म की बात है । इस ओर आप का ध्यान जाना चाहिये । इस सरकार को अपने सिपाहियों के परिवारों को, सिपाहियों के वीरगति को प्राप्त होने पर, पेंशन आदि की व्यवस्था तत्काल जनता पार्टी को करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस सदन के सब माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि इस बजट को पास करें ।

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । कुछ बातें मेरे माननीय मित्रों ने इंगित कीं पशु पालन के संबंध में कि पशु धन की सुरक्षा के लिये इस प्रकार का बजट में प्राविधान है । श्रीमन्, यह बड़े दुख की बात है कि इस देश में कृषि उत्पादन और कृषि विकास की बात बहुत कही जाती है लेकिन जो उसका मूलाधार हैं पशु, उसकी ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। संसार के किसी भी देश में ऐसा नारकीय जीवन, घृणित और गर्हित जीवन पशुओं को व्यतीत नहीं करना पड़ता है, जैसे भारतवर्ष में और विशेष कर उत्तर प्रदेश में है, कहीं भी नहीं है। हजारों तादाद में पशु पोंकना रोग से, रेंडर पेस्ट से, गला घोट रोग से, खुरपका और मुंहपका रोगों से मर जाते हैं। 1974 में मेरे जनपद और पडरौना तहसील बहुत भुक्तभोगी रही है। 25 हजार पशु काल कवलित हो गये । बकरियों में रोग फैलते है। गरीब आदमी बकरी और भेड़ पाल लेता है । बड़ी प्रचुर मात्रा में उनका विनाश होता है । आश्चर्य की बात है किसी भी चाहे कोई पिछली सरकार रही हो, चाहे हमारी लोकप्रिय सरकार हो लेकिन एक बात याद आ जाती है, सुनते हैं 'बिस्मिल वह खानये दिल में रहता है, आ जाय नजर तो समझें यही कहने को सब कहते हैं।" चाहे हम कहें या वह कहें, जब तक धरती पर चीजें न उतर जायं तब तक कहना ही कहना है । सचमुच पशुओं की स्थिति यह है कि पशुओं की दवाएं इतनी मंहगी हैं, ह्यूमन ड्रग्ज की ओर बड़ा ध्यान गया लेकिन ऐनिमल ड्रग्ज की कीमत दिन पर दिन बढ़ती जा रहीहै । फिटकरी, नौसादर, हल्दी और नमक केवल ये चीजें उपलब्ध होती है । बाकी गरीब किसान जब जाता है तो कोई औषधि उपलब्ध नहीं होती है । जब कि इसके इतिहास में बराबर मिलता है, आज कल बड़े बड़े आदमियों के लड़के पब्लिक स्कूलों में पढ़ते है लेकिन महाभारत में ऐसा दृष्टांत आता है जब कि विराट के यहां पांडव पहुंचे तो राजकुमार ने अपनी प्रार्थना प्रस्तुत की कि हे राजन मुझे अपनी गोशाला का अधीक्षक, सुपरिनटेंडेंट बना दो । इस प्रकार के उदाहरणों से इस देश का इतिहास भरा पड़ा है, वहां पर धनंजय और दिलीप का इतिहास हो वहां आज भी इस देश में ऐसी स्थिति है।

राजस्थान और हरियाना के क्षेत्र में आज भी पशु धन के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। पंजाब में भी पशु धन पर बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना अन्य प्रदेशों में पशुओं पर ध्यान दिया जाता है । हमारे यहां कहीं पर भी चरागाहों की व्यवस्था नहीं की गयी है । जब तक श्वेत क्रांति नहीं होगी तब तक हरित क्रांति नहीं हो सकती है । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप पशुओं के स्वास्थ्य की ओर ध्यान दीजिये और यह कार्य परमावश्यक है।

दूसरी बात मैं पेय जल की कहना चाहता हूं । पेय जल की स्थिति ऐसी है कि गांवों के सैंकड़ों लोग ऐसे पानी को पीते है जिसको जानवर पीते हैं । उस पानी में जानवरों का मल मूत्र बहकर जाता है और आदमी उसी पानी को पीते हैं। पीने के पानी के लिये उसे गांव के पास की गड़ही पर निर्भर रहना पड़ता है । इस संबंध में मेरा सुझाव है कि पीने के पानी की व्यवस्था नलकूपों द्वारा की जानी चाहिये और यही व्यवस्था सही व्यवस्था पीने के पानी के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[पुरुषोत्तम कौशिक]

लिये होगी । पूर्वी उत्तर प्रदेश का देवरिया और उसका उत्तरांचल विशुनपुर का क्षेत्र पीने के पानी की समस्या से जकड़ा हुआ है । वहां के लोगों को घेंघा का रोग हो जाता है । क्रिमी रोग वहां के 95 प्रतिशत लोगों को रहता है जिससे उनका विकास रुक जाता है । बच्चों का विकस रुक गया है । इस तरह की 50 प्रतिशत समस्या अपने आप हल हो सकती है अगर पीने के पानी की उचित व्यवस्था कर दी जाय । अगर इसकी व्यवस्था नहीं हुई तो बाकी कार्य सारे के सारे अधूरे हो जायेंगे । आज तक इन्सान गड़ही का पानी पीता है । 90 प्रतिशत कुएं जो जमीन की सतह के बराबर या उसके नीचे होते हैं उनमें बरसात का पानी तथा कूड़ा करकट उसमें चला जाता है । इस समस्या को हल करना बहुत आवश्यक है । चकबन्दी के दौरान कुछ ऐसा खतरा उत्पन्न हो गया है कि जल प्रदूषण की समस्या आती जाती है । चकबन्दी के दौरान तमाम लोगों ने पेड़ों को कटवा डाला । विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है । आदमी की जो स्वाभाविक क्षमता है वह लास होती जा रही है और अगर इस ओर ध्यान न दिया गया तो मनुष्य के जीवन के लिये गम्भीर खतरा उत्पन्न हो सकता है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का केवल एक मिनट का समय और है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

पशुधन, ग्रामीण पेय जल योजना पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, तभी ग्रामीण जीवन का विकास हो सकता है । कानून बहुत बने हैं लेकिन उनका कार्यान्वयन होना भी बहुत जरूरी है । एक भगीरथ ने प्रयास किया तो गंगा को धरातल पर उतारा, तो वह शंकर की जटाओं में उलझ गयीं और फिर प्रयास किया तो कमण्डल में फंस गयीं । एक नियम चलता है लेकिन प्रशासन की यह जो फाइलें हैं जो प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर हैं उनमें कानून रूपी गंगा उलझ जाती है । हम चाहेंगे कि वह ठीक तरह से व्यवस्था रूपी गंगा धरातल पर उतरे । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों का समर्थन करता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, शांति व्यवस्था का सवाल हो या किसी क्षेत्र में विकास का सवाल हो, इस सिलसिले में जनता पार्टी के शासन में आने के बाद प्रदेश की जनता को यह अपेक्षा थी कि हर मसले पर नया शासन नयी नीति निर्धारित करके चले लेकिन अफसोस है कि कांग्रेस की पुरानी नींव पर जनता पार्टी की सरकार ने अपना नया महल बनाना आरम्भ कर दिया । यही कारण है कि जो योजनायें बनती हैं, उनमें पानी की तरह से पैसा बहाया जाता है और उसके साथ-साथ जनता का असंतोष भी बढ़ता जाता है ।

आज जो अनुपूरक अनुदानों की मांग पेश की गयी है, उनसे ऐसा लगता है कि पुराने शासन की तरह से अधिकतर पैसा मंत्रि गणों के सम्बन्ध में और नौकरशाही के सम्बन्ध में मांगा गया है । किसानों का, मजदूरों का, विद्यार्थियों और शिक्षकों का और भी जनता के जो पिछड़े लोग हैं । ऐसा लगता है कि उस शासन का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है । काफी बातें सामने आई है, एक सार्वजनिक ब्यूरो खोला गया है और नौकरशाही को समाप्त करने की बात कही जाती है, इस सचिवालय में एक सतर्कता विभाग खोलने की बात इसमें कही गयी है । इसके पहले भी जो विभिन्न विभागों में सतर्कता विभाग काम कर रहे हैं, उनका क्या परिणाम हुआ और अगर उनके कार्यों का लेखा जोखा, इस शासन ने लिया होता तो इसकी आवश्यकता का एहसास न करती । सिंचाई विभाग में कई सालों के मसले आज तक लटके हुए हैं, पिछले सत्र में प्रश्नों के उत्तर में कहा गया कि जांच हो रही है । सतर्कता

विभाग बहुगुणा जी के भी समय में था, माननीय नारायणदत्त तिवारी जी के भी समय में था लेकिन जांच अभी तक भी पूरी नहीं हुई है। उसी प्रकार से अन्य विभागों को मजबूत करने के लिए भी यहां पर मांग की जा रही हैं। जन सम्पर्क अधिकारी और दूसरे अधिकारी बनाये जायेंगे। मैं यह समझता हूं कि ये पद इसलिये सृजित किये जा रहे हैं कि जिससे मंत्रियों के नाते और रिश्तेदारों को इन पदों पर कार्य करने का मौका मिले। आज भी मंत्रि परिषद में बहुत से मंत्रिगण ऐसे हैं जिनके साथ उनके संबंधी और रिश्तेदार जन सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

यहां पर अनुसूचित जातियों और जन जातियों के बारे में भी बात उठायी गयी और उनके लिये 3 लाख रुपये की मांग की गयी हैं। लेकिन बाहर जनता पार्टी के प्रशासन और शासन के बारे में जो प्रभाव, जो असर पड़ रहा हैं अगर इमानदारी से शासक पार्टी के सदस्य ही उसे सुनें तो दंग रह जायेंगे। जनता पार्टी के 6 महीने के शासन में 136 हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। कांग्रेसी शासन में भी होता था, हम यह नहीं कह रहे हैं कि उनके शासन काल में नहीं होता था लेकिन हर मसले पर आपने कांग्रेसी नीव को ही चुना हैं जिस पर आप अपना महल बना रहें हैं। आज गन्ने वाले किसान त्राहि-त्राहि कर रहें हैं। उसका गन्ना सूख रहा है और पश्चिमी जिलों से यहां तक खबरे मिली है कि एक दो किसानों ने तो गुस्से में आकर अपने खेतों में आग लगा ली। उनका विश्वास हट गया कि उसका गन्ना लिया जायगा अथवा उसकी पेराई होगी। शासन की ओर से, अखबार में पढ़ने को मिलता है कि किसानों के पास एक भी गन्ना बचेगा नहीं, वह खरीदा जायगा, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं लगता और मिल मालिकों को पूरी तरह से छूट दी हुई है।

मान्यवर, चिकित्सा के संबंध में जब हम देखते हैं तो क्या हो रहा हैं, आयुर्वेदिक विद्यार्थी भूख हड़ताल में पड़े हैं और काफी दिनों से आन्दोलन चल रहा है। आमरण अनशन की नौबत आ गयी। इस तरह की समस्यायें सुलझाने में प्रशासन कामयाब नहीं हुआ। जिस दिन से जनता पार्टी का शासन कायम हुआ, उसी समय से होम्योपैथिक छात्रों की लड़ाई शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। कोई भी सरकार की ओर से अनुकूल प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की गयी है, जब कि समस्यायें ऐसी नहीं हैं जिनको शासन हल न कर सकता हो। उनकी विश्वविद्यालय से अफीलिएशन की मांग थी वह पूरी की जा सकती थी। क्योंकि जिस बोर्ड की बात कही जाती है अगर उस बोर्ड से डिप्लोमा दिया जाता है तो सेंट्रल कौंसिल आफ होम्योपैथी उसे रिकग्नाइज नहीं करती। इस तरह की समस्याओं के बारे में शासन की ओर से कोई भी सकारात्मक भूमिका देखने को नहीं मिल रही है।

उर्दू के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, प्रोत्साहन दिया जा रहा हैं। आप शासन में आनेके पहले उर्दू के बारेमें बड़ी-बड़ी बाते करतें थे, दूसरी भाषा का दर्जा देने की बात करते थे। अब आप उधर आये हैं तो क्यों नहीं खुले दिल से मानते है कि उर्दू हमारी रोजमर्रा की भाषा के साथ मिली हुई है, उसका भी महत्व है, अहमियत है, इसलिये उसको दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाय। उसको मानने से आप इंकार कर रहे हैं। उससे लगता है कि जो आपने पिछली बार वादे किये थे एक के बाद एक उनसे आप मुकरते जा रहें हैं चाहे किसान की समस्या हो या मजदूर की। कानपुर के स्वदेशी मिल की घटना हुई, 200 मजदूर जो गोलियों से भूने गये शासन की ओर से हमदर्दी दिखलाई गयी तो उनकी ओर नहीं, बल्कि मिल-मालिकों की ओर। इस तरह शासन का रवैया जब तक नहीं बदलता है तब तक चाहे जितना पैसा लगाते जायं जनता की गाढ़ी कमाई का, मैं समझता हूं वह उसी तरह से पानी सा बह जायगा जिस तरह से कांग्रेसी शासन में बहता था।

मान्यवर, गांव की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, कहा गया है। लेकिन अनुपूरक अनुदान से जो तस्वीर सामने आयी लगते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि एक संकुचित लिहाज दायरे की और राजनीति से प्रेरित जो इस समय शासन है उसके हितों की ओर कदम

[श्री राम आसरे वर्मा]

बढ़ा रहे हैं, गांव की ओर नहीं। जगह-जगह जो भी स्कीम बनायी जाती है ध्यान रखा जाता है कि शासन में जितने भी अलग अलग घटक हैं उनके सारे कार्यकर्ताओं को जगह मिले, उनके कार्यकर्ताओं को राजनीति करने के लिए स्थान बनाया जाय। यह एक भावना है शासन की और इनके रहते हुए यह दावा किया जाता है कि जनता के हित में शासन काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि यह बात उचित नहीं है।

कारागार सुधारने की बात कही जाती है।

श्री अधिष्ठाता—

समय समाप्त हो रहा है।

श्री राम आसरे वर्मा—

कारागार के अधिकारी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं मुझे सुल्तानपुर जिले से एक पत्र मिला है, उसमें लिखा है कि कांग्रेसी शासन से अलग अधिकारियों का कोई भी रवैया नहीं हैं। वहां पर राजनैतिक कैदी हैं। माननीय गृह मंत्री केंद्रीय सरकार ने कहा था कि नक्सलपंथी बन्दी राजनीतिक बन्दी हैं लेकिन उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया है? नंगा करके तलाशी ली है तरह-तरह की उनके साथ गाली गलौज की है सिर्फ इसलिये कि उस जेल में कई साल से बड़ा भ्रष्टाचार मचा हुआ है और शासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा हैं।

इन शब्दों के साथ, माननीय अधिष्ठाता महोदय की बात को मानते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री गेंदा लाल गुप्त (जिला एटा)—

मान्यवर, आज बड़ा हर्ष है कि आपने मुझे सदन में बोलने के लिये समय दिया जिसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया है मैं उनको समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में अलीगंज ठटिगरा सड़क का निर्माण करा कर बहुत अच्छा काम किया है। मेरे क्षेत्र को मैनपुरी जिले से जोड़ने के लिये एक पुल को भी बनवाने के लिये स्वीकार किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अलीगंज सरौठ पिजरी एटा सड़क भी बहुत ही आवश्यक सड़क है। ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां अपराध बहुत ज्यादा हुआ करते हैं। सड़कें न होने के कारण ही यह अपराध अधिक होते हैं। अलवर डाकू जैसा भयंकर आदमी भी इसी क्षेत्र में ही पैदा हुआ और मारा गया उसने तमाम जघन्य हत्यायें की थीं। उसके मरने के बाद भी कई अन्य डाकू अभी वहां हैं। काशी और सुल्तान अभी भी आतंक मचाये हुए हैं। अभी इनके द्वारा 15 आदमियों की हत्यायें हो चुकी हैं। अभी भगवान काछी भी नामी डाकू है। इनके द्वारा एक डी० वाई० एस० पी० तथा दो पुलिस के सिपाहियों तक की हत्यायें की गयी हैं। कई और लोग भी मारे गये हैं। इस क्षेत्र के बारे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की थी और निवेदन किया था कि ऐसे पिछड़े क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। यह एक बैकवर्ड एरिया है जहां अपराध करने के लोग आदी हो गये हैं। यदि सड़कों का जाल हमारे यहां बिछा दिया जाय तो यह अपराध कम हो जाय। एक सड़क 9 किलोमीटर की लम्बी मंजूर हुई है, यह खुशी की बात है, लेकिन और सड़कें जो जरूरी है उनको भी बनवाना चाहिए।

मुझे खेद है कि अलीगंज विधान सभायी क्षेत्र जो थाना है वह भी टूटा हुआ है। वहां के थाना इन्चार्ज के लिये रहने तक की जगह नहीं है। उसके रहने के लिये एक क्वार्टर बनवाने का शीघ्र इन्तजाम किया जाना चाहिए।

इसके अलावा वहां सिपाहियों की संख्या भी बहुत कम रखी गयी है। 17 सिपाही रखे गये हैं जिनमें 7 तो बाहर तथा बाकी दफ्तर की ड्यूटी पर रहते हैं। इतने कम सिपाहियों द्वारा अपराधियों को पकड़ने व अपराधों की रोकथाम का काम पूरे क्षेत्र में कर सकना असम्भव है। इनकी संख्या बढ़ायी जाय तथा साथ ही आवागमन के साधन भी उपलब्ध कराये जायं। हमारे यहां 20 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जहां आने-जाने के साधन हैं ही नहीं। बिना इसके किसी अधिकारी का कन्ट्रोल नहीं हो सकता है। बिना साधनों के अपराध कम नहीं होंगे। एक सुझाव मैंने कारागार मंत्री जी को दिया था जैसा कि जेलों में अपराधियों की शिक्षा के बारे में। जेलों में बड़े-बड़े अपराधी जाते हैं। वहां उनकी शिक्षा के लिये कोई प्राविधान नहीं है। इस ओर ध्यान दिया जाय।

मैंने एक सुझाव दिया था कि हर छोटी जेलों में एक कैन्टीन होनी चाहिए। जिससे कम से कम हजारों रुपये का भ्रष्टाचार जो कि उस समय जब कोई कैदी से मिलने के लिये जाता है, उसके पैसे की लुटाई होती है जेल के अन्दर समाप्त हो सके। मैंने यह राय भी दिया था कि जो भी पैसा मिले, वह कैन्टीन में जमा कर दें, वहां से जिस कैदी का जो पैसा हो वह मिला करे चाहे, अण्डर ट्रायल हो या सजा याफ्ता हो। मेरा कहना यह है कि हर जेल में एक कैन्टीन खोलने की व्यवस्था की जाय ताकि यह भ्रष्टाचार समाप्त हो सके।

शिक्षा के संबंध में मैं कहना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री के अनुदानों की बहुत अच्छी मांगे हैं। अलीगंज में लड़कियों का कोई इण्टर कालेज नहीं है। मैंने मांग की थी कि वहां पर एक लड़कियों का इण्टर कालेज खोला जाय लेकिन इस बजट में इसका कोई नाम नहीं आया। मान्यवर, यह तो छोटा बजट है, लेकिन आगे आने वाले बजट में हमारा ध्यान रखा जाय कि कम से कम एक इण्टर कालेज वहां पर खोलने की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जो अस्पताल है वहां पर डाक्टरों को रहने का स्थान नहीं है, कम्पाउन्डरों के लिये स्थान नहीं है, मरीजों के लिये शौचालय नहीं है, मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था कि उस पर ध्यान दिया जाय।

सहकारिता के संबंध में लाखों रुपये किसानों को बांटे गये। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि एल0 डी0 बी0 बैंक में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई भी काश्तकार ऐसा नहीं है जिसने लोन लिया हो और उससे रिश्वत न ली गयी हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि 1–1 हजार रुपये की रिश्वत उन किसानों से 6 हजार रुपये लोन पर देने के लिये ली गयी है। यह इस प्रकार से आपकी सरकार में भ्रष्टाचार है। मैं स्वयं एल0 डी0 बी0 बैंक गया था। मेरे पास खिरिया ग्राम तथा झंकरई ग्राम के दो काश्तकार आये थे, मुझसे उन्होंने शिकायत की कि उनको जो इंजन का रेट है उस रेट पर इंजन नहीं दिया जा रहा है। फिर मैंने उनके दोनों चेकों, जो उनके एल0 डी0 बी0 बैंक से मिले थे, उसको कैंसिल करा दिया। मेरा कहना यह है कि अपनी जनता पार्टी की सरकार को कि इस प्रकार की लूट हो रही है पैसों की, उसे रोका जाय।

विद्युत के संबंध में मैं फिर कहना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में बिजली विभाग से प्रोग्राम आते रहे कि 7–7,–8–8 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन उसके बाद केवल एक घंटा ही बिजली मिली। वहां की सारी फसल चौपट हो गयी। मैंने माननीय विद्युत मंत्री जी से कहा था कि मेरे यहां का जला हुआ ट्रान्सफार्मर आज तक खराब ही हालत में पड़ा हुआ है। एक बार उसको बदला गया, लेकिन फिर भी वह ठीक नहीं हो सका और आज भी खराब ही हालत में पड़ा हुआ है। आज दुनियां में उजाला है, लेकिन वहां पर अंधेरा ही अंधेरा है। इन शब्दों के साथ मैं अनुपूरक मांग का समर्थन करता हूं।

*श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी इस अनुपूरक अनुदान पर पक्ष और विपक्ष के सम्मानित सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की । मैं भी चिंता और शंका के साथ कुछ निवेदन कर रहा हूं । मुझे लगता है कि इस अनुदान की आवश्यकता न होती तो जनता पार्टी को सरकार सदन को न बुलाती । क्योंकि पिछले दिनों में चाह जनता पक्ष के सम्मानित सदस्य रहे हो या विरोधी पक्ष के सम्मानित सदस्य रहे हों, बराबर इस बात की अपील उन्होंने की है कि सदन को बैठक बुलाई जाय । लेकिन सरकार ने कोई अहमियत नहीं दी । जनतंत्र और जम्हूरियत की बात भले ही भाषणों और समाचार-पत्रों में छपती चली आई है लेकिन जबसे यह सरकार आई है निश्चय ही जनतंत्र पर कुठाराघात हो रहा है । हमारे बीच में बैठे हुए हमारे पंचायत राज मंत्री न कहा कि अगर जिला परिषद् मांगेगी तो हम देंगे । लेकिन मेरा निश्चित मत है कि जिला परिषद् इनके शासन-काल में नहीं बन पायेंगी । जैसे स्वायत्त शासन मंत्री जी ने कहा था ठीक उसी ढंग से आपने कहा कि निकायों के चुनाव जल्दी होंगे । लेकिन चुनाव किन्हीं कारणों से स्थगित होते जा रहे हैं । इसलिये मैं मानकर चलना चाहता हूं कि आज जनतंत्र को कवल भाषणों और सामाचार पत्रों में दोहराया जा रहा है, प्रणाली और प्रक्रिया में नहीं लाया जा रहा है । आज जो चीजें अनुदान में आयी हैं, जैसे पेयजल योजना, तो अगर जिला परिषदें आती तो इस संबंध में कार्य अच्छी तरह से होता । इस संबंध में मेरी निश्चित राय है कि धन की कमी है, लेकिन मंत्रियों को सुख सुविधा का अधिक ध्यान रखा गया है और प्रदेश की सुख सुविधा को ओर ध्यान नहीं दिया गया है । इन्हीं 2-4 चीजों पर अपनी राय देना चाहता हूं ।

भूमि आबंटन की धनराशि को घटा दिया गया । इस किताब में बहुत सी चीजें ऐसी दी गयी हैं । जिनके लिये यह शासन बधाई का पात्र है क्योंकि पिछले शासन ने जिन चीजों को स्वीकृत कर दिया था जिन चीजों को मान्यता प्रदान की थी उन चीजों को इस शासन ने स्वीकार किया है । मंत्रियों की सुख-सुविधा और अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के स्वरूप को निखारने के लिये, अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जीवन देने के लिये जरूर इसमें प्राविधान किया गया है । जैसे जन-स्वास्थ्य रक्षक की स्कीम है । यह निश्चय ही नीम हकीम खतरे जान जैसी चीजें हैं । पढ़े-लिखे डाक्टर इतने ज्ञान के बाद भी सक्षम नहीं हो पाते हैं लेकिन 3 महीने के अनुभव वाले व्यक्ति को आप 1 हजार लोगों का जीवन सौंप रहे हैं । वह स्वास्थ्य सेवा करेगा या पार्टी का प्रचार करेगा, क्या आप व्यवस्था करायेंगे ?

एक सदस्य---

झूठ है ।

श्री अरुण कुमार---

आपको झूठ लगेगा क्योंकि आप उसी दल के हैं । दूसरी चीज मैं प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में कहना चाहता हूं । प्राइवेट प्रैक्टिस पर बैन लगाने के पहले शासन को बड़े स्पष्ट ढंग से सोचना पड़ेगा । आज की हालत यह है कि इमरजेंसी वार्ड में भी अच्छे डाक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं । प्राइवेट प्रैक्टिस पर बैन करने के पहले इन सब बातों पर आपको सिलसिले वार गौर करना पड़ेगा । अगर कोई स्पेशिलिस्ट को दिखाना चाहता है तो वह बैन लगाने से उपलब्ध नहीं हो सकेगा । इसके बारें में शासन को ध्यान देना होगा ।

गन्ना अनुसंधान और विकास निधि की तरफ पदों की नियुक्तियों के बारे में मैं कहना चाहता हूं । मेरी निश्चित राय है कि किसानों के बारें में आपका दिल और दिमाग नहीं गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज गन्ना किसानों के बारें में मेरी निश्चित धारणा है कि उनके बारे में न सोचकर पहले आप अपने ढंग से अपने लोगों की नियुक्तियों के बारें में ज्यादा चिन्तित हैं । आज कुछ जनता पार्टी के लोग ब्यूरोक्रेसी पर कुठाराघात भले ही करते हों लेकिन आपकी सारी रचना ब्यूरोक्रेसी में बनती जा रही है । जहां तक जनतंत्र के बारे में कहना था, तो जितने जनता के प्रतिनिधि थे, उसमें आपने निकायों को समाप्त कर दिया है ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान बुनकरों की तरफ दिलाना चाहता हूं । पिछले शासन ने जो कुछ किया था उसमें आपने कुछ अमली जामा पहनाया है जिसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं ।

(इस समय 3 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, पेयजल का सीधा सम्बन्ध गांवों से होता है । इसी प्रकार सड़कों का भी संबंध गांव से होता है । पिछले बजट में हमारे पी0 डब्ल्यू 0 डी0 मिनिस्टर जो हैं उन्होंने आजमगढ़ चुना था क्योंकि मुख्य मंत्री का वहां से सम्बन्ध है । इस योजना के अन्तर्गत निधौली कलां को चुना । हम पिछड़े इलाके के हैं इसलिए आप हमारे ऊपर भी कृपा बनाये रखें । मैं ज्यादा न कह करसिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि जब स्वास्थ्य केन्द्रों के आधार पर जो नियुक्तियां हो रही हैं वह नाजायज हैं । उनका सीधा सम्बन्ध जन स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाइयों की व्यवस्था की जाय और अस्पताल खोले जायं न कि यह दुकान जो 4 करोड़ में स्थापित करने जा रहे हैं । यह दुकान घातक होगी । इसलिय मैं शासन का ध्यान इस ओर निश्चित रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि जो दवाइयां आप 50 रुपये में नहीं दे सकते हैं और जो डाक्टर आप पैदा कर रहे हैं उससे जनजीवन की हानि होगी । इसलिए इसका सम्बंध स्वास्थ्य केन्द्रों से रखा जाय । दवाईयां बढ़ाई जायं, बेड बढ़ाये जायें और नये-नये विभाग खोले जायं तथा डाक्टरों की व्यवस्था की जाय ।इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और सरकार को बधाई देता हूं कि यदि आपको पैसे की जरूरत न होती तो जनतंत्र की भाषा को आप समाप्त कर चुके थे और इस सदन को भी बुलाने की आवश्यकता न समझते ।

(वित्त मन्त्री को पुकारे जाने पर)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, आपने कहा था कि 4 बजे मंत्री जी बोलेंगे अभी तो आधा घंटा है ।

श्री अध्यक्ष—

ग्रान्ट में आधा घंटा लगेगा । फिर विनियोग विधेयक भी आयेगा ।

श्री देवबहादुर सिंह—

इसमें तो दो-दो मिनट लगेगा ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा अभी और टाइम ले लेते हैं ।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, सदन में अनुपूरक अनुदानों के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं जैसे कि विपक्ष की ओर से आवाजें उठाई जा रही हैं कि जनता पार्टी की सरकार में जनतांत्रिक मान्यताओं का अवमूल्यन हुआ है । तो मैं बड़े अदब के साथ आपके माध्यम से इस सदन के जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार इस देश में जनतांत्रिक मान्यताओं के लिये, अपने संविधान की गरिमा और गौरव की रक्षा के लिये वचनबद्ध है । इतना ही नहीं वर्ष 1977 में जो इस देश में चुनाव हुए हैं वह दो सिद्धांतों के बीच हुए हैं—एक तरफ तनाशाही और दूसरी तरफ जनतांत्रिक शक्तियां थीं । इस देश की जनता ने उस समय अपना फैसला जनता पार्टी के पक्ष में संविधान की रक्षा के लिये, जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के पक्ष में दिया ।

[श्री श्रीराम द्विवेदी—]

यह आरोप जो लगाये जाते हैं बिल्कुल निराधार है। जिस तरह की घटनाएं देश के अन्दर हो रही हैं और जो वातावरण बन रहा है जनतांत्रिक ताकतों को कुचलने की साजिश की जा रही है उसके बारें में जनता पार्टी की सरकार की आंखें खुली हुई हैं।

श्रीमन्, फैजाबाद मंडल के पिछड़ेपन के बारें में पिछले सत्र में इस सदन में बहुत कुछ कहा गया लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन अनुपूरक अनुदानों की जो पुस्तिका मिली है उसमें फैजाबाद मंडल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता थी उन पर विशेष बल नहीं दिया गया। फैजाबाद मंडल शिक्षा के विकास में, उद्योग धन्धों के विकास में, सिंचाई और दवाई के इंतजाम में बहुत पीछे रह गया है या यों कहा जाय कि पूरें प्रदेश के अन्दर फैजाबाद मण्डल सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। इस इलाके में एक जबरदस्त आन्दोलन के बाद हमको दो विश्वविद्यालय मिले। आज इस सदन में मै कहना चाहता हूं कि आचार्य नरेन्द्र देव विश्वविद्यालय जो कि ग्रामीण अंचल में लगाया जा रहा है और जिस पर लाखों रुपया व्यय हो चुका है उसको वहां से हटाने और उसके स्थान में परिवर्तन करने की बात शासन स्तर पर चल रही है जो अन्यायपूर्ण है और उचित नहीं है। जनता पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में ऐलान किया था कि हम गांव की ओर जायेंगे, खेती और गांव की तरक्की को प्राथमिकता देंगे।

आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में विश्वविद्यालय कायम होने जा रहा है तो उस पर इस तरह का विवाद खड़ा करने, हटाने की बात करना उचित नहीं है। विकास के लिये जो जरूरी चीजें हैं उन पर विचार करना चाहिये। सबसे पहली आवश्यकता सड़कों की है। पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने गावों की सड़कों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पं0 जवाहरलाल नेहरू की धारणा थी और कांग्रेस की नीति थी कि देश को बड़े-बड़े कारखाने लगाकर आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन वह उपयोगी साबित नहीं हुआ। लेकिन जनता पार्टी की सरकार भारत में गांधी जी के सपनों को साकार करना चाहती है। चौधरी चरण सिंह और मोरार जी भाई ने संकल्प लिया है कि छोटे छोटे उद्योग धन्धे, कुटीर धन्धे लगाकर गांधी जी के सपने को साकार बनायेंगे। हमारें फैजाबाद मंडल में कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है जहां हजार दो हजार आदमी काम करते बल्कि जो छोटे-छोटे धन्धे हैं उनको भी प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। वहां टांडा और जलालपुर का इलाका है जहां बुनकरों की समस्यायें हैं। अगर उस ओर ध्यान दिया जाता तो वहां का उद्योग आगे बढ़ सकता था। बीकापुर का क्षेत्र जहां से मै आता हूं वहां कोई भी टाउन एरिया नहीं है, कोई डिग्री कालेज नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं कानून व्यवस्था भी खराब होती जा रही है। कई बार मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र भी लिखे। हैदरगंज थाने की पुलिस प्रशासन जरायम पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। एक नये थाने की वहां आवश्यकता है। इसी प्रकार सिंचाई की तरफ मै सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सिंचाई के मामले में हमारा फैजाबाद मंडल बहुत पिछड़ा है। यहां पर मुश्किल से 15 प्रतिशत सिंचाई की व्यवस्था है और बाकी फसल असिंचित है। छोटी-छोटी योजनायें लगाकर छोटी-छोटी इकाइयों में वहां का विकास करना चाहिये जिससे सुदूरवर्ती इलाकों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो सके।

मान्यवर, संपर्क सड़कों की व्यवस्था के बारें में जनता पार्टी की सरकार ने जो निर्णय लिया है हम देखते हैं कि काम शुरू हो गया है लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार की लापरवाही के कारण कुछ ऐसी सड़कें जो छूटी हुई हैं जिनके बन जाने से मुख्य केन्द्र, तहसील मुख्यालय जुड़ सकते थे। लेकिन जब नक्शे पर देखते हैं वह सड़कें छुटी हुई हैं कहीं 2 किलोमीटर छूटा हुआ है कहीं 4 किलोमीटर छूटा हुआ है तो इस तरह से इन छूटी हुई कड़ियों को जोड़ने के लिये प्राथमिकता दी जा रही है। मान्यवर, हमारे प्रदेश की ओर सारे देश की जनता का ध्यान लगा हुआ है। मै कहना चाहता हूं कि आज जनता पार्टी की सरकार जिन वायदों की पूर्ति के लिये, जिन बातों को करने के लिये गद्दी पर है, जिन बातों को करने के लिये उसने जनता का विश्वास प्राप्त किया है, उसको पूरा करने में कोई कमी नहीं रखेगी।

जहां तक जनतांत्रिक मान्यताओं और संविधान की रक्षा का सवाल है, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में कानून का राज्य चल रहा है । पिछले 30 सालों में विधि का राज्य खत्म हो गया था, संविधान की मर्यादाओं को खत्म कर दिया गया था । लेकिन आज प्रदेश ने इस देश की 60 करोड़ जनता के सामने आदर्श प्रस्तुत किया है,नमूना प्रस्तुत किया है कि यह जनता पार्टी की सरकार इस देश और प्रदेश में कानून और विधि का राज्य चलायेगी । जन साधारण को उन शिकंजों में नहीं ले जायेगी जिनमें कांग्रेस के लोग ले जाते थे । मान्यवर, कांग्रेसियों ने अराजकता पैदा करने की कोशिश की और साजिश के साथ की कि इस देश में सामान्य कानून के जरिये से राज्य नहीं चलाया जा सकता । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मन्त्री माननीय मोरार जी देसाई ने ऐलान किया है कि अगर हम इस देश में सामान्य कानून की तहत राज्य नहीं चला पायेंगे तो कुर्सियां छोड़ देंगे । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह जनता पार्टी की सरकार जनतांत्रिक मान्यताओं की रक्षा के लिये भरसक प्रयत्न करती रहेगी और इस पार्टी में जब तक हमारे जसे लोग रहेंगे, जेलों में तपे तपाये लोग रहेंगे, इस देश के जनतन्त्र के चिराग को गुल करने वालों का चिराग गुल कर देंगे । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को, मान्यवर समाप्त करता हूं ।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)–

मैंने, मान्यवर, इस बजट को गौर से पढ़ा । यह सही है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय की नियत बहुत अच्छी है । मगर यह बजट बनाता कौन है ? वे ही जो पिछली सरकार की कड़ियां थीं, वे ही यह बजट बनाते हैं । मान्यवर, विपक्ष के लोग शर्माते हैं जब हमारे इन्दिरा गांधी यानी नारायण दत्त जी के गुट के लोग लोकतंत्र की बात करते हैं और निधौली कलां पर चर्चा करते हैं । मुख्य मंत्री जी ने तो दूसरे क्षेत्र में जाकर वहां काम किया । लेकिन संजय के लिये तो नहीं किया—एक ही आदमी के लिये तो नहीं किया । अब 17 तारीख को लोकतंत्र की बात थी । लोकतन्त्र की बात करने वाले अनुपूरक बजट में लोकतन्त्र की बात करते हैं । हां, बहुत सारी कमियां हो सकती है । मैं, भाभी राम जी की बात तो नहीं कहता वे भी अब समाजवादी हो गये हैं । कुछ बातें है, मान्यवर, जो हर बजट में–अनुपूरक बजट में और पूरक बजट में होती हैं । मैं तो तीन साल यहां रहा । अभी तो साल भर हुआ । जानकारी भी कम है । उतना पढ़ा भी नहीं–कम पढ़ा हूं । तो ज्यादा पढ़ा-लिखा तो नहीं, मगर प्रैक्टिकल में देखें तो मैंने पाया कि इतनी मोटर गाड़ियां दी जायेंगी, ये सेल खोली जायगी, जनता की सुरक्षा के लिये यह काम किया जायगा । लेकिन दूसरी तरफ, मान्यवर, अगर देखें तो डकैती और चोरी–ये सभी बढ़ती तो जा रही है । आप हरिजनों के लिये एस0 पी0 के बगल में सेल खोलेंगे । अब क्या-क्या कहूं कटौती पर ।

मान्यवर, दूसरी कन्ट्रीज में जहां बजट लाया जाता है, वहां नम्बर दिये होते हैं–हेल्थ, शिक्षा और कृषि आदि आदि । लेकिन कारण क्या है कि हमारी मौजूदा सरकार उसी रास्ते पर जा रही है । उस आधार पर जिस रास्ते पर कांग्रेस का इन्दिरा का शासन जा रहा था । किसलिए पुलिस की बढ़ोत्तरी हो रही थी क्योंकि इमरजेन्सी आयेगी और लाखों करोड़ों को जेल में डाल दिया जायगा । कौन-सी ऐसी गजब की बात हुई है प्रदेश में जो पुलिस के इतने सेल बनाये जा रहें है ? क्यों नहीं बताते हमारे माननीय सदस्य विधान सभा के, हमारे मंत्री लोग गांव से चुन कर आते हैं । देखिये किस तरह पुलिस शोषण कर रही है । उसका क्या कारण है, आप ने कोई उसकी लाइन में परिवर्तन किया बजट लाये हैं ? कम पैसा है । पूरक बजट लाये हैं बिल्कुल कम पैसा है । यह पैसा कहां लगाना चाहिये था ? वहां जहां गांवों में प्राइमरी स्कूल नहीं है, जहां सड़क नहीं हैं साइकिल नहीं चल सकती, डिसपेन्सरीज में गरीब जनता के लिए दवा नहीं है । एक तरफ गरीबों के लिए दवा नहीं है दूसरी तरफ आप पुलिस के सेल खोलेंगे । पुलिस के खिलाफ गांवों का कमजोर वर्ग आवाज नहीं उठा सकता है । आप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—]

कान्सटेबल को जानते हैं, मान्यवर, आप भी जानते होंगे । एक कान्सटेबल की आमदनी कितनी है ? चार हजार से कम नहीं है । दिन भर तस्करी वाले, अफीम वाले, गांजा वाले पकड़े, उनसे वसूल किया, डकैतों से वसूल किया और जितने कान्सटेबिल हैं उन से थानेदार लेते हैं, डी0 एस0 पी0 लेते हैं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि डी0 आई0 जी0 और आई0 जी0 भी पैसा लेते हैं । उसको आपने बढ़ा दिया है । उन को आप ने और फैसिलिटीज दी है, जीप दी है किसलिए, ताकि डी0 आई0 जी0 के बच्चे सफर करेंगे । माननीय सदस्य बैठे हैं जरा दिल पर हाथ रख कर सोचिये कि किसी भी तरह कमजोर जनता की एक पैसे की भी सुरक्षा हो रही है ।

मान्यवर, अपने क्षेत्र के बारें में मैंने मुख्य मंत्री जी को कितनी बार लिखा लेकिन कोई इन्क्वायरी नहीं हुई । मैं आप की नियत पर शक नहीं कर सकता । जैसा हमारे कांग्रेसी सदस्यों ने कहा कि मुख्य मन्त्री निधौली कलां को स्वर्ग बना देंगे । नारायण दत्त तिवारी जी ने पहाड़ों को स्वर्ग बना दिया, चौधरी चरण सिंह जी ने बुलन्दशहर, मेरठ को स्वर्ग बनाया और अगर निधौली कलां भी स्वर्ग बन जाय तो को बात नहीं है । मान्यवर, बजट आप पुलिस पर न बढ़ायें । पुलिस पर बजट बढ़ाने से करप्शन और बढ़ जाता है, लूट मच जाती है । अभी 13 तारीख को गनपत राज पुलिस द्वारा पकड़ा गया सामन्तों के कहने पर उसे कोल्हू की चोरी में बन्द कर दिया गया । गुण्डों, डकैतों का वाहुल्य है । आप गुण्डों और सामन्तों के लिये बजट बढ़ाते जा रहे हैं । उत्तर प्रदेश को नरक में न गिराये । मान्यवर, वित्त मंत्री जी समाजवादी हैं, मुख्य मन्त्री जी समाजवादी हैं। यदि आप ने कांग्रेस की पुनरावृत्ति की तो जनता पिट जायगी । इमरजेन्सी में पिसी है । इसलिए वह कहानी मत दोहराइये और प्रदेश के हित को बैठकर सोचिये कि आप को 24 घंटे मनन करना चाहिये । अब आप मंत्री हुए है । आप को देखना चाहिये कि पुलिस के क्या कारनामे हैं । पुलिस का और निर्माण वालों का वेतन बढ़ाने की क्या आवश्यकता है ? आप अध्यापकों और चपरासियों का वेतन बढ़ायें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री देव बहादुर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक अनुदानों की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । मान्यवर, यह अनुपूरक अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत करने की एक परम्परा सी बन गई है । पहले हमारे प्रदेश में बजट सेशन होगा, फिर अनुपूरक अनुदान होगा और फिर अगले साल के लिये लेखानुदान रखा जायगा । यह परम्परा न रहें और संतुलित बजट पेश किया जाय तो मैं समझता हूं कि अनुपूरक अनुदान लेने की आवश्यकता ही न पड़े । अब दो-चार साल में यह स्थिति भी आने वाली है कि किसी वित्तीय वर्ष में अधिक पैसा खर्च हो गया और उसकी स्वीकृत भी यहां से ली जायगी । मैं यह नहीं कहता कि जो अच्छी परम्परा है, उसको न रखा जाय, उसे जरूर लिया जाय किन्तु जो परम्परा अच्छी नहीं है उसको नहीं दुहराया जाना चाहिये ।

पिछली बार भी जब बजट पेश किया गया था उस समय भी हमने कहा था कि प्राथमिकता के आधार पर बजट पेश किया जाय । अगर ऐसा किया गया होता तो मैं समझता हूं कि अनुपूरक अनुदान रखन की आवश्यकता ही न पड़ती । हम लोगों ने यह भी मांग की थी कि जितने शहर है, हर शहर में सफाई कर्मचारी रहते हैं उनके आवास का निर्माण करें । जैसा कि महात्मा गांधी चाहते थे, उसी कालोनी में वे रहते थे जहां सफाई कर्मचारी रहते हैं उनके लिये आवास स्थल की व्यवस्था हो, उसकी व्यवस्था आपने नहीं की । इसके अलावा कांग्रेस सरकार के जमाने में भूमि भी आवंटित की गई थी ताकि गरीब लोग जो गांवों में रहते हैं वे अपने लिये भवन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निर्माण कर सकें। मैं चाहता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर इसकी व्यवस्था की गई होती तो अनुपूरक अनुदान लाने की आवश्यकता न रहती। इसके विपरीत मंत्रियों के आवास स्थल के लिये धन की व्यवस्था की जा रही है ताकि उनके लिये अधिक सुख सुविधा उपलब्ध हो। जो आवश्यक खर्चा है उसमें तो दो राय नहीं है लेकिन मंत्रियों के अतिरिक्त क्या कभी आपने विधायकों की तरफ भी ध्यान दिया है ?

दारुलशफा में विधायक निवास है रायल होटल में है, पुराना विधायक निवास है, इनमें जो स्थिति पहले थी, वही आज भी है। कोई परिवर्तन उसमें नहीं हुआ है। आपने उसमें कोई परिवर्तन की बात भी नहीं सोची कि जितने कमरे है, फर्नीचर है, चारपाई है, बरामदे हे उनमें कुछ और सुधार किया जाय। उनमें एक-एक कमरा बढ़ाने की बात ही आप सोच लेते। आदान प्रदान तो होता ही रहता है। दारुलशफा ऐसा स्थल है जहां कि विधायक चुनाव के बाद पहल आकर रहता है। वह पहली सीढ़ी है और पहला स्थान है। इसी के अनुसार आपने प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया होता। तब तो यह समझा जाता कि आप कुछ काम कर रहे हैं। मंत्री बनने के बाद आप पहला काम ही भूल गये। दिघे साहब, आप तो दारुलशफा में बहुत दिनों तक रहे हैं। उसकी क्या स्थिति है ? एक आम रास्ता बना रहता है। कोई मेहमान आ जाय तो एक चारपाई भी और नहीं डाल सकते और जगह कोई उपलब्ध नहीं है।

मैं चाहूंगा क्योंकि दिघे साहब प्रगतिशील विचार वाले हैं इसलिए विधायकों की सुख-सुविधा की तरफ भी जो जरूरी है, ध्यान दें (व्यवधान) स्टेनो टाइपिस्ट के लिए आप कह रहे है वह भी हो टेलीफोन की भी व्यवस्था कर दें तो अच्छा है। लेकिन मैं तो मिनिमम आवश्यकता की बात कर रहा हूं।

आप कहते हैं कि हम गांवों की तरफ जा रहे हैं। तो गावों के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो उसके लिए खेती ही एक उपाय है उसकी तरक्की होनी चाहिये। इस समय गन्ने की क्या स्थिति है ? उस पर मुख्य मन्त्री जी ने कुछ प्रयास भी किया लकिन आप अंदाज नहीं लगा सके कि यह स्थिति हो जायगी, आप नहीं मालूम कर सके कि इतना गन्ना पैदा हो जायगा। इसी प्रदेश में एक दफा किसानों को 17 रु0 और साढ़े 17 रु0 क्विटल तक गन्ना का मूल्य मिला और लोग समझते थे कि इस बार 20 रु0 क्विटल मिल जायगा लेकिन मुख्य मन्त्री जी, आपने केवल चार आने बढ़ा दिये वह भी जो मिल मालिक चाहेगा, देगा और जो नहीं चाहेगा नहीं देगा। यह बात ठीक है कि ब्यापार में घाटा नहीं होना चाहिये लेकिन जो एक रेट तय हो वह सब को मिलना चाहिये।

आपने गुड़ खरीदने की बात कही। क्यों नहीं हर मंडी में वह खरीदा जाता है ? अगर हर मंडी में वह खरीदा जाता तो जितने भी कोल्हू है वह पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देते और गन्ना सब समय से पहले खत्म हो जाता। इसलिये प्रदेश की जितनी मंडी हैं सब में गुड़ खरीदा जाय।

इसमें मिश्रा जी जेल की भी बात कह रहे हैं वह ठीक है। आप खुद जेल में रहे हैं जब वहां से बाहर निकले हैं बड़ी शिकायत भी आपने की। आप जानते हैं कि किस तरह के काम की आवश्यकता है और क्या सुधार वहां किये जा सकते हैं। ओम प्रकाश जी, आप वहां रहे हैं। आप यह भी समझते ह कि राजनीति में जो बाहर एक दफे आ गया तो दुबारा नहीं जायगा ऐसा भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने अनुभव के आधार पर उसमें सुधार करें। इसमें उसकी व्यवस्था नहीं रखी गयी है। मैं चाहता हूं कि इसमें इस बात की व्यवस्था रहती तो अच्छा होता।

आपके सामने होम्योपैथी छात्र हड़ताल पर हैं और आयुर्वेद के छात्रों की मांगे हैं। स्वास्थ्य

[श्री देव बहादुर सिंह]

मंत्री जी ने बड़ा प्रयास किया लेकिन उनकी समस्या हल नहीं हो सकी । उनको सन्तुष्ट करने के लिए स्टेजेज में ही उनको मांग मान लेते तो बड़ी अच्छी बात होती ।

अब मैं थोड़ा पेय जल के बारे में कहना चाहता हूं । पर्वतीय अंचल और भावर की स्थिति ऐसी है कि वहां लोग अपने खर्च पर कुएं नहीं बना सकते हैं, हैण्डपम्प नहीं लगा सकते हैं और परम्परागत जो नदियां बढ़ कर आती हैं उन्हीं का पानी पीते हैं । वहां सब लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की जाय, लेकिन जो पानी आप उपलब्ध करायेंगें, वही वे पी लेंगे । इसलिए विशेष ध्यान इन अंचलों की ओर देना चाहिये । जहां जल की व्यवस्था नहीं है, वहां के लिए सुनिश्चित किया जाय कि इतन समय में पानी की व्यवस्था अवश्य हो जायगी । यहां—प्लेन में तो स्थिति दूसरी है, हम समर्थ हैं तो कुएं बनवा सकते हैं, ट्यूबवेल बनवा सकते हैं, लेकिन वहां क लोग समर्थ होते हुए भी इनका कोई प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं । इसलिए वहां के लिये पानी की व्यवस्था निश्चित रूप से की जाय ।

राजस्व मन्त्री जीने दैवी प्रकोप के लिए काफी पैसा इसमें रक्खा है । 40—50 करोड़ की क्षति ओला से हुई है । अब आपका तख्मीना क्या है, कितना पैसा उनको दिया जायगा, में नहीं कह सकता, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जो किसानों की क्षति हुई है, उससे उनका बहुत ही सत्यानाश हुआ है तो आप उनको अधिक से अधिक अनुदान दें और इससे उसको पुनावसित करने में काफी सहायता मिलेगी ।

एटा—निधौली कलां वाली सड़क को हमको देखने का मौका मिला है । मैं समझता हूं आपने यह बड़ा अच्छा काम किया है । जो वहां के विधायक ने कहा है वहां पर डकैतियां बहुत होती हैं तो मैं चाहूंगा कि डकैती से भी वहां के लोगों को मुक्त किया जाय, उन्हें उनके भय और आतंक से मुक्ति दिलाई जाय । क्योंकि प्रदेश में सड़क की बड़ी खराब स्थिति है । आपको ऐसे व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे कि लोग निर्भय होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें ।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने इस अनुपूरक बजट के सम्बन्ध में अपने विचार यहां प्रकट किये हैं । मान्यवर, इसके पूर्व कि मैं जो बाते यहां उठाई गई हैं या आलोचना की गई, उनका मुख्तसर में जवाब दूं, क्योंकि अधिक में जवाब देने की आवश्यकता नहीं है । मैं मुख्य-मुख्य बात इस अनुपूरक अनुदान के सम्बन्ध में सदन के सामने रखना चाहता हूं । वर्ष 77—78 के लिए जो अनुपूरक अनुदान की मांग की गई है वह 351.55 करोड़ रुपया है । राजेन्द्र कुमार जी इसको देखकर भयभीत हो गये थे, लेकिन उनका निराकरण हो जायगा, अब मैं उसे स्पष्ट कर दूंगा । इसमें से 270.45 करोड़ रुपया, केवल एडजेस्टमेंट एन्ट्री का है और मान्यवर, रिजर्व बैंक से जो वित्तीय पोषण के लिए खर्च किये जाते हैं, वह वर्ष के अन्त में बढ़कर काफी बड़ा हो जाता है । वह कोई खर्च नहीं होता है, केवल एन्ट्री है, उसको केवल एडजस्ट किया जाता है । अतः 270 करोड़ रुपया अगर इसमें से निकाल दिया जाय, तो यह रकम बहुत छोटी हो जायगी । इसके अतिरिक्त 10.24 करोड़ रुपया वर्ष 76—77 के यानी पुरानी सरकार के समय के हैं, जिनका पिछले बजट में इन्होंने एडजेस्टमेंट नहीं किया था इसलिये इसको इस वर्ष करने की जरूरत थी । इसमें उसको भी किया गया है । नई मदों पर केवल 12.43 करोड़ रुपया है, जो बहुत छोटी रकम है और यह जो रुपया खर्च किया गया है या जो रुपया आकस्मिकता निधि से खर्च किया गया है, उसका यदि मैं विवेचन कर दूं तो यह स्पष्ट हो जायगा कि पिछली सरकार जिस लीक पर चलती थी, उससे हटने का मैंने बहुत कुछ काम किया है ।

मेरे शब्दों पर थोड़ा ध्यान देंगे मिश्रा जी कि हमने बहुत हद तक हटने का काम किया है, । यह दावा नहीं किया है कि सम्पूर्ण रूप से हट गये हैं क्योंकि बजट का ऐसा तरीका है कि जो काम

चलते रहते हैं, उसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। लेकिन म इस बात से इत्तफाक करता हूं कि अनुपूरक बजट में बहुत कम मदें आनी चाहिये जो बहुत आवश्यक हों। कुछ आलोचना तो ऐसी हुई जिसको आलोचना न कह कर सुझाव कह सकते हैं। किसी भी शासन को सुझावों पर विचार करना चाहिये। लेकिन जो सत्ता में रहे हैं और बहुत थोड़े दिन हुए सत्ता से हटे हैं और बहुत जल्द सत्ता में आना चाहते हैं, उन्होंने काफी लम्बी आलोचना की। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने एक नया तरीका अपनाया हुआ है। अपना भाषण करके खिसक जाना चाहते हैं। यह तरीका 17 तारीख से शुरू किया है, अपने जो शिष्य लोग हैं बाकी सब प्रकार का काम करने के लिए छोड़ देते हैं। स्वयं नहीं बोल, उनके शिष्य बोले। सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसके बहत्तर छेद, तो जरा अचम्भा होता है (हंसी) आलोचना की कि मंत्रियों की साज-सज्जा के लिए बड़ा खर्च हो रहा है।

मान्यवर, उन सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि कल कहीं उनके घर में लड़का पैदा हो जाय तो कहीं उनके दिल में ऐसा न आ जाय कि उनको उसकी व्यवस्था नहीं करनी है, क्या उसके रहने के स्थान का प्रबन्ध नहीं करेंगे? जो डिप्टी मिनिस्टर इस शासन में हैं नये तरीके से जिनको कार्यभार सौंपा गया है, क्या उनके लिए कमरे या टेबिल का इन्तजाम नहीं किया जायगा? साज-सज्जा का इन्तजाम नहीं किया जायगा। मैं चाहता नहीं था, लेकिन क्या करूं मजबूर हूं जरा बताना चाहता हूं कि आप क्या-क्या किया करते थे। यह है, मान्यवर, ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत लम्बी लिस्ट है, ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा, जनता इनको जान चुकी है, इन्होंने जो खर्च किये हैं उनको बताना चाहता हूं। सचिवालय के मुख्य द्वार को सजाया जाय, मंत्रिमण्डल के सदस्यों के लिए यू-फोम मेट्रेसेज तथा तकिया की व्यवस्था। (व्यवधान) अब न बोलें आप तो अच्छा है। मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि जनतन्त्र पर भाषण दीजिये, न महिलाओं की रक्षा के लिए भाषण दीजिये और न तो यहां जो आगे काम हो रहा है, उस पर भाषण देने का काम कीजिये क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो मुझे ये पुरानी किताबें खोलनी होंगी। वैसे मैं बहुत बोल चुका हूं।

एक सदस्य—

इसको खोल कर सुनाएं।

श्री मधुकर दिघे—

बहुत टाइम लगेगा। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शांत रहिए।

श्री मधुकर दिघे—

अब हमारी मदों को देखें। राज्य विधान सभा निर्वाचन सम्बन्धी व्यय, क्या इसे नहीं करना चाहिए। माननीय ऊदल जी कहेंगे कि करना है। फिर होम गार्ड्स के जो लोग थे उन्होंने जो निर्वाचन में काम किया। माननीय ऊदल जी जो मजदूरों के नेता हैं तो वह मेरा समर्थन करेंगे कि उनको पैसे का भुगतान किया जाय। फिर जो स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना है, उसे केन्द्र ने चलाया है और इनको ऐसा लगता है कि हमने चलाया है वह भी एडजस्टिंग इन्ट्री है। अगर नारायण दत्त तिवारी जी होते तो वह समझ जाते। ये समझ नहीं पाते हैं, कुछ दिनों में और बाकी लोग भी समझ जावेंगे। ग्रामीण योजना के बारे में उनके दिमाग में क्या है? देहात में तो यह रहे नहीं, शहर में रहे हैं पिछली बार सुन्दरीकरण की एक मद है जिस पर खर्चा किया गया है। पिछली बार मंत्रियों को शौक था कि जब वह

[श्री मधुकर दिघे—]

मोटर में बैठे तो लखनऊ में ऐसी चमचमाती हुई सड़कें दिखाई पड़ें कि अगर वह मोटर से झांके तो उनका चेहरा दिखाई पड़े। चाहे मंत्री जी का चेहरा उसके लायक हो या न हो। यह परिवार कल्याण के लिए कार्य क्रम है। यह भारत के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले उन गरीबों के लिये है जिनकी बीमारी होने के बाद डाक्टरों के पास जाना है या नहीं यह भी पता नहीं होता है, उनको बताने के लिये कि तुम्हें यह बीमारी है, तुम्हें अस्पताल जाना चाहिये। फिर अभी तो लोक सभा के निर्वाचन में जनता ने इन्हें खदेड़ा, विधान सभा का के निर्वाचन में जनता ने इन्हें खदेड़ा लेकिन गावों में और ब्लाकों में ये बैठे हुये हैं पुराने जमाने से। अगर हमें बढ़ना है तो मैं कहना चाहूंगा कि जो काम इन लोगों ने पिछले 10 वर्ष से अधिक और 30 वर्ष से कम समय में किया है उसको न करें। हमारे ऊदल जी नासमझ नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी इन्दिरा जी की दोस्त नहीं है वह इनको ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं कि जहां पर धक्का देकर गड्ढे में गिरा दें, ऊदल जी वाली पार्टी।

आज हमने जो नीति चलाई है उसमें इस बात का ध्यान रखा है कि वह जनहित में हो। यदि हमको गेहूं का उपयोग करना था तो गेहूं उड़कर नहीं आता उसके लिये ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता थी। तो उसके लिये अगर हमने पैसा खर्च किया तो जनहित में किया, जनता के विरोध में नहीं किया और इसलिये यह जो अनुपूरक अनुदान का प्रस्ताव आपके समक्ष रखा है अगर उसको विस्तार से पढ़े होते और थोड़ा सा अपना पुराना आइना देख लिये होते तो जो परेशानी हुई है वह न होती। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि जो उनकी राय आयी है या जो सुझाव आये ह अनुपूरक अनुदान में यह संभव नहीं है कि सभी चीजों को जो आप करना चाहते हैं उसको इसमें, सम्मिलित किया जा सके। आगे बजट आयेगा आप देखियेगा और मुझे यकीन है कि इस तरफ के बैठने वाले नहीं बल्कि उधर के बैठने वाले लोग तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में उस बजट को भी पास करेंगे।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जो फोम के गद्दे और तकिये हमने लिये थे क्या वे उन्होंने फेंक दिये हैं?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैंने इसका पता लगाया, आधे तो गायब हैं, पता नहीं जाते जाते लेते गये, इसकी जांच करनी पड़ेगी। (हंसी)

1977–78 के अनपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 1–राज्य विधान मंडल

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1–राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत 1,41,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1–राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत 1,41,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 3—मंत्रि परिषद्

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश में यह प्रस्ताव करता

अनुदान संख्या 3––मंत्रि परिद्

हूं कि अनुदान संख्या 3–मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत 4,00,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3–मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत 4,00,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 5––निर्वाचन

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)––

मान्यवर, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5 निर्वाचन के अन्तर्गत 2,44,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5–निर्वाचन के अन्तर्गत 2,44,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 8––स्टाम्प एवं पंजीकरण

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)––

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि, अनुदान संख्या-8 स्टाम्प एवं पंजीकरण के अन्तर्गत 35,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-8 स्टाम्प एवं पंजीकरण के अन्तर्गत 35,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 18––सचिवालय

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)––

मान्यवर, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18–सचिवालय के अन्तर्गत 1,200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिय स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18–सचिवालय के अन्तर्गत 1,200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 19––जिला प्रशासन

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)––

मान्यवर, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–19 जिला प्रशासन क अन्तर्गत 24,27,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन के अन्तर्गत 24,27,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977—78 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 20—कोषागार तथा लेखा प्रशासन

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20—कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977—78 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20—कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977—78 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 21—पुलिस

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21—पुलिस के अन्तर्गत 98,76,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977—78 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21—पुलिस के अन्तर्गत 98,76,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977—78 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 22—कारागार

न्याय एवं कारागार मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22—कारागार के अन्तर्गत 37,85,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977—78 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न है कि अनुदान संख्या 22—कारागार के अन्तर्गत 37,85,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977—78 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां—)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24— सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत 1,58,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977—78 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत 1,58,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977—78 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवायें

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25–अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत 95,31,600 रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25–अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत 95,31,600 रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूंकि अनुदान संख्या 26–अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन के अन्तर्गत 1,05,00,000 रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26–अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें के अन्तर्गत 1,05,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 28—शिक्षा

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से तथा राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28– शिक्षा के अन्तर्गत 2,800 रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28—शिक्षा के अन्तर्गत 2,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल के सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29–कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत 2,50,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29–कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत 2,50,100 रुपये की अनुपूरक अनुदान मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 31—चिकित्सा

स्वास्थ्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव

[श्री कल्याण सिंह–]
करता हूं कि अनुदान संख्या 31––चिकित्सा के अन्तर्गत 71,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31––चिकित्सा के अन्तर्गत 71,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 32––परिवार कल्याण

स्वास्थ्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)––

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32–परिवार कल्याण के अन्तर्गत 200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष ––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32––परिवार कल्याण के अन्तर्गत 200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 33––सार्वजनिक स्वास्थ्य

स्वास्थ्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)––

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33–सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 3,84, 08, 400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33–सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 3,84,08,400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 35––नगर विकास

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)––

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35– नगर विकास के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35 –नगर विकास के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 36––सूचना तथा प्रचार

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री राम सिंह)––

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36–सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत 400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 36—सूचना तथा प्रसार

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36–सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत 400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

अनुदान संख्या 37—श्रम एवं सेवायोजन

श्रम मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37– श्रम एवं सेवायोजन के अन्तर्गत 300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37 –श्रम एवं सेवायोजन के अन्तर्गत 300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38– सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत 48,58,900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय;

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह कि अनुदान संख्या 38–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत 48,58,900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान सुख्या 39—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी योजना यें

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39–अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनायें के अन्तर्गत 400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनायें के अन्तर्गत 400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 40—दैवी आपदाओं के कारण सहायता

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40–दैवी आपदाओं के कारण सहायता के अन्तर्गत 8,21,65,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40--दैवी आपदाओं के कारण सहायता के अन्तर्गत 8,21, 65, 300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 41--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं के अन्तर्गत 60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं के अन्तर्गत 60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 42--सहकारिता

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42--सहकारिता के अन्तर्गत 64,57,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42--सहकारिता के अन्तर्गत 64,57,500 रुपये को अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 43--विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री शोबन सिंह जीना)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43--विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत 19,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43--विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत 19,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 44--अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 45—कृषि

कृषि मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 45—कृषि के अन्तर्गत 4,46,77,900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45—कृषि के अन्तर्गत 4,46,77,900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 46—औद्यानिक विकास

कृषि मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46—औद्यानिक विकास के अन्तर्गत 24,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46—औद्यानिक विकास के अन्तर्गत 24,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 47—गन्ना विकास

गन्ना विकास मन्त्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 47—गन्ना विकास के अन्तर्गत 300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47—गन्ना विकास के अन्तर्गत 300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 48—सामुदायिक विकास

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री जमुना प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत 78,30,900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत 78,30,900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 49—भूमि तथा जल संरक्षण

कृषि मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—भूमि तथा जल संरक्षण के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—भूमि तथा जल संरक्षण के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 50—क्षेत्र विकास

कृषि मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50–क्षेत्र विकास के अन्तर्गत 15,13,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50–क्षेत्र विकास के अन्तर्गत 15,13,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 51—खाद्य

खाद्य मंत्री (श्री हरिशचन्द्र)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51–खाद्य के अन्तर्गत 2,84,53,000 रुपय की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51—खाद्य के अन्तर्गत 2,84,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 52—पशुपालन

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52—पशुपालन के अन्तर्गत 1,47,200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52–पशुपालन के अन्तर्गत 1,47,200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 53—दुग्धशाला (डेरी) विकास

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53—दुग्धशाला (डेरी) विकास के अन्तर्गत 5,81,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह है कि अनुदान संख्या 53—दुग्धशाला (डेरी) विकास के अन्तर्गत 5,81,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 54—मत्स्य उद्योग

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54–मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत 9,68,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54–मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत 9,68,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 55—वन

वन मन्त्री (श्री श्रीचन्द्र)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55–वन के अन्तर्गत 1,29,58,400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55–वन के अन्तर्गत 1,29,58,400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 56—उद्योग

उद्योग उप मन्त्री (श्री अब्दुल रऊफ लारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56–उद्योग के अन्तर्गत 1,39,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56–उद्योग के अन्तर्गत 1,39,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 57—ग्राम एवं लघु उद्योग

उद्योग उप मन्त्री (श्री अब्दुल रऊफ लारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57–ग्राम एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत 2,19,26,300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57-ग्राम एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत 2,19,26,300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिये स्वीकार जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 60--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य

सिंचाई मन्त्री (श्री बलवीर सिंह)--

मान्यवर, म आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60-राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 1,35,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60-राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 1, 35,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 61--सिंचाई अधिष्ठान

सिंचाई मन्त्री (श्री बलवीर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61-सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत 300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61-सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत 300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 62--सिविल विमानन

परिवहन मन्त्री (श्री आबिद अली)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62-सिविल विमानन के अन्तर्गत 14,66,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62-सिविल विमानन के अन्तर्गत 14,66,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 63--संचार साधन

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63-संचार साधन के अन्तर्गत 3,60,00,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 63—संचार साधन

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63-संचार साधन के अन्तर्गत 3,60,00,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 64—कार्यात्मक भवन

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां—)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64-कार्यात्मक भवन के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64-कार्यात्मक भवन के अन्तर्गत 100 रुपय की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 65—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65–सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान के अन्तर्गत 3,91,23,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65-सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान के अन्तर्गत 3,91,23,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 66—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66–सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 क लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66–सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 68—पर्यटन

पर्यटन मन्त्री (श्री प्रविन्द्र अवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68-पर्यटन के अन्तर्गत 1,24,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68-पर्यटन के अन्तर्गत 1,24,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 69--स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 69-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण के अन्तर्गत 300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण के अन्तर्गत 300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,02,51,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,02,51,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 71--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71-कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 8,58,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71-कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 8,58,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 72—चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कल्याण सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72–चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72-चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 73—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73–आवास भवनों पर पूंजीगति परिव्यय के अन्तर्गत 79,44,200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73–आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 79,44,200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 75—सहकारिता तथा डेरी विकास संबंधी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75–सहकारिता तथा डेरी विकास संबंधी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 2,71,97,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75–सहकारिता तथा डेरी विकास संबंधी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 2,71,97,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 76—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय

पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री शोबन सिंह जीना)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76-विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,20,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76-विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,20,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 77---विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

उद्योग मन्त्री (श्री राम प्रकाश)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77-विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 5,96,49,900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77-विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 5,96,49,900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 82---पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82-पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82-पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

संसदीय कार्य वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

1977-78 के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान
अनुदान संख्या 83---वनों पर पूंजीगत परिव्यय

वन मन्त्री (श्री श्रीचन्द)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83-वनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,19,45,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83-वनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,19,45,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 84—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

सिंचाई मन्त्री (श्री बलबीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 84–सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 84–सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 86—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान–संख्या 86–संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 4,05,06,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86–संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 4,05,06,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 87—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

परिवहन मन्त्री (श्री आबिद अली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87–सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87–सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप यहां बैठकर आवाज सुन रहे हैं और निश्चित तौर से नहीं की आवाज ज्यादा थी और आप कहते हैं कि हां की संख्या अधिक है।

श्री अध्यक्ष—

श्याम धर जी को मरुभूमि में कुछ जल का आभास हो रहा है।

अनुदान संख्या 88—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

परिवहन मन्त्री (श्री आबिद अली)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 88–पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88–पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 90—ऋण और अग्रिम-शिक्षा

शिक्षा मन्त्री (श्री कालीचरण)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 90-ऋण और अग्रिम-शिक्षा के अन्तर्गत 6,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 90-ऋण और अग्रिम–शिक्षा के अन्तर्गत 6,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

एक आदमी "हां जोर से बोले तो "हां" की संख्या ज्यादा मानी जायेगी या "ना" की संख्या ज्यादा मानी जायेगी?

श्री अध्यक्ष—

जो आपकी इच्छा हो वह समझ लीजिये।

अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम-स्वायत्त शासन

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 91–ऋण और अग्रिम-स्वायत्त शासन के अन्तर्गत 1,25,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 91–ऋण और अग्रिम-स्वायत्त शासन के अन्तर्गत 1,25,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 93—ऋण और अग्रिम उद्योग

उद्योग उपमन्त्री (श्री अब्दुल रऊफ लारी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 93–ऋण और अग्रिम–उद्योग के अन्तर्गत 5,61,50,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 93–ऋण और अग्रिम–उद्योग

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 93–ऋण और अग्रिम-उद्योग के अन्तर्गत 5,61,50,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 94––ऋण और अग्रिम-सहकारिता

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)––

मान्यवर, ऐ आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94–ऋण और अग्रिम–सहकारिता के अन्तर्गत 2,67,74,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94–ऋण और अग्रिम-सहकारिता के अन्तर्गत 2,67,74,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 95––ऋण और अग्रिम-कृषि

कृषि मन्त्री (श्री राजेंद्र सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 95–ऋण और अग्रिम–कृषि के अन्तर्गत 6,57,00,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 95–ऋण और अग्रिम-कृषि के अन्तर्गत 6,57,00,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 97––ऋण और अग्रिम-वित्त

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 97–ऋण और अग्रिम वित्त के अन्तर्गत 75,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 97–ऋण और अग्रिम वित्त के अन्तर्गत 75,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1977–78 का अनुपूरक) विधेयक, 1978

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1977–78 का अनुपूरक) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1977–78 का अनुपूरक) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित की गईं।)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1977–78 का अनुपूरक) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आशा है सब को कापियां मिल गई होंगी।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (विनियोग 1977–78 का अनुपूरक) विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

(श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होने पर) क्या मिश्रा जी आप इस पर बोलना चाहेंगे ?

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि यह अवसर नहीं है । मैं जानता हूं कि यह जो विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया गया है अगर यह फरवरी में हुआ होता तो ज्यादा अच्छा होता । न केवल बजट में बिलम्ब हुआ है बल्कि इस विनियोग विधेयक में भी बिलम्ब हुआ है । आज मार्च की 20 तारीख है केवल 10 दिन इस महीने के रह गये हैं । आज जब यह पास हो जायेगा तो मेरा निवेदन है यह कि एक असाधारण स्थिति होने जा रही है। 10 दिन के अन्दर केवल यह सूचना दे पायेंगे । इसका डिसवर्समेंट कैसे हो पायेगा ? इसका ही नहीं बल्कि पूरे बजट का भी जो 1977–78 के लिये पास हुआ था उसका भी डिसवर्समेंट होना है । मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इसमें जितनी तत्परता दिखा सकें वह जरूर दिखायें ऐसा न हो कि मार्च महीने में अधिकारी लोग केवल यहां पर कागजी कार्य करते रहे।

एक हफ्ते तक अधिकारी केवल यही कार्य करते रह जाते हैं और इस साल तो पता नहीं रात दिन करते रह जायेंगे तो भी काम पूरा होगा या नहीं यह पता नहीं । आंकड़े आ जायगे, किन्तु रुपया जमा होगा या नहीं, यह पता नहीं । मेरी समझ में आता है कि इसमें दिक्कत होगी, किन्तु वह भी इसे देख लें और ध्यान देकर इसे देखें ।

दूसरी बात यह है कि विधान सभा भवन के सामने तरह तरह के खेमे लगे हुये हैं होम्यो छात्र आन्दोलन कर रहे हैं, आयुर्वेदिक लड़कों के खेमे हैं और डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोशिएशन के लोग बैठे हैं । आप देखें कि इनके कौन-सी और कितनी मांगें हैं । क्यों नहीं मंत्री जी इस पर तय करते हैं, कोई बात होनी चाहिये । ये हम लोग के पास आते हैं, आपके पास जाते है, मंत्रियों के पास जाते हैं । कृपया इनके साथ बातें करके इनकी मांगों पर सहानुभूति-पूर्वक विचार कर लिया जाये । मुख्य मंत्री का इशारा हो कि हम लोगों ने कुछ कराया है तो यह गलत है । जहां अराजकता है, वह हम पर थोपते हैं और अपनी अयोग्यता की ओर ध्यान नहीं देते हैं । मैं समझता हूं यह उनकी अयोग्यता है और इस पर उनको ध्यान देना चाहिये। बाहर लोग आमरण अनशन कर रहे है, मुख्यमंत्री जी इसे अवश्य देख लें ।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैंने पहले जैसे मिश्रा जी को आश्वस्त किया, पुन: करना चाहता हूं कि जब मेरा बजट आयेगा तो वह काफी प्रसन्न हो जायेंगे । 22 तारीख को बजट आयेगा, नारायण दत्त जी चाहेंगे तो वह 23 तारीख को ही पास कर दें, तो सब ठीक ठीक हो जायेगा ।

श्री श्याम धर मिश्र—

हम कहें भी तो क्या विधान ऐसा है, ऐसा कहता है जैसा वित्त मंत्री जी कह रहे हैं । मान्यवर, आप मंत्रियों को समझा तो दें ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि पुराना शीशा जो इन लोगों ने बंगलों में लगवाया है, पता नहीं क्या गाली दे रहा था, तो उसको तो हटवा दीजिये । उसे हटवा दें तो यह जनतांत्रिक हो जायेंगे ।.... (व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, अभी कुछ दिन तक उसकी जरूरत है, वह चेहरा हम देखते रहें उनका पुराना वाला (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1977–78 का अनुपूरक) विधेयक, 1978 पर विचार किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2,3 अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1977–78 का अनुपूरक) विधेयक, 1978

31 मार्च, 1978 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1977–78 का अनुपूरक) अधिनियम, 1978 कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 1978 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 3,51,55,35,000 रु0 (केवल तीन अरब इक्यावन करोड़ पचपन लाख पैंतीस हजार रुपये) होता है, अधिक न हो । — उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष 1977–78 के लिए 3,51,55,35,000 रुपयों का दिया जाना।

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1978 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जावेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं। — विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखिये)

1	2	3		
अनुदान/क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
1	राज्य विधान मण्डल	1,41,700	16,300	1,58,000
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय	..	82,100	82,100
3	मंत्रि परिषद्	4,00,100	..	4,00,100
4	न्याय प्रशासन	..	19,700	19,700
5	निर्वाचन	2,44,00,000	..	2,44,00,000
8	स्टाम्प एवं पंजीकरण	35,04,000	..	35,04,000
*16	ब्याज का भुगतान	..	100	100
*17	लोक सेवा आयोग	..	7,75,000	7,75,000
18	सचिवालय	1,200	..	1,200
19	जिला प्रशासन	24,27,300	..	24,27,300
20	कोषागार तथा लेखा प्रशासन	100	..	100
21	पुलिस	98,76,800	29,100	99,05,900
22	कारागार	37,85,600	..	37,85,600
24	सार्वजनिक निर्माण-कार्य	1,58,600	..	1,58,600
25	अन्य प्रशासनिक सेवायें	95,31,600	..	95,31,600
26	अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें	1,05,00,000	4,57,000	1,09,57,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

28	शिक्षा	2,800	32,000	34,800
29	कला एवं संस्कृति	2,50,100	..	2,50,100
31	चिकित्सा	71,700	..	71,700
32	परिवार कल्याण	200	..	200
33	सार्वजनिक स्वास्थ्य	3,84,08,400	..	3,84,08,400
34	आवास भवन	..	7,86,500	7,86,500
35	नगर विकास	100	..	100
36	सूचना तथा प्रचार	400	..	400
37	श्रम एवं सेवायोजन	300	..	300
38	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	48,58,900	1,400	48,60,300
39	अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी योजनायें	400	..	400
40	दैवी आपदाओं के कारण सहायता	8,21,65,300	..	8,21,65,300
41	अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें	60,000	..	60,000
42	सहकारिता	64,57,500	..	64,57,500
43	विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र	19,500	45,700	65,200
44	अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	100	..	100
45	कृषि	4,46,77,900	..	4,46,77,900
46	औद्योगिक विकास	24,89,000	49,600	25,38,600
47	गन्ना विकास	300	87,25,600	87,25,900
48	सामुदायिक विकास	78,30,900	..	78,30,900
49	भूमि तथा जल संरक्षण	100	..	100
50	क्षेत्र विकास	15,13,500	..	15,13,500
51	खाद्य	2,84,53,000	..	2,84,53,000
52	पशुपालन	1,47,200	10,500	1,57,700
53	दुग्धशाला (डेरी) विकास	5,81,700	..	5,81,700

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची—(समाप्त)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
54	मत्स्य उद्योग	9,68,500	..	9,68,500
55	वन	1,29,58,400	..	1,29,58,400
56	उद्योग	1,39,000	7,200	1,46,200
57	ग्राम एवं लघु उद्योग	2,19,26,300	..	2,19,26,300
58	खानें तथा खनिज	..	900	900
60	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य ..	1,35,00,000	..	1,35,00,000
61	सिंचाई अधिष्ठान	300	..	300
62	सिविल विमानन	14,66,000	..	14,66,000
63	संचार साधन	3,60,00,800	..	3,60,00,800
64	कार्यात्मक भवन	100	..	100
65	सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान	3,91,23,100	..	3,91,23,100
66	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान ..	10,00,000	..	10,00,000
68	पर्यटन	1,24,600	..	1,24,600
69	स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण	300	..	300
70	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ..	1,02,51,800	..	1,02,51,800
71	कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय	8,58,100	..	8,58,100

उत्तर प्रदेश विधान सभा

72	चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	300	..	300
73	आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय	79,44,200	..	79,44,200
75	सहकारिता तथा डेरी विकास संबंधी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2,71,97,700	..	2,71,97,700
76	विशेष तथा पिछड़े हुये क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय ..	3,20,58,000	*2,38,800*	3,22,96,800
77	विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	5,96,49,900	..	5,96,49,900
79	कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	..	*40,800*	40,800
82	पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ..	200	..	200
83	वनों पर पूंजीगत परिव्यय	1,19,45,300	..	1,19,45,300
84	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	600	..	600
86	संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय	4,05,06,700	..	4,05,06,700
87	सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3,00,00,000	..	3,00,00,000
88	पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	100	..	100
*89	राज्य सरकार के ऋण	..	2,70,45,00,000	*2,70,45,00,000*
90	ऋण और अग्रिम—शिक्षा	6,65,000	..	6,65,000
91	ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन	1,25,89,000	..	1,25,89,000
93	ऋण और अग्रिम—उद्योग	5,61,50,800	..	5,61,50,800
94	ऋण और अग्रिम—सहकारिता	2,67,74,500	..	2,67,74,500
95	ऋण और अग्रिम—कृषि	6,57,00,800	..	6,57,00,800
97	ऋण और अग्रिम—वित्त	75,00,000	..	75,00,000
	योग ..	79,97,16,700	*2,71,58,18,300*	3,51,55,35,000

*भारित विनियोग से संबंधित क्रम-संख्या

मध्यप्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3 और अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जाएं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1977–78 का अनुपूरक) विधेयक, 1978 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1977–78 का अनुपूरक) विधेयक, 1978 पारित किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब नियम 51के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर जो ध्यानाकर्षण सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनमें से केवल एक श्री हरिकेवल प्रसाद की सूचना मैंने स्वीकार की है । इसी तरह की एक सूचना श्री नारायण तथा पुरुषोत्तम कौशिक ने भी दी है । यह देवरिया जनपद में दिनांक 15 फरवरी, 1978 को हरिजनों के शांतिमय जुलूस के विरोध में 16 फरवरी, 1978 को इंदिरा कांग्रेस के व्यक्तियों तथा समाज के कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा चन्द्रलोक छात्रावास, अम्बेडकर छात्रावास और जगजीवन राम छात्रावास के हरिजन छात्रों पर आक्रमण किया जाना तथा उनको गम्भीर चोटों के सम्बन्ध में हैं ।

माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर वक्तव्य कब देंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री रामनरेश यादव)—

मान्यवर, 28 को रख दें, इसको ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

इसमें बड़े महत्वपूर्ण हमारे भी थे जो इधर से दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

तिवारी जी, आप जानते हैं कि नियम 51 में एक ही लेते हैं । नियम 52 में जो सूचनायें प्राप्त होंगी उन पर विचार करके.....

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

रायबरेली में विद्यार्थियों पर गोली चली है ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी) —

बहुधा हम देखते हैं कि नियम 51 में बहुत सी नोटिसेज हम लोग देते हैं । इसके अन्तर्गत एक ही स्वीकार करते हैं । अगर आप आज्ञा दें, नियम 51 में क्यों कि हम लोगों की जो मंशा है कि विचार हो, जिनको आप महत्वपूर्ण समझें, स्वीकृति दे दें उनको नियम 52 में विचार कर लिया जाय । आपकी आज्ञा मिल जाय नियम 52 में विचार अवश्य कर लिया करें ।

श्री अध्यक्ष—

नियम 52 में जो पृथक नोटिस आयेंगी उन पर अवश्य विचार करेंगे । नियम 52 में पहले सत्र में भी इस प्रकार के प्रश्नों को स्वीकार किया गया था । उन पर अवश्य विचार करेंगे ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

एक निवेदन कर रहा हूं । नियम 51 में आपने स्वीकार नहीं किया । उसके बारे में आपत्ति नहीं है । पिछले दिनों प्रदेश में दो तीन बार वर्षा हुयी बड़े पैमाने पर, बहुत से जिलों में ओले पड़ गये हैं । बहुत क्षति हुई है । अलग से सरकार से पूरे सूबे के संबंध में अलग से वक्तव्य दिलवा दें, डेट सरकार दे दें । सरकार ने क्या सहायता किया है क्या इरादा है, यह सब आ जाय, तो बहुत बड़ी समस्या है, सब लोगों की तरफ से आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष---

राजस्व मन्त्री जी यह उचित होगा कि आप ओला वृष्टि के संबंध में किसी दिन पूरी सूचना प्राप्त करके विस्तृत वक्तव्य सदन में दे दें ।

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)---

17 तारीख को ओले पड़ गये हैं, यह सूचना मंगानी होगी । होली के बाद ही आयेगा ।

श्री अध्यक्ष---

इसके पहले भी ओले पड़े हैं । पूरे विवरण सहित वक्तव्य दे दें । तारीख बाद में मुकर्रर हो जायगी ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)---

ओला वृष्टि और तूफान ।

श्री अध्यक्ष---

उसका महत्व कम हो जाता है । एक प्रश्न तक ही सीमित रखिये । माननीय राजस्व मंत्री जी विचार करके तारीख बाद में बतला देंगे ।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)---

जिलेवार मंत्री जी बतायें ।

श्री अध्यक्ष---

हां, बतला देंगे । अब हम उठते हैं 22 तारीख को 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 13 मिनट पर बुधवार, 22 मार्च, 1978 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
20 मार्च, 1978 ।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 153 पर)

संलग्नक

सरकारी नियंत्रण में चलने वाली चीनी मिलों के वर्ष 1976–77 में हानि का विवरण

क्रमांक	चीनी मिल का नाम		हानि (1976–77) (लाख रुपयों में)
*अ	चीनी निगम की मिलें		
1	बाराबंकी		56.21
2	भटनी	..	19.55
3	खड्डा	..	17.66
4	पिपराइच	..	41.00
5	सखौती टांडा	..	127.08
6	मोहिउद्दीनपुर	..	98.38
		योग ..	359.88
*ब	निगम के प्रबन्धाधीन		
7	डोई वाला	..	21.20
×स	रिसीवरशिप के अन्तर्गत		
1	रामकोला	..	5.67
2	जरवलरोड	..	43.88
3	बुढ़वल	..	27.50
4	अमरोहा	..	14.50
5	बुलन्दशहर	..	60.00
6	मलियाना	..	38.23
7	बिजनौर	..	35.00
8	सहारनपुर	..	30.00
9	रोहानाकलां	..	30.00
10	बरेली	..	85.00
		योग ..	369.78
*द	चीनी निगम की सहायक कम्पनी		
1	किच्छा	..	87.37

*दर्शाई गई हानियां सम्परीक्षित हैं ।

×दर्शाई गई हानियां अनुमानित हैं।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 74 का उत्तर पीछे पृष्ठ 192 पर)

संलग्नक

गायब पाये गये स्टोर मेटीरियल का विवरण

क्रमांक	मेटीरियल का नाम	तादाद	मूल्य रु0
1	एस0ई0 कापर वायर ..	231.545किलो	14,175.18
2	प्रूफ रिटक व पत्तल (ब्रास) ..	9	4000.00
3	जी0एम0 टेस्ट काक 3/4 ,, ..	29	906.25
4	गनी बैग	9	49.05
5	जी0 एम0 टेस्ट काक 1 ,,	24	1505.04
6	जी0एम0प्लग काक 3/4 ,,	23	932.65
7	हाई प्रेशर स्टीम स्टाप वाल्व 3/8 (ब्रास)	1	189.27
8	जी0 एम0 टेस्ट काक 1/2 ,,	2	42.28
9	ब्रास बिब काक (पुराना)	12(लगभग)	12.00
10	जी0एम0 नानरिवर्ट वाल्व3/8 ,,	5(लगभग)	100.00
11	नान रिटर्व वाल्व जी0 एम0 (मिल के लिए)	4	437.22
12	,, ,, (इंजन के लिए)	4	72.87
13	फायर फाइटिंग कपलिंग जी0एम0	2(एक जोड़ा)	178.20
14	ओल्ड प्रेशर गांज 0.40	1	..
		योग ..	22,600.01

संसद सदस्य सूचना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 77 का उत्तर पीछे पृष्ठ 193 पर)

दिनांक चयन	विभाग	पद का नाम	संख्या	चयन	पिछड़ी जाति	हरिजनों की संख्या
24-12-77	अभियंत्रण	1—हेड फीटर (हाईली स्किल्ड)	1	..		..
		2—ब्वायलर अटेंडेंट (हा0 स्किल्ड)	1	..		..
		3—फिटर प्रथम (स्किल्ड ए)	1	..		..
		4—इलेक्ट्रीशियन (स्किल्ड ए)	1	..		..
		5—वायरमैन प्रथम (स्किल्ड बी)	2	1		..
		6—वायरमैन द्वितीय (स्किल्ड सी)	6	..		1
		7—वेब्रिज फिटर (स्किल्ड सी)	1	..		1
		8—वर्कशाप फिटर (सेमीस्किल्ड)	2	1		..
		9—पावर हाउस टरबाइन अटेंडेंट (स्किल्ड सी)	1	1		..
		10—ब्लैक स्मिथ (स्किल्ड बी)	2	2		..
		11—ब्लैक स्मिथ (स्किल्ड सी)	1	1		..
		12—हैमर मैन (सेमी स्किल्ड)	1	1		..
		13—कारपेंटर (स्किल्ड बी)	1	1		..
		14—स्विच बोर्ड अटेंडेंट (सेमी स्किल्ड)	3	2		1
		15—वाटर मैन (सेमी स्किल्ड)	1	1		..

16—वाटर मन (अनस्किल्ड)		1	..	..
17—वाटर मैन केन यार्ड (अन स्किल्ड)		1	..	1
18—फायरमैन (सेमीस्किल्ड)		1	1	..
19—सेपर मैन (सेमी स्किल्ड)		1	..	..
20—प्लेनर मैन (सेमी स्किल्ड)		1	..	..
21—प्लेनर मैन (अनस्किल्ड)		1	1	..
22—डीजल जेनेरेटर आपरेटर (सेमी स्किल्ड)	..	2	..	..
23—फिटर द्वितीय (स्किल्ड)	..	4	1	..
24—फिटर हेल्पर	..	5	3	2
योग	..	42	17	6

24-12-77 मैन्यूफैक्चरिंग

1—लैब केमिस्ट (सुपरवाइजरी सी)	..	3	1	..
2—इंचार्ज पेन मैन (स0सी0)	..	2	..	..
3—जूस सुपरवाइजर (स्किल्ड ए)	..	2	..	..
4—सहायकपेन मैन (स्किल्ड बी)	..	2	..	..
5—एवापरेटर आपरेटर (स्किल्ड सी)	..	2	..	2
6—क्लेरीफायर मेट (स्किल्ड सी)	..	1	..	..
7—लाइम स्टेशन मेट (सेमीस्किल्ड)	..	1	1	..
8—सिरप सल्फीटेशन मेट (सेमीस्किल्ड)	..	1	1	..
9—सेन्टीफ्यूगल मेट (स्किल्ड सी)	..	1	1	..
10—सेंटीफ्यूगल आपरेटर (सेमी स्किल्ड)	..	3	1	..
11—पी0एच0रिकार्डर (सेमी स्किल्ड)	..	2	2	..
योग	..	20	8	2

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक चयन	विभाग	पद का नाम	संख्या चयन	पिछड़ी जाति	हरिजनों की संख्या
25-12-77	गन्ना अनुभाग	1—तौल लिपिक (लिपिक ग्रेड पंचम)	60	25	
		2—पर्ची वितरक	17	9	4
		योग	77	34	23

विभागवार चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या व प्रतिशत

विभाग	कुल संख्या जो नियुक्त किये गये	पिछड़ा वर्ग संख्या	पिछड़ा वर्ग प्रतिशत	हरिजन वर्ग संख्या	हरिजन वर्ग प्रतिशत
अभियंत्रण	42	17	40.5 प्रतिशत	6	14 प्रतिशत
मैन्यूफैक्चरिंग	20	8	40 प्रतिशत	2	10 प्रतिशत
गन्ना अनुभाग	77	34	44.2 प्रतिशत	23	30प्रतिशत
योग ..	139	59	42.4 प्रतिशत	31	22.3 प्रतिशत

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ब'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 195 पर)

सहकारी चीनी मिलों की पिछले पांच वर्षों की लाभ हानि ब्योरा (लाख रु० में)

सहकारी चीनी मिल का नाम	लाभ (+)/हानि (−) ह्रास एवं विकास छूट आय कर से पहले परन्तु संचिति के बाद					नकद लाभ (+)/नकद हानि (−) ह्रास विकास छूट एवं आयकर से पहले संचिति				
	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1—सहकारी चीनी मिल, बाजपुर (नैनीताल) ..	+11	−02	+41.79	−7.33	×20.08	×	+28.14	+54.54	+7.26	+31.85
2—सहकारी चीनी मिल मझोला (पीलीभीत)	+9.12	+28	+19	−13.36	−59.78	+14.13	+21.83	+41.70	+4 33	−38.89
3—सहकारी चीनी मिल, बागपत (मेरठ) ..	+21.17	+9.28	−	13 21	−38.83	−	×	.. 30.63	+21.68	−3.97
4—सहकारी चीनी मिल, सरसवां (सहारनपुर) ..	+4.22	−4.55	+0.53	−44.81	−14.89	+9.35	+3.28	+6.36	−37.23	−9.61
5—सहकारी चीनी मिल, औराई (वाराणसी) ..	16.19	−53.60	−61.26	−47.63	×	.. 15.37	−27.09	−36.60	−24.54	×
6—सहकारी चीनी मिल, रसड़ा (बलिया) ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	×
7—सहकारी चीनी मिल, कायमगंज (फर्रुखाबाद) ..	..	..	..	..	53.33	..	..	..	..	42.43
8—सहकारी चीनी मिल, सठियाव (आजमगढ़) ..	..	..	..	..	73.08	..	..	..	..	×

× आर्थिक चिट्ठा एवं लाभ हानि खाते को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 28 वि० सभा—20-7-78—(1235)—843 (मैग०)

उत्तर प्रदेश विधान सभा